हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 22 अगस्त, 2019 को माननीय अध्यक्ष, डा0 राजीव बिंदल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, हिमाचल प्रदेश विधान सभा शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

अध्यक्षः इससे पूर्व कि हम प्रश्न काल आरम्भ करें आज विधान सभा गैलरी में महत्वपूर्ण लोग हिमाचल प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही को देखने के लिए आए हैं। श्री सूर्य नारायण पात्रो, विधान सभा अध्यक्ष, उड़ीसा, ये सात बार से विधायक हैं। इसी तरह श्री प्रदीपता कुमार नायक, नेता विपक्ष हैं और ये चार बार से विधायक हैं । श्री विक्रम केशरी जी, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आज यहां आए हैं। श्री तुषार कांति जी, श्रीमती प्रॉमिला जी, श्रीमती भारती जी और विभिन्न विभागों के मंत्री व अनेक विधायक गण और आई0ए0एस0 अधिकारी भी साथ आए हैं तथा वे अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं प्रश्न पर आऊं, मैं माननीय सदन और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो प्रतिनिधि मंडल विधान सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उड़ीसा से आए हैं, इसमें विपक्ष के नेता और जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश में आपका प्रवास सुखद अनुभूतियों का रहे, यादगार व आरामदायक रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं।

प्रश्न काल आरम्भ

प्रश्न संख्याः1110

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहूंगा। इन्होंने जवाब दिया है कि समय-समय पर जो संसाधन होते हैं उनके तहत ही हम इन मसलों को तय करते हैं। मैं इनसे पूर्ण तरीके से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि यह प्रश्न संसाधनों का नहीं है। यह प्रश्न संवेदनशीलता का है। मैं इस प्रश्न को क्यों इस रूप में रख रहा हूं? माननीय मुख्य मंत्री जी यह जानते हैं कि हमारे जो न्यू पैंशन रूल्ज़ हैं, जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किए हैं और यह सेंस्टिविटी का प्रश्न है। जब मृत्यु हो जाती है तो सिविल सर्विस रूल, 1972 के तहत जिनकी 40 प्रतिशत की डिसेबिलिटी होती है और जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको हम पूरी पैंशन देते हैं। मैं समझता हूं जितने भी मुख्य मंत्री आज से पहले आए हैं, अगर आपका पहला दर्ज़ा नहीं आता है but you are one of the first who is sensitive on these matters. मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रश्न को कंसीडर करना चाहिए।

22.08.2019/1105/RKS/YK-1

दूसरा, जो आपने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा दिया है, मुझे लगता है कि आप उस नारे पर चलेंगे। आपने यह पिछले कल भी कहा और शायद परसों भी कहा होगा। एक विधान के लिए जो न्यू पैंशन का विधान बन रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश दिए हैं। In case of death or retirement, भारत सरकार ने वर्ष 2009 में तय किया कि जो ग्रेच्युटी का अमाउंट होगा वह वर्ष 2004 से एप्लीकेबल होगा परंतु हिमाचल प्रदेश में यह वर्ष 2017 से एप्लीकेबल किया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग सेवा निवृत्त हो गए हैं या जिन लोगों की मृत्यु हो गई हैं और उनकी ग्रेच्युटी लिमिट मैक्सिमम दस लाख है, क्या उसे वर्ष 2003 से बहाल किया जाएगा?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय संसाधनों का नहीं है, विषय संवेदनाओं का है। मुझे लगता है कि संसाधन और संवेदनाओं को ज्यादा अलग नहीं किया जा सकता। संवदेनाएं तो दिल से होती हैं। संवेदनाओं के लिए पैसा नहीं लगता, संसाधन नहीं लगते।

जब संवेदनाओं की बात आती है तो वे ठीक प्रकार से लागू होनी चाहिए। हम जिन भावनाओं को व्यक्त करते हैं वे संसाधनों के बिना संभव नहीं हो सकती। हिमाचल प्रदेश में पैंशन रूल्ज़ के संदर्भ में भारत सरकार और पे-कमीशन के लिए पंजाब पैटर्न को फोलो किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस पैटर्न को फोलो करने में बंधे हुए हैं। केंद्र सरकार ने पैंशन और पंजाब सरकार ने जो पे-कमीशन के सिलसिले में निर्णय कर दिया, वह हमारे लिए आबद्धकर नहीं है। प्रदेश सरकार संसाधनों के माध्यम से पैंशन के लिए भारत सरकार और पे-कमीशन के लिए पंजाब पैटर्न को फोलो करती है। आपने विशेष तौर पर एन.पी.एस. (New Pension Scheme) का ज़िक्र किया। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2003 से एन.पी.एस. लागू हुई। जब यह स्कीम लागू हुई तो उस समय प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारत सरकार ने एन.पी.एस. को वर्ष 2004 में लागू किया यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने एन.पी.एस. को केंद्र सरकार से पहले लागू कर दिया। उस समय हम सत्ता में नहीं थे। हम लोग उस समय विपक्ष में थे। लेकिन आज की तारीख में पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में एन.पी.एस. लागू है। केरल में पहले ओ.पी.एस. (Old Pension Scheme) थी परंतु अब केरल ने भी एन.पी.एस. को लागू कर दिया है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

22.08.2019/1110/बी0एस0/ए0जी0-1

जो माननीय सदस्य ने पैंशन और डिसऐबिलिटी वाले इश्यूज रेज़ किए हैं, उस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि विभाग में केन्द्र सरकार द्वारा इनवैलिड पैंशन, डिसऐबिलिटी पैंशन, फैमिली पैंशन व डैथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लाभ अस्थाई तौर पर कर्मचारियों पर लागू करने की संभावनाओं का परीक्षण किया था, परंतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेश दिनांक 05.05.2009 व 02.07.2009 एन.पी.एस. स्कीम के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके अलावा इन लाभों को निर्धारित करने के लिए कोई नियम भी नहीं बने थे। इसलिए सीमित संसाधनों के मध्यनजर इनवैलिड पैंशन, डिसऐबिलिटी पैंशन व फैमिली पैंशन का लाभ एन.पी.एस. कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया गया था। प्रदेश सरकार में मामला भारत

सरकार के ज्ञापन दिनांक 05.05.2009 व 02.07.2009 के संदर्भ में बनाए गए वैधानिक नियमों से अवगत करवाने हेतु उठाया गया था। इस संदर्भ में भारत सरकार ने अपने पत्र माह फरवरी, 2019 द्वारा जानकारी दी कि उपरोक्त पत्रों द्वारा दिए गए लाभों के संदर्भ में नियम बनाने का कार्य अभी भी विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, यह वस्तुस्थिति है।

जहां तक एक और बात माननीय सदस्य ने कही है कि "एक निशान, एक विधान, एक प्रधान" यह तो पूरे देश में हो ही गया और इस बात को आप भी अवश्य मानेंगे। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश ने एन.पी.एस. को लागू कर दिया। एक पश्चिम बंगाल को छोड़ करके यह पूरे देश में लागू हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह पश्चिम बंगाल में भी लागू हो जाएगा क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो वह सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का उनके साथ काफी करीबी रिश्ता है इसका आप भी अध्ययन करें, आजकल वहां पर दीदी जी की सरकार है, आर्थिक स्थिति वहां पर अच्छी नहीं है। कर्मचारियों को सैलरी भी वहां आधी दी जाती है। क्या हम भी ऐसे हालात प्रदेश में पैदा कर लें कि हम कर्मचारियों को सैलरी भी देने की स्थिति में न रहें? मुझे लगता है कि जो प्रश्न का उत्तर मैंने सदन में दिया है इसमें सारे पक्ष शामिल किए गए हैं। यही मुझे इस संदर्भ में कहना है।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 40 प्रतिशत डिसऐबिलिटी व डैथ वाले केसिज हैं, ये गिने - चुने ही केसिज हैं, बहुत ज्यादा नहीं हैं। बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक सिग्नल है, are we sensitive to the person who dies on duty? Are we sensitive to the person? जो दुर्घटना से 40 प्रतिशत डिसऐबिलिटी तक पहुंच जाता है, It is only expressing our Sympathy और कितना धन इसमें इंवोल्व होगा।
दूसरी बात, जो ग्रेच्युटी है वह एक अधिकार है, कैसे इसे बंद कर सकते हैं। भारत सरकार ने कहा दिया है कि हम भी ग्रेच्युटी देते हैं। परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि हमने वर्ष 2017 से कहा कि हम देंगे इसमें हमने यह नहीं कहा गया कि हम नहीं देंगे। केवल मात्र प्रश्न यह है कि कितने लोग इसमें होंगे। चुनिंदा केसिज होंगे । जो वर्ष 2003 से 2017 के बीच में रिटायर हो

गए वे तो उस ग्रेच्युटी से बंचित हो गए। It is a matter of natural justice. It is a matter of their right. Should they go to the court? अगर आपके होते हुए उन्हें कोर्ट जाना पड़े तो इस एक विधान का क्या होगा? इस एक विधान को आप लागू कर दें, तब पता लगेगा कि वाकई आप दिल से एक विधान को चाहते हैं। अन्यथा ऐसा सिग्नल जाएगा कि जम्मू-कश्मीर में तो आप कुछ और करना चाहते हैं और जब आपकी अपनी बारी आई तो आप एक विधान लागू नहीं करना चाहते।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी हो गया।

22.08.2019 /1115/DT/AG/-1

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने अप्रैल, 2018 में नई पेंशन स्कीम के तहत ग्रेच्युटी दी है, all financial benefits are given prospectively. दूसरा, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसमें कुछ गिने-चुने मामले हैं, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। यदि केन्द्र सरकार इस संदर्भ में कोई परिवर्तन करती है क्योंकि हम पेंशन के लिए केन्द्र सरकार के पैटर्न को फोलो करते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय मुख्य मंत्री जी, फैक्ट्स को ठीक कर दें क्योंकि जब पेंशन पद्धति बन्द हुई थी तो उस समय दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तो आप लगातार यह मसला उठाया करते थे कि पुरानी पेंशन कब बहाल होगी? अब आप सत्ता में है और और आप यह आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यह केंद्र पैटर्न पर निर्भर है। अब आप इस 2003 वाली स्कीम को लागू करें। सुविधा की राजनीति आप न करें। आप यह न कहें कि हम कर्मचारियों के वेतन के लिए पंजाब को फोलो करते हैं और पेंशन के लिए पंजाब को फोलो नहीं करते । आप कोई एक मॉडल तो फोलो करें। पंजाब ने अगर कुछ दिया है तो उसे आप भी दें। आप तो कर्मचारियों के हितैषी हैं। यह इंप्रैशन भी दिया जा रहा है कि आप कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस विधायक दल के नाते

यह चाह रहा हूं और आप लोग भी इस बात को कहते रहे हैं कि हम वर्ष 2003 की पेंशन को बहाल करेंगे तो इसके लिए आप यहां से घोषणा कीजिए कि हम पुरानी पैंशन को बहाल करेंगे। ...(व्यवधान)... आप मूल प्रश्न के पीछे पड़े हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री है और आपको माननीय मुख्य मंत्री की तरह पूरी जानकारी होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... इसको अच्छे से पढ़िए इसमें मुकेश अगिनहोत्री, हरोली लिखा है। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप संसाधनों की बात मत करो। केंद्र में आपकी सरकार है, यहां आपकी सरकार है इसलिए वर्ष 2003 की पैंशन प्रणाली को प्रदेश में लागू किया जाए। जो पंजाब ने 65-70-75 वर्ष की आयु में पैंशन प्रतिशत बढ़ाने की योजना लागू की है उसे आपको भी लागू करना चाहिए। यह बहुत उपयुक्त समय है कि आप इन चीजों को इंप्लीमैंट करें।

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम 1972 से भारत सरकार के पैंशन पैटर्न को फोला कर रहे हैं। जो आप आदरणीय अटल जी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि यह स्कीम पूरे देश में 2004 में लागू हुई जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे मई, 2003 में लागू कर दिया। इस मामले में आपको ही श्रेय दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रेदश सरकार ने अपने संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए नई पेंशन एन0पी0एस0 के अंतर्गत आने वाली कर्मचारियों के हित में सरकारी अंशदान की सीमा Government contribution दिनांक 1.4.2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने के आदेश दिनांक 22.4 .2019 को जारी कर दिए हैं और इससे

22-08-2019/1120/डी.सी.-एन.जी./1

लगभग 80 हजार एन0पी0एस0 कर्मचारियों को सालाना 175 करोड़ रूपये का लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हमारे आर्थिक स्थिति को भी देखें तो हिमाचल प्रदेश में टैक्स व नोन-टैक्स से कुल आय लगभग 10,000/- (दस हज़ार) करोड़ रूपये होती है और हम सैलरी और पैंशन में ही लगभग 19,000/- (उन्नीस हज़ार)

करोड़ रूपये खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमारी भावनाएं/संवेदनाएं बहुत है परन्तु उन्हें दफन करना पड़ रहा है। हमारे संसाधन इसे लागू करने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिती में भी जहां तक सम्भव हो सकता है हम कार्य कर रहे हैं। देश भर में कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करने वाले प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश को गिना जाता है। हमारे यहां सैलरी समय पर दी जा रही है, पैंशन समय पर दी जारी है और अन्य सभी सुविधाएं भी कर्मचारियों को समय पर दी जा रही हैं और हमें इस बात का सन्तोष है। हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के बावजूद यहां कर्मचारियों और पैंशन धारकों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार के माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग तक आवश्यक लाभ पहूंचे और समय पर पहूंचे यह हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम काम कर भी रहे हैं। धन्यवाद।

प्रश्न संख्या - 1282

श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदय,मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो सूचना आपने सभा पटल पर रखी है उसके अनुसार किसी भी मुख्य मंत्री लोक भवन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। आपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि सितम्बर माह तक इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस योजना के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री लोक भवन का निर्माण किया जाना है और उसके लिए सरकार द्वारा 30-30 लाख रूपये दिए जाएंगे। यदि लोक भवन को बड़ा बनाना है तो सम्बन्धित विधायक को अपनी विधायक निधि से वांछित धनराशि देनी होगी।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब लोक भवन का शिलान्यास किया जाएगा तब उसमें माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी का नाम तो होगा, क्या लोकल विधायक (पक्ष या विपक्ष) का नाम भी उसमें शामिल किया जाएगा? कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र के तक्कीपुर में मुख्य मंत्री लोक भवन का निर्माण किया जाना है। उसके लिए आपने 20 लाख रूपये जारी किए थे परन्तु यह लैप्स हो गए। अब आपने प्रश्न के उत्तर में

कहा है कि 21-08-2019 तक विभाग को दोबारा यह धनराशि जारी कर दी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लोक भवन को निर्माण करने के लिए एग्ज़िक्यूटिव एजेंसी कौन होगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017-18 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने "मुख्य मंत्री लोक भवन योजना" का प्रावधान किया था। उसके बाद विभाग द्वारा 30-06-2018 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक मुख्य मंत्री लोक भवन का निर्माण करेगी और उसके लिए 30-30 लाख रूपये देगी।

इस योजना को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा यह थी कि वर्तमान में जितने भी परिवेश हैं, गांव में छोटे-छोटे काम करने के लिए, बारातों के स्वागत के लिए, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों के लिए पंचायत के वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाता हैं लेकिन अब इनकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। अब समय की भी मांग है कि पंचायत स्तर पर ऐसे बड़े लोक भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोक भवन बनाने के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को 30-30 लाख रूपये दिए।

22/08/2019/1125/RG/DC/1

मैं समय-समय पर इस बारे में बाकायदा बैठकें भी करता रहा हूं। क्योंकि हम सब इस बात से परिचित हैं कि भूमि स्थानान्तरण का काम आज एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि सरकारी विभागों के पास जमीनें नहीं रही हैं और जहां लैण्ड होल्डिंग है, वहां फॉरेस्ट आता है। इसलिए भूमि के ट्रांसफर में थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन अब हमने इस समस्या का समाधान कर दिया है और पूरे प्रदेश में आठ विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां माननीय विधायकों ने फॉरेस्ट से जमीनें मांगी हैं लेकिन वे अभी ट्रांसफर नहीं हो पाई हैं, बाकी जितने भी विधान सभा क्षेत्र हैं, हमने हर विधान सभा क्षेत्र को बीस-बीस लाख रुपये

स्वीकृत करके विभाग को पहुंचा दिया है। इसके अतिरिक्त हमने इसमें कुछ नए निर्देश भी जारी किए हैं, जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने पूछा है कि उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी कौन सी होनी चाहिए? इसमें हमने कहा है कि दिनांक 19-8-2019 को मुख्य मंत्री लोक भवन योजना के अन्तर्गत सामुदायिक भवन का कार्य तीव्रता से पूर्ण करने के लिए हमने कुछ न्यू गाईडलाइन्ज दी हैं जिसमें हमने कहा है कि मुख्य मंत्री लोक भवन योजना के अन्तर्गत सामुदायिक भवन का निर्माण जिस भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है, यदि वह भूमि पंचायत, पंचायती राज, नगर परिषद या नगर पंचायत की है तो उसको ट्रांसफर करने की कोई आवयश्यकता नहीं है। हमने इसमें ये नई इन्स्ट्रक्शन्ज जारी की हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक, कुल्लू ने भी इस बारे में मुझसे बातचीत की थी और इन्होंने पूछा था कि हमारा काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? मैंने इस बारे में विभाग से जानकारी ली थी तो पता चला कि जो जमीन सैंक्शन हुई है, जहां इन्होंने भूमि दी है, वहां लैण्ड डवलपमेंट में ही बहुत सारा पैसा खर्च होना है और उसमें ही यह पैसा लग जाएगा। जैसे 30,00,000/-रुपये हम दे रहे हैं और 15,00,000/-रुपये आप दे रहे हैं लेकिन 60-70 लाख रुपये तो लैण्ड डवलपमेंट का ही खर्चा बता रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करुंगा कि यदि आप चाहेंगे और कोई नई वैकल्पिक भूमि बताएंगे, तो हम उसको इसके लिए स्वीकृत करेंगे। उसी प्रकार से जो हमारी चौथी गाईडलाईन है कि जहां काम शुरू नहीं हुआ है, अगर काम शुरू हो गया तो कोई फेर-बदल नहीं होगा। इसलिए यदि माननीय विधायक कोई फेर-बदल उस साईट पर करना चाहेंगे तो हम साईट में फेर बदल भी करेंगे। इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी कौन होगी? तो उसमें हमने कहा है कि जो हमारा अधिशाषी अभियन्ता, रूरल डवलपमेंट है, एक तो हमने पहले स्टैण्डर्ड डिजाईन तैयार करवाया है, लेकिन फिर भी कई जगह वहां ग्राम पंचायतें अपने 14वें वित्त आयोग से पैसा देना चाहती हैं तो वहां वे 14वें वित्त आयोग से कनवरजैंस मॉडल में पैसा खर्च कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त हम मनरेगा से भी पैसा खर्च कर सकते हैं और माननीय विधायक या माननीय सांसद भी यदि वहां पैसा देना चाहें तो वहां की आवश्यकता के अनुसार उस पैसे से एक बड़ा लोक भवन चाहे तो वे अपनी मर्जी से डिजाईन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जहां तक टैण्डर्ज की बात है जब हम इसको कनवरजैंस में करेंगे तो वहां की जो पंचायत लेवल

की कार्य-समिति है, वही उसको बनाएगी और उसकी देखरेख बी.डी.ओ. करेंगे। लेकिन जो उसका स्टैण्डर्ड डिजाईन है, उसकी टैक्नीकल अप्रूवल अधिशाषी अभियन्ता, रूरल डवलपमेंट देंगे और सात दिन के अन्दर उनको उसकी स्वीकृति देनी होगी। यदि वे सात दिन के अन्दर स्वीकृति नहीं देते हैं तो पंचायत या बी.डी.ओ., हमारे अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग किसी से भी उसकी टैक्नीकल सैंक्शन ले सकते हैं।

22/08/2019/1130/MS/HK/1

यह भी हमने प्रावधान किया है। यह प्रावधान इस करके ही किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि दो वर्ष के भीतर यानी 31 मार्च, 2020 तक 68 विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर सामुदायिक भवनों का कार्य पूरा हो जाए। मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद और विधायक इसमें अपना योगदान देने के लिए जरूर आगे आएं। यही मेरा निवेदन है लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी मैं अवगत करवा देना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी काफी विस्तृत उत्तर आ गया है।

श्री राम लाल ठाकुर(श्री नैना देवीजी): माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया था उसके "क" भाग के बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि दो साल के अन्दर-अन्दर "मुख्य मंत्री लोक भवन योजना" के अंतर्गत सामुदायिक भवनों का निर्माण हो जाएगा। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां सब जगह एक जैसी नहीं हैं। जब आपने कार्यक्रम रखा था तो उसमें आपने साथ में यह भी प्रोविजन किया था कि अगर मान लो एक के बजाये कोई विधायक दो जगह भवन का निर्माण करवाना चाहेगा तो विधायक को 15 लाख रुपये देने पड़ेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जुखाला में गए और आपने वहां घोषणा की कि इसी साल जुखाला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मैंने इस हेतु 15 लाख रुपये छः महीने पहले दे दिए थे और वहां पर ज़मीन के कागज़ भी चले गए हैं। जिस भूमि पर वह भवन बनना है वह ज़मीन कोई वन विभाग की नहीं है बल्कि वहीं पर सरकारी ज़मीन है जो कि कॉमन लैण्ड है। दूसरा हमने कहा था कि स्वारघाट में एक स्वाण पंचायत है और वहां पंचायत के नाम से जगह है। उसमें आपके प्राक्कलन बन गए हैं और आपने 20 लाख रुपये भी दे दिये हैं लेकिन वहां पर दोनों जगहों में काम शुरू नहीं करवा रहे हैं। मैं

यह कहना चाहता हूं कि जहां पर कोई बॉटल-नैक है ही नहीं और न ही वहां पर ज़मीन का कोई झगड़ा है क्योंकि पंचायत की ज़मीन है और कॉमन लैण्ड है तथा उसके लिए विधायक ने 15 लाख रुपये भी दे दिए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि छः महीने से मैंने उसके लिए पैसा दे रखा है लेकिन वहां काम शुरू नहीं हुआ है, वह काम कब शुरू होगा?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी उत्तर थोड़ा संक्षेप में दें और प्रश्न भी सभी माननीय सदस्य संक्षेप में पूछें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि श्री नैना देवीजी के लिए इन्होंने 15 लाख रुपये दिये हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 15 लाख रुपया जो इन्होंने अतिरिक्त मांगा है, वह पैसा भेज दिया गया है और यह काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। सितम्बर महीने तक फॉरमेलिटीज पूरी करके काम शुरू हो जाएगा, यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री सुख राम (पांवटा साहिब)ः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पांवटा विधान सभा क्षेत्र के गांव भरली में हमने सामुदायिक भवन हेतु 8 महीने पहले प्राइवेट ज़मीन दी थी, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, उस समय अम्बेदकर भवन बने थे और उनको बनाने का आपने स्टैंडर्ड डिजाइन रख दिया। लाहौल-स्पिति, किन्नौर और सिरमौर सभी जगहों पर एक जैसा डिजाइन रखा। मेरा यह कहना है कि डिजाइन स्थान विशेष के हिसाब से होना चाहिए। अब हमारे वहां पर उन भवनों की छतों पर टिन डाल दी जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे वहां स्लैब डलता है। इसमें मेरा निवेदन है कि आप जो इसका स्टैंडर्ड डिजाइन बनवा रहे हैं, वह उस क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने तो पहले ही कह दिया है कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिजाइन दिया हुआ है। लेकिन अगर माननीय सदस्य उसमें कोई और चीज जोड़ना चाहते हैं, जैसे अगर ये उसमें अपना पैसा देना चाहते हैं, मनरेगा से कन्वरजैंस में करना चाहते हैं, 14वें वित्तायोग से

मिली ग्रांट से करना चाहते हैं या बड़ा लोक भवन बनाना चाहते हैं तो हमने नई इन्स्ट्रक्शन्ज दी हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री पवन कुमार काजल(कांगड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह जो सामुदायिक भवनों के लिए पैसा दिया है, इसमें मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि पंचायतों और बी0डी0ओ0 के माध्यम से जो आप पैसा डायवर्ट कर रहे हैं, ये भवन उससे बनने वाले नहीं हैं।

22.08.2019/1135/जेके/एचके/1

पंचायतों में हम विधायक निधि से और एम0पी0 लैड से पैसे देते हैं। वे काम भी नहीं होते हैं फिर ये 30 लाख की बिल्डिंग कैसे बना देंगे? वहां पर क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा। वहां पर वाइब्रेटर और मिक्सर नहीं होंगे और ब्लॉक इंजीनियर भी नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी शरूआत है। आपने लोक भवन बनाने की बात की है तो इसकी जो एग्ज़िक्युटिव एजैंसी है, वह इसको सीधे पी0डब्ल्यू0डी0 को दें, क्योंकि इसमें हम सभी का इंट्रस्ट है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, यह मुझे भी उचित लगता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि जो पंचायतें और कार्य समिति कार्य करने में सक्षम नहीं होंगी, इसको देखते हुए हमने टैक्निकल विंग बना दिया है। गुणवत्ता का हम पूरा ध्यान रखेंगे। गुणवत्ता देखने के लिए जो हमारे बी0डी0ओज़0 हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की है । वे गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखेंगे। जो पंचायतें सक्षम नहीं होंगी, उन पर अलग से गौर किया जाएगा।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, तीन साल बाद पंचायत घर का लिंटर गिर जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी और बहुत विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी ने इस सारे विषय में दी है। मुझे लगता है कि उसमें अब बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से हमारी मुख्य मंत्री लोक भवन की भावना तब जागृत हुई क्योंकि इससे पहले पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी विधान सभा क्षेत्रों में अम्बेदकर भवन बनाने की पहल हुई थी। उस पहल के अनुसार हमने देखा कि बहुत जगह जहां पर अम्बेदकर भवन बनाए गए वे बहुत ही उपयोगी साबित हुए, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत खुली जगह नहीं होती है। लोगों के घरों में कोई कार्यक्रम को करने के लिए, फंक्शन करने के लिए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई पब्लिक प्रोग्राम करना है, मौसम खराब है, ऐसी परिस्थिति में अम्बेदकर भवन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, गांव में शादियां हो रही हैं तो गावं में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उसका उपयोग बहुत हो रहा है। उसके बाद हमने सोचा कि विधान सभा क्षेत्रों में इस प्रकार का एक ही भवन हो तो उससे गुज़ारा नहीं हो सकता इसलिए हमने इसमें अपना थोड़ा खुलापन दिखाया। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में 30 लाख रुपये की लागत से सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक-एक लोक भवन बनाएंगे। हमने कहा कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति है, जहां क्षेत्र बिखरा हुआ है, वहां पर अगर माननीय विधायक को लगता है कि वहां एक और लोक भवन बनना चाहिए, हमने कहा कि उसके लिए विधायक निधि से 15 लाख सम्बन्धित विधायक और 15 लाख रुपये सरकार देगी। हमारी यह स्पष्ट मंशा थी लेकिन उसमें व्यवहारिक चीज आ रही है, उस योजना को शुरू करने में लगभग दो साल का कार्यकाल हो रहा है लेकिन जितनी गति उसको पकड़नी चाहिए थी, वह गति उसमें नहीं पकड़ी जा रही है। यहां पर एक सुझाव दिया गया हालांकि हमारा जो टैक्निकल विंग है, वह काफी स्ट्रैंथन हो गया है। आपकी परिस्थिति (श्री विनय कुमार जी की) अलग हो सकती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ग्रामीण विकास विभाग या पंचायत यह महसूस कर रही है कि हम इस काम को करने में सक्षम नहीं है, अभी तक हमने तय किया था कि इस काम को ग्रामीण विकास विभाग ही करेगा लेकिन हम इसमें खुलेपन से सोचते

हैं, इसमें जहां ऐसी परिस्थिति लगेगी वहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग भी इस काम को कर सकता है, यह मैं यहां पर कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

प्रश्न संख्याः 1283

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और लोग भी बड़ी अपेक्षा करते हैं कि जिस सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं वह लोगों में दिखाई भी देना चाहिए।

22.08.2019/1140/SS-YK/1

अब ड्राईवरों के इंटरव्यू सी0सी0टी0वी0 कैमरे के अंदर आते हैं लेकिन ये जो भर्तियां हुईं, उसमें कुल 682 चालक तथा 1585 परिचालकों की नियुक्ति की गई। जिनमें 226 चालक वर्ष 2016-17 में, 324 चालक वर्ष 2017-18 में तथा 131 चालक वर्ष 2018-19 में नियुक्त किये गए हैं। जबकि 498 परिचालक वर्ष 2016-17 में और 1087 परिचालक वर्ष 2017-18 में नियुक्त किये गए। जिनका पते सहित ब्यौरा मैंने देख लिया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो आपने 498 परिचालक रखे, इसमें आधे लोग स्पैसिफिक एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रखे गए हैं। यह अखबारों में भी आया और मामले कोर्ट में भी गए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने साक्षात्कार लिये, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या उनके खिलाफ कोई मामला कोर्ट में अंडर कंसीड्रेशन है या उनके खिलाफ विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि 498 में से आधे लोग एक ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र से रख लेना कहां का न्याय है! माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तरफ हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और ये जो आपने तीन सालों का रिकॉर्ड दिया है इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे, उनका हमने विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वह बहुत जैनुअन है। हमारी सरकार बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और पारदर्शी तरीके से काम होना ही चाहिए। **जहां तक इन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में जो 498 परिचालक रखे गए थे, वे अधिकतर**

एक ही क्षेत्र विशेष से हैं। यदि ऐसा है तो हम इसकी जांच करवायेंगे। उसमें यदि लगता है कि कहीं पर ऐसी गलती हुई है तो उसमें उचित कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2003-04 की भी कुछ इस प्रकार की भर्ती प्रकिया में गड़बड़ हुई थी, पहले विभाग में और अब माननीय उच्च न्यायालय में उसके ऊपर कार्रवाई चली है। उसमें जो उचित होगा, उसको हम करेंगे। लेकिन मैं इस बात का आश्वासन सरकार की ओर से सदन में देता हूं कि अब एच0आर0टी0सी0 के अंदर जो भी भर्ती प्रक्रिया चलेगी वह बहुत पारदर्शी तरीके से होगी। बिल्कुल मैरिट के आधार पर अभी ड्राइविंग टैस्ट भी हुआ और आगे भी जो चालक/परिचालक होंगे वे मैरिट आधार पर लगेंगे।

अध्यक्षः रमेश ध्वाला जी, क्या आपने कुछ पूछना है? आप इशारा करो, तभी मैं आपका नाम बोलूंगा।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि जिन अधिकारियों ने यह गलत काम किया है क्या माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं? क्या मामला सब-ज्यूडिस है या आपने उनके ऊपर कोई ऐक्शन लिया है? 1087 परिचालक जो रखे, वह तो मैंने देख लिये कि वे हार्ड कांस्टीचूऐंसी से भी हैं और हर जिले से लोग लिये गए हैं। लेकिन 498 परिचालकों का पहले ही पेपर लीक हो गया और लोगों को पेपर की पहले से ही सारी जानकारी थी और वे सारे-के-सारे लग गए। क्या भविष्य में इसमें पारदर्शी तरीके से इंटरव्यू लिये जायेंगे? वह कौन एजेंसी है जिसने पहले ये इंटरव्यू लिये और आगे के लिए आप किस एजैंसी से इंटरव्यू करवायेंगे ताकि भर्ती में पूरी पारदर्शिता हो?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य ने 1087 टी0एम0पी0ए0 की भर्ती की बात की है। पिछले कल भी जब चर्चा आई थी तो उसमें हमने कहा था कि उनकी लिखित परीक्षा हुई थी और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक आरोप यह था कि एक ही क्षेत्र विशेष के अधिकतर लोग हैं

22.08.2019/1145/केएस/वाई के/1

लेकिन जब हमने पूरी सूची देखी तो पाया कि उसमें मैरिट पर बच्चे आए थे और प्रदेश के सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों के उसमें केंडिडेट थे। यह ठीक है कि प्रदेश की पॉपुलेशन के आधार पर कांगड़ा जिला के सबसे अधिक थे, फिर मण्डी जिला था, उसके बाद शिमला था, इस प्रकार से था और जब हमें लगा कि सबकुछ मैरिट के आधार पर हुआ है, तब हमने 1087 लोगों को रखा। **जो 498 की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन्क्वायरी करेंगें यदि ऐसी गड़बड़ होगी। उस समय जो अधिकारी इसमें शामिल थे, दोषी पाए गए तो उन पर जो भी कार्रवाई करनी है, वह हम करेंगे ।** आने वाले दिनों में चालक, परिचालक के जितने भी टैस्ट होंगे, विशेषतौर पर परिचालक का जो रिटन पेपर होता है, उसमें हमने कहा है कि हिमाचल रोड़ ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन अपने आप यह रिटन पेपर नहीं करवाएगी। एजुकेशन बोर्ड , टैक्निकल एजुकेशन बोर्ड, एच.पी.युनिवर्सिटी या किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो, से पेपर करवाएंगें ताकि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे । ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः कृपया बीच में न बोलें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। यह कितना इंट्रस्टिंग है कि मंत्री जी के उत्तर से दूसरे मंत्री (शहरी विकास मंत्री) ही परेशान हो गए और पूछ रहे हैं कि यह कैसी पारदर्शिता है?

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लगातार अख़बारों में आ रहा है कि आपके चालक-परिचालक भर्ती में दो लोग ऐसे सीलैक्ट हो गए जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया था। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप सही स्थिति का उल्लेख सदन में करें।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मुकेश जी जो कह रहे हैं, मंत्री परेशान नहीं हो रहे हैं। यहां पर सारा कार्य मैरिट पर हो रहा है। बिना लिखित परीक्षा दिए पास होना, यह रिवाज़ इनके समय में था, अब नहीं है।

दूसरा, मुकेश जी ने कहा कि अभी ड्राइवरों के टैस्ट में दो रोल नम्बर- 31,805 और 31,812 के केंडिडेट्स ने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके बावजूद वे लग गए। जैसे ही हमारे ध्यान में यह बात आई, हमने 20.02.2019 से ड्राइविंग टैस्ट प्रारम्भ कर दिए थे जो कि हमने 12 तारीख़ तक कम्पलीट करने थे लेकिन, 10 तारीख़ को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। कुछ लोगों का उसके बाद ड्राइविंग टैस्ट डिविज़न लैवल पर लोकल कांगड़ा, जस्सूर में हो रहा था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण उनकी डेट आगे चली गई जो 3 जून को दोबारा से शुरू हुए। उन्हीं में से ये दो नाम हैं। बल्कि इस तरह के बाद में 38 रोल नम्बर और निकाले गए थे। हमने भी जांच की और पाया कि ये सभी लोग वे थे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले रह गए थे। उसमें हमारे टोटल केंडिडेट्स थे, शिमला में 1529 लोगों ने, मण्डी में 2129 ने और हमीरपुर में 2348, धर्मशाला में 1814 लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें टोटल 7850 केंडिडेट्स आए थे। जिसमें से अपीयर 6722 हुए। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में जब यह बात आई तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने तुरंत कमीशनर, ट्रांस्पोर्ट को आदेश दे कर इसके ऊपर एक इन्क्वायरी बिठाई । मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ूंगा तो समय लग जाएगा लेकिन उसमें यह कहा है कि जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके एडमिट कार्ड हैं, उन्होंने वहां पर टैस्ट दिया है और विडियोग्राफी हुई है, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं और उसके बाद फाइनल टैस्ट शिमला में हुआ, उसके बाद ये सब हुआ है। उसमें विडियोग्राफी समेत हर चीज़ का प्रूफ है, 38 के 38 केंडिडेट्स में ऐसा कोई नहीं है यह ट्रांस्पेरेंट तरीके से हुआ है।

22.8.2019//1150/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 1284

श्री पवन नैय्यर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुलाड़ा को बनते हुए 13 साल का समय हो गया है जिसके लिए मैं बड़ा हैरान हूं। इसकी 98,59,200/- रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग के पास पड़ी हुई है और आपने अपने लिखित उत्तर में जो 97,96,000/- रुपये की राशि दी है; यह गलत है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना

चाहता हूं कि सबसे पहले तो यह जांच की जाए कि इस पी0एच0सी0 का निर्माण कार्य 13 वर्षों तक क्यों लटका रहा। मैं वर्ष 2018 में धुलाड़ा पंचायत में गया था और उस समय मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने इस बारे में बताया था। उसके बाद सी0एम0ओ0 और एक्सियन साहब ने मौके का निरीक्षण किया। वहां पर डेमेज़ हुई दीवार के लिए जो अमाऊंट सैंक्शन किया है मैं उसके लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य भी जल्दी-से-जल्दी पूरा होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है क्योंकि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य काफी वर्षों पहले शुरू होना था परंतु यह शुरू नहीं हो सका। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार इसके लिए माकूल राशि दे दी गई है। दूसरा, माननीय सदस्य ने अपने-आप ही बता दिया है कि जहां इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना था वहां वर्ष 2017 में लैंडस्लाइड हुआ था। उस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अगर दीवार का निर्माण न किया जाता तो शायद वहां निर्माणाधीन भवन क्षतिग्रस्त हो सकता था। लोक निर्माण डिविज़न चम्बा और सी0एम0ओ0, चम्बा के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी गई तथा उसके बाद इसके लिए आकलन तैयार किया गया। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि वहां लैंडस्लाइड को रोकने के लिए बन रही दीवार हेतु 29,41,600/- रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि **भवन और दीवार के निर्माण हेतु धनराशि भेज दी गई है और उसका काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।**

प्रश्न संख्या : 1285

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने यहां पर सब कुछ डिज़िटल कर दिया है। मगर यहां प्रश्न ही बदल दिया गया और अब तो यह मेरे पास है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सचिवालय से कहें कि ऐसा न करे क्योंकि अब तो सब कुछ डिज़िटल है। हमने मंत्री जी से जनवरी, 2018 से जुलाई, 2019 तक की सूचना मांगी है। इनकी सुविधा के मुताबिक अब इस प्रश्न को टिल्ट करने का प्रयास किया गया है।

जब से यह सरकार बदली है तब से सीमेंट का रेट सौ रुपये से अधिक प्रति बोरी बढ़ चुका है और यह निरंतर बढ़ता जा रहा है तथा यह सबका कनसर्न है। मैं जब मंत्री था तो आप यह सवाल उठाते थे, आज आप मंत्री है तो मैं आपसे यह सवाल उठा रहा हूं कि (...व्यवधान...) नहीं, नहीं।

22.08.2019/1155/टी.सी.वी./ए.जी.-1

उस समय सीमेंट का रेट 270 से 280 रुपये था और आज 380 से 390 रुपये हैं। सीमेंट की बोरी 100 से 110 रुपये महंगी हुई है। आप कह रहे हैं कि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से कह रहा हूं कि सीमेंट कम्पनियों को बुलायें, उनसे डायलॉग करें और सीमेंट के रेट कम करवायें। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनता है। आपको 2-4 महीने के अंदर इनसे डायलॉग करना पड़ेगा अन्यथा जिस ढंग से इन्होंने 100-110 रुपये प्रति बोरी सीमेंट का रेट बढ़ाया है, यह लगातार बढ़ता जाएगा। आपने कहा कि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वह वर्षों से हम सबको मालूम है लेकिन सीमेंट के दाम आप किसी ढंग से नियंत्रित रखेंगे? यदि आप सरकारी सीमेंट के रेट के बराबर इसका दाम करने के लिए प्रयास करेंगे तो समझा जाएगा कि आपने बतौर मंत्री कोई काम किया है।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी स्वंय ही दे दिया है। आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। फिर आप इस विषय को क्यों उठा रहे हैं? आपको पता है कि इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है लेकिन आपने जो सुझाव दिए हैं, उस पर हम गौर करेंगे। आपने सीमेंट की बोरी का दाम 100 से 110 रुपये अधिक बताया है, यह गलत है। आपने जो मूल प्रश्न किया है, अब उस पर चर्चा करते हैं। मेरे पास वर्ष 2018 की सूचना उपलब्ध है। आपके समय में सीमेंट का रेट 385 रुपये प्रति बोरी था। दिनांक 16.04.2019 को इसका रेट 378 रुपये हुआ और 31 जुलाई, 2019 को 380 रुपये प्रति बोरी हुआ। यह मैं शिमला का रेट बता रहा हूं। ऊना में उस समय यह रेट 335 रुपये था। दिनांक 16.04.2019 को यह 370 रुपये प्रति बोरी हो गया। उसमें बाद कंपनी

वालों से बातचीत करने के पश्चात यह 355 रुपये प्रति बोरी हो गया और इसमें 15 रुपये कम किए गये। ऊना में इसका रेट 8 रुपये से 15 रुपये प्रति बोरी कम हुआ है। लेकिन इसका रेट तब बढ़ा है, जब पाकिस्तान के सीमेंट का विषय आया था और यह हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं बढ़ा बल्कि पूरे देश के अंदर इसके रेट्स बढ़ें हैं। हम इन सीमेंट कंपनियों के साथ लगाता संपर्क में हैं। इसके दाम बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं, यह आप जानते हैं। इसका रेट कितना है, भाड़ा कितना है? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। फ्रेट चार्जिज़ हिमाचल प्रदेश में 9.55 रुपये प्रति किलोमीटर, प्रति टन, प्रति वे हैं और जम्मू-कश्मीर में 5.50 रुपये, हरियाणा में 3.75 रुपये और पंजाब में 3.50 रुपये हैं। इसके कारण ही सीमेंट के रेट में अंतर है।

श्री हर्षवर्धन चौहान(शिलाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिला ऊना के बारे में बात की गई। मैं जानना चाहता हूं कि सीमेंट का रेट ऊना में ही क्यों कम होता है बाकी 11 जिलों में इसके रेट कम क्यों नहीं होते हैं? क्या माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी सीमेंट का रेट कम हो?

उद्योग मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऊना के बारे में पूछा था, इसलिए मैं उनको वहां के बारे में बता रहा था। माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी, सिरमौर में वर्ष 2018 में सीमेंट का रेट 340 रुपये प्रति बोरी था और उसके बाद इसका रेट 375 हुआ। जिला ऊना में यह भाड़े के कारण कम हुआ है।

प्रश्नकाल समाप्त

22-08-2019/1200/NS/DC/1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष: माननीय मुकेश जी आपका क्या विषय है। आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बीती रात एक बड़ी गंभीर घटना घटित हुई। देश के पूर्व वित्त मंत्री ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय मुकेश जी इसका नोटिस नहीं दिया है। मैं बिना नोटिस के आपको अलौ नहीं करूंगा। ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस ढंग से ---(व्यवधान)---

Speaker: Please, ---(interruption)--- Not to be recorded. ---(Interruption)---
.

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों व विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाज़ी व शोरगुल)

<u>कागजात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, अधीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्याः टी0एस0एम0-ए(3)-3/2010 दिनांक 25.02.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.03.2019 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विधान सभा की **कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन**

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह, कार्य-सलाहकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि उसे अंगीकार किया जाए।

कर्नल इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करता हूं तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी करता हूं।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि " यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने सप्तम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है"।

तो प्रश्न यह है कि "यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने सप्तम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है"?

प्रस्ताव स्वीकार

22.08.2019/1205/RKS/DC-1

(कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य माननीय सदन से बहिर्गमन कर गए।)

अध्यक्षः इससे पहले कि माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहें, मैं माननीय सांसद, श्री रामस्वरूप जी जो आज इस माननीय सदन में आए हैं, इनका अभिनंदन करता हूं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात कह सकते हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मामले को लेकर विपक्ष की ओर से शोर किया जा रहा है, यह बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को सहजता से नहीं लिया जा सकता। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार बनी है उसकी देश के प्रति एक प्रतिबद्धता है कि भ्रष्टाचार को जड़-मूल से खत्म किया जाए। इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दूसरा, यह सरकार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। जो तथ्य हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता। Mr. P Chidambaram was arrested only when Delhi High Court rejected his plea of anticipatory bail after hearing his case for one year. यह मामला एक साल से माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जब हाई कोर्ट ने anticipatory bail देने से मना किया तो उसके बाद ही उन्हें गिरफ़्तार किया गया। After rejection of bail CBI and ED issued him summon to appear but he did not

appear. BJP will ensure that Law will be applied on everyone equally whether he is rich or poor, VIP or ordinary human being.

अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट ने उनके बारे में टिप्पणी की है, वह बहुत गंभीर है। In a strongly worded order, the court said prima facie proof shows Mr. P Chidambaram appeared to be the kingpin, the key conspirator in this case. The "magnitude and enormity" of the material produced by the investigating agencies "dis- entitles him from any pre-arrest bail", the court said. "This is an economic offence and has to be dealt with iron hands" . यह कोर्ट ने कहा है। "The hands of the investigating agencies cannot be tied up in such a massive economic offence," it said.

22.08.2019/1210/बी0एस0/एच0के0-1

The judge also said he petitioner has been "evasive in his replies and has not cooperated with the investigations". माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी कहा गया है। यह लम्बी जजमेंट हैं, मैं तो सिर्फ कुछ ही बिंदुओं के बारे में बता रहा हूं। ED contended that the companies in which money was transferred are directly or indirectly controlled by Chidambaram's son, Karti, and they have a reason to believe that the FIPB approval was granted to INX Media on his son's intervention यह मामला कोई छोटा नहीं है इसमें बड़े साफ शब्दों में कहा गया है। यह एक-दो करोड़ रुपये का मामला नहीं है। यह मामला लगभग 305 करोड़ रुपये का है। इसलिए ऐसे विषय को गंभीता से लेने की आवश्यकता है और इसे केन्द्र सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए। जांच हुई है और जांच के तहत माननीय हाई कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद वे माननीय सुप्रीम कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी। ऐसी परिस्थिति में उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि इस शोर को डालने से कुछ नही होने वाला है। जो सच्चाई है वह सच्चाई ही रहेगी। उसे विपक्ष के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। हम यह भी कह रहे हैं कि यह जांच का विषय है और

अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा तो दोष मुक्त होंगे। उन्हें तो जांच में सहयोग करना चाहिए। वे तो देश और दुनिया के जाने-माने वकील हैं। उन्हें तो सारी बातों की जानकारी है कि कानून की नजर में जो चीजें हैं उनपर कानून अपने तरीके से ही कार्य करता है। यहां पर जो विपक्ष के लोग बहिर्गमन करके गए हैं वे राजनीतिक मकसद से अपनी बात को यहां पर कह करके रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक प्रकार से न्यायालय पर टिप्पणी है। मैं समझता हूं कि इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस माननीय सदन से इस प्रकार बहिर्गमन करना कतई भी उचित नहीं है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इंदिरा गांधी मैंडिकल कालेज शिमला में गुर्दा प्रत्यारोपण बारे वक्तव्य देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज शिमला में गुर्दा प्रत्यारोपण के ऊपर जो काम शुरू हुआ है इसके बारे में मैं अपना वक्तव्य देने जा रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें हिमाचल प्रदेश सुविधाएं उपलब्ध करवाने में दूसरे राज्यों की तुलना में अच्छे राज्यों में गिना जाता है। दूसरा में यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सल हैल्थ केयर की चिंता हर सरकारें करती हैं। यह हर सरकार का एक टारगेट रहता है और उसको ले करके भी हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। जिन योजनाओं का लाभ हजारों में नहीं लाखों की संख्या में हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलना शुरू हुआ है। उन योजनाओं में चाहे हमारी हिमकेयर की योजना हो, चाहे आयुष्मान की योजना हो, चाहे वह सहारा हो, चाहे वह मुख्य मंत्री चिकित्सा कोष की योजना हो।

22.08.2019 1215/DT/HK/-1

बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं, इन योजनाओं का लाभ हजारों में नहीं अपितु लाखों लोगों को हिमाचल प्रदेश में मिलना शुरू हुआ है। उन योजनायों में चाहे हिम केयर योजना हो, आयुष्मान हो, सहारा हो, चाहे मुख्य मंत्री चिकित्सा कोष योजना हो। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सी बीमारीयों का इलाज शुरू हो गया है। दिल की बीमारी हो तो कार्डियोलोजी विभाग यहां पर है, सी0टी0 बी0एस0 विभाग यहां पर है, न्यूरो सर्जरी यहां पर होती है और अच्छे-अच्छे सर्जन भी यहां पर हैं। यहां अच्छे पैथोलोजिस्ट हैं, यहां पर ऑर्थो के भी ऑपरेशन होते हैं और घुटनों की रिप्लेसमैंट होती है। परन्तु हिमाचल प्रदेश को जो इंतजार था वह इंतजार खत्म हो गया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2018 में इसी माननीय सदन में एक कमीटमैंट की थी कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को आई0जी0एम0सी0 शिमला में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू कर दी जाएगी और उसके लिए धन की व्यवस्था भी 4 करोड़ रूपये कर दी गई। आज के बदले हुए इस परिवेश में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जीवनशैली बदल गई है, हमारा खान-पान बदल गया है और जब जीवन शैली बदल गई तो उस दवाब के कारण बहुत सी बीमारियों ने हमें जकड़ लिया है । हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हूं और बहुत से लोग अब ऐसे भी मिलने शुरू हो गए जो यह कहते हैं कि मैं डायबिटीज से पीड़ित हूं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रैसर का आपस में संबंध है और उसके कारण और इन बीमारियों के कारण सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति का कोई पार्ट प्रभावित होता है तो वह हमारा गुर्दा है, किडनी है यानी हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में लगभग बारह सौ रोगी ऐसे हैं जो किडनी/गुर्दा के रोग से ग्रसित हैं। हमने एक अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग तीन सौ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गुर्दे के प्रत्यारोपण की जरूरत है यानी यह काम आसान नहीं है, यह कठिन काम था। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने और

राजनीतिक विल के कारण हमने इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए हमने इस विषय को पी0जी0आई चण्डीगढ़, एम्स दिल्ली में उठाया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जो रोगी थे उनका किडनी ट्रांसप्लांट इससे पहले एम्स में होता था या चण्डीगढ़ में होता था। हिमाचल प्रदेश के लोगों का इस प्रकार का उपचार हिमाचल प्रदेश में हो इसके लिए बजट भाषण में बायकायदा पैसे की व्यवस्था की गई थी। हमने एम्स में इस मुद्दे को उठाया और वहां के डॉक्टर्ज़, हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग, आई0जी0एम0सी0 के डॉक्टर्ज़ और हमारे सभी विभागों के माध्यम से तथा सचिव हैल्थ के माध्यम से बार-बार बैठकों का दौर चला और जब एम्स के डॉक्टर्ज़ का दौरा यहां पर हुआ तो एक रोडमैप तैयार किया गया और उस रोड़मैप में आई0जी0एम0सी0 में कौन से ओपरेशन थियटर में गुर्दा प्रत्यारोपण होना है इत्यादि-इत्यादि बातों पर और आई0सी0यू0 के बैड निर्धारित किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ हमारे जो डॉक्टर्ज़ हैं क्योंकि जब गुर्दा प्रत्योरोपण होता है तो उसमें एक विभाग शामिल नहीं होता है

22-08-2019/1220/वाई.के.-एन.जी./1

उसमें यूरोलोज़ी, सर्जरी, पैथोलोज़ी और नैफ्रोलोज़ी विभाग भी शामिल होता है और इन तमाम डाक्टर्ज़ का एम्स अस्पताल में प्रशिक्षण हुआ है। अलग-अलग विभागों के डाक्टर्ज़, पैरा मैडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्सिज़, लैब टेकनीशियन आदि की ट्रेनिंग के बाद वो तैयार हो कर हिमाचल प्रदेश में आए और फिर वह शुभ घड़ी 12 अगस्त, 2019 भी आ गई जब इन्दिरा गांधी मैडिकल कालेज शिमला में दो लोगों का गुर्दा प्रत्यारोपण सफलता पूर्वक हो गया। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी लोगों के प्रति, जनता के प्रति आपकी एक कमिटमेंट थी, एक संवेदनशीलता थी और आपके प्रोत्साहन के कारण ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन (12 अगस्त को) चार ऑपरेशन हुए। जो डोनर थे उनकी किडनियां निकाली गई और जिन्हें किडनियां

लगाई गई हैं उनके ऑपरेशन हुए। इनमें एक नौजवान भी शामिल था जिसकी उम्र केवल 31 साल है और जिला मण्डी का निवासी है।

अध्यक्ष महोदय, किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी देने के लिए औपचारिकताएं सरल नहीं हैं। क्योंकि पिछले कई वर्षों में कई प्रकार के किडनी स्कैन्डल पूरे भारत में हुए और फिर हमारे माननीय न्यायलय भी इस मसले पर सख्त हो गए। जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो कई प्रकार की औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। एक बड़ी बात और है कि डोनेट करने वाले व्यक्ति कि किडनी और जिस व्यक्ति को किडनी दी जानी है उसके साथ वह मैच कर रही है या नहीं? और जिस व्यक्ति को किडनी दी जा रही है तो क्या उस व्यक्ति के शरीर में उतनी प्रतिरोधक क्षमता भी है? इसके लिए सभी प्रकार के टैस्ट किए जाते हैं। इस सारी प्रक्रिया में डाक्टर्ज़ का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही व्यक्ति को नया जीवन देते हैं। लेकिन औपचारिकताएं को पूर्ण करने में समय लगता है। यह हर्ष का विषय है कि आई0जी0एम0सी0 में भी यह औपचारिकताएं पूर्ण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं, चाहे एफिडेविट बनाना हो, किडनी को मैच करना हो या अन्य कोई भी औपचारिकताएं पूर्ण करना हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कई योजनाएं शुरू की गई, जिसमें से एक योजना "मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष" शुरू की गई थी। इस योजना में कुल 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इस योजना के अन्तर्गत उन बिमारियों के इलाज के लिए धनराशि जारी की जाती है जिनमें 2.5, 3 व 5 लाख आदि खर्च होना होता है। मुझे इस माननीय सदन में यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए और इसे हिमाचल प्रदेश के ही डाक्टर्ज़ साकार करें, ऐसी माननीय मुख्य मंत्री जी की कमिटमेंट थी। इसलिए पहले 20 ऑपरेशन दिल्ली एम्स के डाक्टर्ज़ की निगरानी में किए जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमिटमेंट किया है कि

मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से ऐसे व्यक्तियों के ऑपरेशन के लिए जितना भी खर्च होगा, यह अनुमानित साढ़े तीन या चार लाख रुपये खर्च होंगे, वे दिए जाएंगे। इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। यह तो एक आयाम है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो उन गूंगे-बहरे बच्चों के लिए जो ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो इतनी बड़ी धनराशि से अपना गूंगापन या बहरापन दूर नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी यह वर्तमान सरकार आगे आई और मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि जितने भी सामाजिक- आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़े हुए लोग थे, जो मुख्य मंत्री जी के पास या हमारे माध्यम से या स्वास्थ्य विभाग से माध्यम से जो भी मिले, उनके लिए भी Cochlear Implant करवाने की सुविधा आई.जी.एम.सी. और टांडा मैडिकल में की है और जितने भी इम्प्लांट डाले गए हैं, वे मुख्य मंत्री स्वास्थ्य राहत कोष के माध्यम से डाले गए हैं। मैं इसके लिए इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। यह एक नई शुरूआत है और यह हमारी पौलिटिकल विल या कमिटमेंट हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है।

अध्यक्ष महोदय, मण्डी से नरेश है जिसकी मॉ ने किडनी डोनेट की है। यह 31-32 साल का नौजवान है। इसकी मॉ कुछ दिन तक अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन आज वह वहां से डिसचार्ज हो चुकी है और बेटा नरेश अस्पताल के आई.सी.यू. वार्ड में है और वह अब स्वस्थ है। हमारे यहां की डाक्टर्ज की जो ऐफिशियेंट टीम है, वह उस पर नजर रखे हुए हैं और उनके अनुसार वह बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अतिरिक्त यहां शिमला में भी श्रीमती सुनीता एक नौजवान लड़की है। जैसा मैंने कहा कि हम अपने शरीर में दर्द के कारण कई बार जाने-अनजाने में कई प्रकार की दवाइयां लेते हैं और उसका असर बाद में होता है और हमें उस समय पता चलता है जब वह बीमारी हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार से श्री सूरत राम जी ने अपनी बेटी सुनीता को किडनी डोनेट की है। उनको भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और यह वार्ड नंम्बर-5 में दाखिल हैं। तो कुल-मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि यह जो गुर्दा-प्रत्यारोपण का सफलतम कार्यक्रम कमिटमेंट के अनुसार यहां 12 अगस्त को शुरू हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में उन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और उन लोगों के लिए एक रामबूटी के रूप में प्रमाणिक

जीवनदान सिद्ध होगा। मुख्य मंत्री चिकित्सा राहत कोष से उनके उपचार के लिए पैसा आएगा। यह एक अद्वितीय कार्य है जो इस सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं और भी कुछ बातें इस सदन में बताना चाहता हूं। हमारे इसमें लगभग 17 डॉक्टर्ज भी हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के कार्य में हैं। जैसे हमारे पम्पोस रैना जी हैं। इन्होंने 'एम्स' में जाकर प्रत्यक्ष रूप से सारी बातों को देखा और यह अनुभवी हैं।। इसी तरीके से डॉ. सुरेन्द्र सिंह जी हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के समय जो ऐनेस्थीसिया दिया जाता है, ये उसके डॉक्टर हैं। इसी प्रकार से डॉ. दारा सिंह जी, किडनी ट्रांसप्लांट के समय ऐनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, डॉ. पूजा मुरगई, किडनी ट्रांसप्लांट, Immunopathology हैं, इन्होंने भी वहां से ट्रेनिंग ली है। इसके अतिरिक्त इसमें स्टाफ नर्सिस भी हैं जिसमें कंचन बाला, भावना ठाकुर और श्रीमती रीता सिंह हैं। इसके अलावा ओ.टी. टैक्नीशियन्ज भी हैं, श्रीमती अमीता, ओ.टी. नर्स, कु. शालिनी, कु. नीतू, गिरीश कुमार, ये सर्जरी में हैं। यूरोलौजी डिपार्टमेंट में डॉ. ललिता नेगी पैथौलॉजी में, श्री कामेश्वर ओ.टी.ए., ऐनेस्थीसिया, श्रीमती अर्चना एस.एल.टी., देवानन्द नेगी, सीनियर लैब टैक्नीशियन, कार्तिक स्याल, ऐसोशियेट प्रोफैसर और डॉ. संजय विक्रांत, प्रोफैसर एण्ड हैड, नैफ्रोलॉजी हैं।

22/08/2019/1230/MS/AG/1

तो कुल-मिलाकर हमारे पास एक सशक्त टीम IGMC, शिमला में है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अब यह क्रम शुरू हो गया है। हमारे पास लगभग 5-6 मरीज़ हैं जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और आने वाले दिनों में उनकी सर्जरी का काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास मॉडर्न ऑपरेशन थियेटर और अच्छे डॉक्टर्ज हैं। मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा अपने सभी डॉक्टर्ज को भी मुबारिकवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा AIIMS के जिन डॉक्टर्ज ने हमारे साथ सहयोग करने के लिए कमिटमैंट की है, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वर्तमान में IGMC में अनगिनत सर्जरीज हो रही हैं और उन अनगिनत सर्जरीज के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब उनमें एक नया पहलू गुर्दा प्रत्यारोपण का भी जुड़ गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

अध्यक्षः आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। पिछले गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस में माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसके ऊपर आज सबसे पहले चर्चा होनी है। उसके बाद तीन माननीय सदस्यों के संकल्प भी आज पूरे किए जाने हैं। कार्य-सलाहकार समिति ने 45 मिनट का समय एक-एक संकल्प के लिए निर्धारित किया है। मेरा बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन रहेगा कि वे संक्षेप में बोलें ताकि चारों संकल्प आज ही पूरे हो जाएं। विषय लगभग-लगभग सभी संकल्पों के लिए बराबर रहता है। जो मूवर हैं वे 10 मिनट में अपनी बात रखेंगे और बाकी माननीय सदस्य 5-5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले कर्नल इन्द्र सिंह जी अपने संकल्प पर बोलेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह(सरकाघाट)ः माननीय अध्यक्ष जी, आज के युग में कम्प्यूटर का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर यह कहा जाए कि कम्प्यूटर ने मानव समाज की जीवन शैली को बदल दिया है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इससे हमारी कार्य क्षमता और कार्य दक्षता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सैंकड़ों आदमियों का कार्य एक अकेला कम्प्यूटर आराम से कर सकता है। यदि विज्ञान में सबसे उपयोगी अविष्कारों की गणना की जाए तो कम्प्यूटर प्रथम स्थान पर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश की प्रथम कागज़-रहित उच्च तकनीक विधान सभा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

यह सब कम्प्यूटर के द्वारा ही संभव हुआ है। इस गौरवमयी उपलब्धि के लिए जहां माननीय उपाध्यक्ष जी हम आपको बधाई देते हैं वहीं आपके प्रैडिसैसर को भी बधाई देते हैं। मुझे लगता है कि विधान सभा में स्थापित ई-विधान प्रणाली माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इण्डिया को साकार करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि आज का विषय उसी से संबंधित है। इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी उन विषयों में से एक है जहां बहुत से छात्रों का रूझान होता है क्योंकि इसमें उन्हें अपना भविष्य नज़र आता है।

22.08.2019/1235/जेके/एजी/1

आज इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी के माध्यम से छात्र हर विषय पर डिज़ायर्ड इन्फोर्मेशन इन्टरनैट या यू-ट्यूब पर ले सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में, निजी स्कूलों में, प्रदेश में स्थित सेन्टर स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है और हमारे पड़ौसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में इसका क्या स्वरूप है, वह मैं इस माननीय सदन में संक्षेप में रखूंगा। हिमाचल प्रदेश में कम्प्यूटर विषय केवल सीनियर सैकंडरी स्कूलों में 9वीं से लेकर 11वीं तक पढ़ाया जाता है। यह ऑप्शनल सब्जैक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। मिडल और हाई स्कूलों में कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाती है केवल 9वीं से 12वीं तक सीनियर सैकंडरी स्कूलों में ही कम्प्यूटर की शिक्षा ऑप्शनल सब्जैक्ट के रूप में दी जाती है, इसकी फीस भी 110 रुपये प्रति स्टूडैंट ली जाती है। इसमें केवल एस0सी0 और बी0पी0एल0 कटैगरी के छात्रों को 50 प्रतिशत फीस देनी पड़ती है, यह यहां की व्यवस्था है। इलैक्ट्रोनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कभी हिमाचल प्रदेश के सीनियर सैकंडरी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना की थी। आजकल नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ इलैक्ट्रोनिक एण्ड इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी कम्पनी द्वारा प्रदेश में 1,131 स्कूलों में कम्प्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, जिसके लिए 1,367 टीचर्ज़ नियुक्त किए गए हैं। बाकी सीनियर सैकंडरी स्कूलों में विभाग द्वारा पी0जी0टी0 (आई0टी0) नियुक्त किए गए हैं, जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सवाल है, वहां पर क्लास तीसरी से ले कर क्लास दस तक कम्पलसरी सब्जैक्ट के रूप में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय में, मैं फिर से दोहराता हूं कि क्लास तीसरी से ले कर क्लास दस तक कम्प्यूटर साइंस भी कम्पलसरी सब्जैक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है और प्लस-1 और प्लस-2 में यह ऑप्शनल सब्जैक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है और फीस केवल 100 रुपये ली जाती है। नवोदय स्कूलों में भी क्लास छः से लेकर क्लास दस तक कम्पलसरी सब्जैक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है और प्लस-1 और प्लस-2 में यह इलैक्टिव सब्जैक्ट के

रूप में पढ़ाया जाता है। जहां तक हमारे निजी स्कूलों का प्रश्न है, वहां पर कोई एकरूपता नहीं है।

किसी स्कूल में प्राइमरी क्लासिज़ से पढ़ाना शुरू करते हैं, किसी में मिडल में पढ़ाना शुरू करते हैं और फीस के स्ट्रक्चर में भी उनमें कोई समानता नहीं है। लेकिन एक चीज निश्चित है कि निजी स्कूलों में प्रत्येक स्टूडैंट कम्प्यूटर की शिक्षा ग्रहण करता है, वह चाहे किसी भी लैवल पर करे। जहां तक पड़ौसी राज्यों का प्रश्न है, यह सुनने लायक है और मेरा सभी से अनुरोध है कि इस बात को ध्यान से सुनिए। हरियाणा में क्लास-6 से लेकर क्लास-8 तक कम्पलसरी विषय के रूप में कम्प्यूटर पढ़ाया जाता है और क्लास-9 से प्लस-2 तक यह ऑप्शनल सब्जैक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। हरियाणा में इसकी कोई फीस नहीं ली जाती है। जहां तक पंजाब का प्रश्न है वहां पर क्लास-6 से लेकर क्लास-12 तक कम्पलसरी सब्जैक्ट के रूप में कम्प्यूटर पढ़ाया जाता है। क्लास-6 से लेकर क्लास-8 तक कोई फीस नहीं ली जाती है। क्लास 9वीं और 10वीं तक 30 रुपये और प्लस-1 और प्लस-2 में 35 रुपये फीस ली जाती है। लड़कियों से कोई फीस नहीं ली जाती । पंजाब में इस प्रकार से कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाती है। जहां तक चण्डीगढ़ का प्रश्न है क्लास-6 से ले कर क्लास-8 तक कम्पलसरी सब्जैक्ट है और कोई भी फीस नहीं ली जाती है। वहां पर दो टाईप के स्कूल 9वीं व 10वीं के लिए हैं, एक मॉडल स्कूल और दूसरे नॉन मॉडल स्कूल हैं। जो नॉन मॉडल स्कूल हैं, वहां पर फीस केवल एस0सी0 कम्युनिटी से 5 रुपये और जनरल से 10 रुपये ली जाती है।

22.08.2019/1240/SS-DC/1

और जो मॉडल स्कूल्ज़ हैं वहां पर 25 रुपया और एस0सी0 कम्यूनिटी से साढ़े 12 रुपये फीस ली जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर साइंस पढ़ाने की व्यवस्था समयानुसार नहीं है। इसमें बहुत-सी खामियां हैं। जैसा मैंने कहा कि यहां पर कम्प्यूटर की शिक्षा नौंवी से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई जाती है। वह भी

ऑप्शनल होती है। कोई कम्प्लसरी सब्जैक्ट नहीं है। नौंवी में जब हम बच्चों को कम्प्यूटर पढ़ाते हैं तो काफी लेट स्टेज पर पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि अगर शुरू में बच्चों को कम्प्यूटर सिखाया जाए तो क्योंकि उनकी ग्रहण करने की शक्ति तेज़ व प्रखर होती है वे जल्दी ही आई0टी0 टैक्नॉलोजी का इस्तेमाल करने में माहिर बन जायेंगे। दूसरी बात, यह ऐच्छिक है, कम्प्लसरी नहीं है। इसमें 110 रुपया फीस देनी पड़ेगी। जो बच्चा कम्प्यूटर पढ़ना/सीखना चाहता है और यदि वह फीस देने में असमर्थ है तो वह कम्प्यूटर शिक्षा से वंचित रह जाता है। यह सबसे बड़ी कमी है। माननीय मंत्री जी, कृपया इस बात को नोट करें। जिसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है वह कम्प्यूटर नहीं पढ़ सकता है। आप कल्पना करिये कि जो हमारे बच्चे कम्प्यूटर से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, फीस नहीं दे पाये और जिन्होंने +1 व +2 में कम्प्यूटर नहीं पढ़ा, जब वे मार्किट में जाते हैं या प्रोफैशनल कॉलेजिज़ में या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उनको अपने-आपको एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। बाहर जाकर जो नौकरी लेना चाहते हैं उनके मार्ग में भी कम्प्यूटर की अनभिज्ञता एक किस्म की बड़ी बाधा होती है। हमारे सिस्टम में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर सही मायने में आपने कम्प्यूटर की शिक्षा देनी है तो पंजाब, हरियाणा या सैंटर स्कूल के पैटर्न पर यह शिक्षा हमारे स्कूलों में प्रदान करिये। वहां पर क्लास-6 उनकी बेस लाइन है। वहां पर अरली स्टेज में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाती है जोकि आगे चलकर ऑप्शनल हो जाती है। हमारे यहां पर आगे चलकर यह ऑप्शनल हो जाती है लेकिन अरली स्टेज पर कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को कम्प्यूटर एक सफेद हाथी जैसा लगेगा।

अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा क्लास-6 से दी जाए और क्लास-6 से लेकर क्लास-8 तक यह कम्प्लसरी सब्जैक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस की जाए। इसके लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए। ऐसी मेरी सरकार से सिफारिश है। इसके लिए आपको मिडल स्कूलों में, हाई स्कूलों में जहां पर कम्प्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं है वहां पर दो या तीन कम्प्यूटर्ज़ मुहैया करवाने पड़ेंगे। साथ में आपको एक आई0टी0 का टीचर भी नियुक्त करना पड़ेगा ताकि छोटी उम्र में हमारे बच्चे कम्प्यूटर शिक्षण ग्रहण कर सकें, तब उनका पिक अप भी फास्ट होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात रखी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कम्प्यूटर सफेद हाथी है तो उनका भविष्य बिल्कुल सही दिशा में नहीं जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद।

उपाध्यक्षः कर्नल साहब, धन्यवाद। अब चर्चा में भाग लेने के लिए मैं विपक्ष के नेता, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, कर्नल इंद्र सिंह जी ने एक बहुत ही अहम महत्व का मसला यहां पर उठाया है। आपने मुझे इसमें हिस्सा लेने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर युग की बात जैसे ही होती है वैसे ही भारत रत्न दिवंगत राजीव गांधी जी की याद ताज़ा हो जाती है, जिन्होंने कम्प्यूटर की क्रांति इस देश में लाई।

22.08.2019/1245/केएस/डीसी/1

मैं कर्नल साहब से इसलिए थोड़ा असहमत हूं क्योंकि इन्होंने अटल जी की बात की। अटल जी हमारे लिए भी बहुत सम्माननीय नेता रहे हैं लेकिन अगर कम्प्यूटर की बात आएगी तो हमेशा ही राजीव जी को याद किया जाएगा। आपको याद होगा, जब उन्होंने कम्प्यूटर युग की बात की, उस समय कुछ लोग तो बैलगाड़ियों में बैठकर लोकसभा गए थे। उन्होंने वहां जा कर यह कहा था कि इससे देश में रोज़गार छिन जाएगा इसलिए कम्प्यूटर पर किसी भी ढंग से रोक लगाई जाए। वह भी एक दौर था लेकिन धीरे-धीरे कम्प्यूटर हमारी जरूरत बन गया और आज कर्नल साहब छठी क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं। यहां तो पैदा होते ही बच्चा व्हाट्स ऐप से बातें करने लग पड़ा है। इस समय यह दौर आ गया है, आप देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे किस ढंग से आपको व्हाट्स ऐप ग्रुप्स के थ्रू मैसेजिज़ करते हैं। यह इस देश के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। हमारी असैम्बली भी अब पेपरलैस हो गई है और आज से तो पूरी तरह ही पेपरलैस हो गई है क्योंकि आज से हम प्रत्येक चीज़ यहां पर अपने लैपटॉप पर ही देखेंगे। इसके लिए हम अपने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री बृज

बिहारी लाल जी को याद करना चाहते हैं, जिनका यह ड्रीम प्रोजैक्ट था। सरकारें कंटिन्यूटि में चलती हैं। हमारे मौजूदा स्पीकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन बुटेल साहब का इस असैम्बली को पेपरलैस करने का एक ज़नून था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि व्यवस्थाओं में सुधार तभी होगा, अगर सरकार की योजनाएं ठीक चलेंगी। आपकी स्कूलों में लैपटॉप देने की योजना का क्या हाल है? आप दो साल से स्कूलों में लैपटॉप नहीं दे पाए हैं। आपकी सरकार को आए पौने दो साल हो गए हैं। जिस ढंग से आप स्कूलों में वर्दी नहीं दे पाए, उसी ढंग से लैपटॉप नहीं दे पाए। क्या आप सदन को बताएंगें कि आप लैपटॉप क्यों नहीं दे पाए? हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल इलैक्ट्रोनिक डवैल्पमैंट कॉपोरेशन ने टैंडर किया। किस वजह से उस टैंडर को सरकार ने रोका हुआ है? यह सरकारों का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है। अगर 10 हजार बच्चों को लैपटॉप नहीं मिलेगा, पहले टैंडर हुआ,

टैंडर में कहा गया कि 60 परसेंट एक कम्पनी ले ले, 40 परसेंट दूसरी कम्पनी ले ले। यह क्या बंदरबांट है? फिर उसके बाद सैक्रेटरी, आई.टी. ने हाई लेवल कमेटी बना दी। उस कमेटी ने भी कहा कि जिसका बनता है, वही सही है, जो काम हुआ है। लेकिन, the reason is best known to you or to the Officers of your Department कि एक कम्पनी शिकायत करती जा रही है और पौने दो साल से बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला। इसमें तीन कम्पनियां हैं। मैसर्ज़ एच.पी. इंडिया, मैसर्ज़ एसर इंडिया और मैसर्ज़ लेनीवो । अब वो अगर आ नहीं रही हैं तो क्यों सरकार जबरदस्ती चाह रही है कि टैंडर एक बार, दूसरी बार या तीसरी बार करो? कम्प्यूटर के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि कौन सी कम्पनियां कम्प्यूटर की दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं? किसका लैपटॉप मिलना चाहिए। आप बच्चों को लैपटॉप से महरूम नहीं रखें । अगर आप फैसला ही नहीं करेंगें तो इस ढंग से तो 10 हजार पिछले साल के, 10 हजार इस साल के और 10 हजार अगले साल के हो जाएंगे । यही हाल आपका वर्दी का हुआ। वर्दी के बारे में भी आप फैसला नहीं कर

सके। क्योंकि सरकारों में कई इंट्रस्टिड पार्टियां होती हैं, होती रहेंगी लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी आप अच्छी विल पावर के व्यक्ति हैं, वकील भी हैं,

22.8.2019//1250/av/hk/1

आप इन चीज़ों को दरकिनार करके लैपटोप का फैसला कीजिए। इस केस को अपने पास मंगवाओं और देखो कि क्या प्रोब्लम है। बच्चों को लैपटोप क्यों नहीं मिल रहे हैं जबकि टैंडर्ज़ हो चुके हैं और टैंडर्ज़ की प्रक्रिया सबके सामने है। डिज़िटल वर्ल्ड की बहुत बातें की जाती हैं मगर हमारे यहां तो छात्रवृत्ति घोटाला डिज़िटल वर्ल्ड की ही देन है और किस तरह से दो विश्वविद्यालय या विद्यालय जिसमें से सिरमौर का एक 40 करोड़ रुपये का घोटाला कर गया और दूसरा 35 करोड़ रुपये का घोटाला कर गया। इस तरह से डिज़िटल दुनिया के खतरे भी आपके सामने आ गये हैं। मेरा आज इस बारे में सवाल भी लगा था मगर उस पर चर्चा नहीं हो सकी। मंत्री जी ने उसको सी0बी0आई0 को दिया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रारम्भिक जांच में जो आपके पास तथ्य सामने आए हैं आप उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई जरूर करें। इसके अलावा जिन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली उनको आप छात्रवृत्ति तो दें। आप उसकी भरपाई तो करो, उनका क्या कसूर है यदि कुछ लुटेरे छात्रवृत्ति हड़प गये और बच्चों को नहीं मिली। आप उनको कम्पनसेट करवाओ और जिनको भविष्य में मिलना है उसके तौर-तरीके आप जरूर इज़ाद करें क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा मामला पकड़ा है जो कि दशकों से चला हुआ था। मेरा आपसे यह आग्रह है कि कम्प्यूटर शिक्षा को आप आगे जरूर बढ़ाओ मगर टैंडर के बारे में फैसला करके स्कूलों में लैपटोप अवश्य मुहैया करवाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में यहां संकल्प रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह एक सामयिक विषय है और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए यह सबसे बढ़िया पहलू है तथा इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं लेकिन गुणवत्ता के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना और इसको सुदृढ़ करना गुणवत्ता के हिसाब से एक बहुत बड़ा काम होगा। गुणवत्ता के अलग-अलग पहलू हैं; जिस प्रकार एक व्यक्ति के शरीर में उसका दिल होता है जो कि पूरे शरीर का संचालन करता है आज के युग के अनुसार कम्प्यूटर शिक्षा भी उसी प्रकार बन गई है। आज इसके ऊपर सारे-के-सारे कार्य निर्भर हो चुके हैं। वर्तमान में छोटे बच्चे से लेकर बड़े-बड़े ऑफिस के कार्य कम्प्यूटर से हो रहे हैं। इस विषय पर आज के युग में जरूर विचार करना चाहिए। हम आज यह चिंता करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकारी स्कूलों में संख्या घट रही है। लेकिन हम इस प्रकार की नेगेटिव बात छोड़कर अपनी पोज़िटिविटी बढ़ायें। हम शिक्षा के क्षेत्र में पोज़िटिव बातें लाने का प्रयास करें ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ें। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या तभी बढ़ेगी जब हम आज के वातावरण और समाज की आवश्यकता के अनुसार इस विषय पर गम्भीरता से विचार करेंगे। कर्नल साहब ने यहां पर जैसे स्कूली शिक्षा के बारे में विषय रखा है तो इसमें भी अलग-अलग स्टेज़िज हैं इसलिए इसकी हर स्टेज का ध्यान रखा जाए। इसको कई स्कूलों में ऐच्छिक सब्जैक्ट के तौर पर शुरू किया है जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे की मानसिकता पर वैसा ही असर पड़ता है। बच्चा सोचता है कि यह तो ऐच्छिक सब्जैक्ट है; चलो जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन हम इसको अगर जरूरी कर दें तो पढ़ने वाले बच्चे की मैंटेलटी भी उसी प्रकार काम करेगी और उस दिशा में वह ठीक प्रकार से आगे बढ़ पायेगा। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं,

22.08.2019/1255/टी.सी.वी./एच.के.-1

जैसा माननीय सदस्य कर्नल साहब ने कहा कि बहुत-सारे कंप्यूटर अध्यापक कम्पनी द्वारा नियुक्त किए गये हैं और अब उनकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर हो कर गई हैं। लेकिन अभी तक उनके भावी जीवन के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि आगे उनका जीवन कैसे चलेगा और वे अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? आज उनके द्वारा पढ़ाये

गये छात्र-छात्राएं कंप्यूटर शिक्षा में बड़े-बड़े स्थानों पर पहुंच गये हैं। यह सोचकर उसको खुशी भी होती है लेकिन जब वह अध्यापक अपने बारे में सोचता है तो कुण्ठित हो जाता है कि आज मेरी क्या दशा है और मेरे द्वारा पढ़ाये हुए छात्र-छात्राएं कहां पहुंच गये हैं? अपनी इस दशा के ऊपर उसे अवश्य दुःख होता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से इस सदन से आग्रह है कि उन अध्यपाकों के बारे में अवश्य चिंता करें। इसके लिए अगर आर.एण्ड पी. रुल्ज में कोई परिर्वतन भी करना पड़े तो वह भी हमको करना चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह है कि एक शिक्षक जिसको हमने राष्ट्र निर्माता कहा है, उसके बारे में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और साथ ही उन कंप्यूटर अध्यापकों के भविष्य के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए कंप्यूटर शिक्षा सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है, मैं इसका पुरज़ोर समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक अपराह्न 2.00 बज़े तक भोजन अवकाश के लिए स्थगित की जाती है।

22-08-2019/1405/NS/YK/1

माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.05 बजे अपराह्न पुनः आरंभ हुई।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने इस माननीय सदन में लाया है कि "आधुनिक युग में कम्पयूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों मे माध्यमिक स्तर से निःशुल्क कम्पयूटर शिक्षा देने हेतु नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।" मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज देश और दुनिया तकनीक और कम्पयूटर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे

निकल चुकी है। ऑनलाइन का जमाना है और ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाली जेनरेशन को कम्पयूटर शिक्षा देना बहुत जरुरी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भी भारत को 'डिजीटल इंडिया' बनाने का सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए यह जरुरी है कि आने वाली जेनरेशन इस तरह की तकनीक की जानकारी रखती हो। हम आने वाले भविष्य की चिंता करें और आने वाली पीढ़ी अच्छा ज्ञान हासिल करे तो इस नाते बहुत जरुरी है कि कम्पयूटर शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर शुरू किया जाए। माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने कहा कि पड़ोसी राज्य कम्पयूटर शिक्षा में हमसे बहुत आगे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि हमें भी इस पर ठोस नीति बनानी चाहिए। स्कूलों में सिलेबस के साथ-साथ कम्पयूटर को अगर हम माध्यमिक स्तर से शुरू करते हैं तो एक विषय के नाते इसको अनिवार्य करना जरुरी है। हम इसको इंटीग्रेट प्लस टू विद कंप्यूटर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे विद्यार्थियों को प्लस टू के बाद अलग से कंप्यूटर का कोई बेसिक डिप्लोमा नहीं करना पड़ेगा। इसको जरुरी करने के लिए आवश्यक है कि हर विद्यालय के अंदर कम्पयूटर लैब हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव है, मैं वार्षिक समारोह में कई स्कूलों में गया हूं और वहां पर मैंने देखा कि कुछ स्कूलों के अंदर "अटल टिंकरिंग लैब" शुरू हुई है और जब उन स्कूलों के विद्यार्थियों से मैंने बात की तो मुझे लगा कि ये विद्यार्थी जिज्ञासु, वैज्ञानिक सोच रखने वाले और कुछ नया करना चाहते हैं। इस नाते अगर हम पढ़ाई में कम्पयूटर को जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आज के जमाने में यह बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अभी माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं।

22.08.2019/1410/RKS/YK-1

अभी पोषण सप्ताह मनाया जा रहा था। हाल ही में मेरा आंगनबाड़ी स्कूल में जाना हुआ। वहां पर बच्चों के अभिभावक भी आए थे और उन्होंने मुझसे मांग की कि हमारे बच्चों को डिजिटल बोड्र्स दिए जाएं। मैंने बच्चों के अभिभावकों से कहा कि छोटे-छोटे बच्चे इन बोड्र्स का क्या करेंगे? मुझे लगा कि हमारा समाज, हमारी बहनें और सभी लोग यह चाहते हैं कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे भी नई तकनीक के साथ पढ़ें। वे वीडियो के माध्यम से, पिक्चर्ज़ के माध्यम से कुछ नया हासिल कर सकें इसलिए मैं इस सदन में पुरजोर वकालत

करता हूं कि बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की जाए। प्राइवेट स्कूलों में तीसरी कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है जबकि सरकारी स्कूलों में यह शिक्षा नौंवीं या दसवीं कक्षा के बाद वैकल्पिक तौर पर दी जा रही है। यदि हम भविष्य की चिंता करें तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कैसे बराबरी कर पाएगा? अतः हमें इस प्रतियोगिता के दौर में उन बच्चों को भी आगे बढ़ाना होगा और इस गैप को खत्म करना होगा। इसके लिए निश्चित तौर पर हमें कंप्यूटर को बढ़ावा देना चाहिए और इसे अनिवार्य विषय के रूप में शुरू किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वरिष्ठ सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने आधुनिक युग में कंप्यूटरीकरण के बारे में संकल्प रखा है, उसमें मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि यह शिक्षा प्राइमरी स्तर से लागू की जानी चाहिए ताकि बच्चों को आगे चलकर कोई समस्या न आए। जिस तरह हम माननीय सदन में स्थापित टच स्क्रीन कंप्यूटर्ज़ से प्रभावित हैं यदि यह सुविधा जब हम पढ़ा करते थे, उस समय मिल जाती तो आज हमें इसके संचालन में कोई दिक्कत नहीं आती। आज के युग के लिए कंप्यूटर शिक्षा बहुत अनिवार्य है। जो बच्चों को आठवीं या दसवीं क्लास के बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि इस प्रशिक्षण को प्राइमरी स्तर से शुरू किया जाए ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली उन्नत हो सके। जहां तक माध्यमिक स्तर से निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की बात है इसे अनिवार्य किया जाए और इस विषय को प्राइमरी स्तर से शुरू किया जाए। जानकारी प्राप्त करने के लिए जो आदान-प्रदान होता है, चाहे वह स्कूलों की बात हो या कार्यालय की बात हो, उसमें भी ऑन लाइन सिस्टम को लागू किया जाए ताकि कार्य में दक्षता आ सके। जय हिन्द।

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने पिछले सत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नियम-101 के तहत प्रस्तुत किया था। जिसमें इन्होंने आधुनिक युग में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग व निजी विद्यालयों की तर्ज़ पर सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर से निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने हेतु नीति बनाने पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

22.08.2019/1415/बी0एस0/ए0जी0-1

इस चर्चा में माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी के अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं विशेष रूप से विपक्ष के नेता माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का, श्री राजेन्द्र गर्ग जी का और श्री सुरेन्द्र शौरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव माननीय सदन में रखें है। इसमें माननीय विपक्ष के नेता ने प्रस्ताव से हट करके और भी शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 21वीं सदी है। इससे पहले 19वीं सदी यूरोपियन सदी रही है और 20वीं सदी अमेरिका की रही है। लेकिन जो 21वीं सदी प्रारंभ हुई है इसमें कंप्यूटर ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिया है। कंप्यूटर के आने से पहले मानव के शरीर में जो बुद्धिनुमा अंग है उसी को कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है और आज भी जो कंप्यूटर कार्य करता है वह उसी बुद्धि के द्वारा संचालित होता है। डाटा इकट्ठा करके उस कंप्यूटर में डालेंगे और कंप्यूटर कार्य करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत कंप्यूटर की दिशा में आगे बढ़ा है। वर्ष 1986 में शिक्षा नीति बनी उस समय के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। उसके बाद कंप्यूटर को इन्ट्रोड्यूज किया गया। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। हिमाचल प्रदेश ने इस क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है। जिस हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 1948 में इसके जन्म के समय 10 प्रतिशत थी, आज वह बढ़ करके कितबों से आंकड़ा लें तो वह 81 प्रतिशत के ऊपर है। लेकिन

वास्वत में देखें और इससे माइग्रेटिड लेबर को बाहर कर दें तो यह 90 प्रतिशत से ऊपर है। पूरे भारत वर्ष में केरल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का स्थान है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1986 की शिक्षा नीति आई उसे भी यहां पर लागू किया गया और उसके अतिरिक्त जो नेशनल करीकुलम फ्रेम वर्क वर्ष 2005 में आया था उसे भी प्रदेश में लागू किया गया। फिर नेशनल कौंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा जो पाठ्यक्रम और शिक्षा नीति लाई जाती है उसे भी हिमाचल प्रदेश में As it is लागू किया जाता रहा है। अब तो हम पहली कक्षा से ले करके 12वीं कक्षा तक सभी पुस्तकें एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा जो प्रकाशित हैं उन्हें ही अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार समय-समय पर शिक्षा में सुधार करती रहती है और उसके अनुसार पग भी उठाते रहते हैं। उस सुधार को भी समय-समय पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हैं। अध्यापकों की शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं भी हम एन.सी.ई.आर.टी. के मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हैं। इसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2001-2002 के सैशन में कंप्यूटर को, आई.टी. एजुकेशन को एक एडिशनल ऑप्शनल विषय के रूप में लागू किया गया।

22.08. 2019/1420/डी0टी0ए0जी0/-1

जो उस समय पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिज़ पर और आउंट सोर्सिंग के द्वारा किया गया था। ये 234 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 9वीं व दसवीं के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। मार्च, 2013 से अब तक 968 स्कूलों में इसको लागू किया गया है। इस अडिशनल सब्जैक्ट कंप्यूटर को पढ़ाने वाले विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्ज़ के माध्यम से टेंडर प्रकिया द्वारा लगाये जाते हैं। इसमें 100 स्टूडेंट तक एक आई.टी. अध्यापक और उससे ऊपर दूसरा अध्यापक लगाया जाता है। इस प्रकार आई.टी. के 1367 अध्यापक (ट्रेनर्ज़) को NIELIT के द्वारा 1109 सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में लगाया गया है। इसमें प्रारम्भ से ही आई.टी. फीस के रूप में 110 रुपये महीने के हिसाब से चार्ज़ किया जाता है। जिसमें एस.सी व बी.पी.एल फैमिलीज़ के लिए 55 रुपये प्रतिमाह , एस.सी. ,ओ.बी.सी. और

माइनियोरिटी अफ़ेयर्ज़ डिर्पाटमेंट से दिया जाता है और विद्यार्थियों को सिर्फ 55 रुपये ही देने पड़ते हैं। वर्ष 2019-20 के सत्र में 72,674 विद्यार्थी नौंवीं सें बारहवीं कक्षा तक आई.टी. शिक्षा के लिए इनरोल हुए हैं। यह जो 110 रुपये के हिसाब से कोलैक्शन होती है यह महीने की 79,91,170 रुपये हैं और फीस 9, 58,95, 0 40 रुपये दी जाती है। यह ठीक है कि यह विषय अभी तक ऑप्शनल बेस पर ही है और सिर्फ नौंवीं से बारहवीं तक ही पढ़ाया जाता है । आठवीं तक कंप्यूटर की शिक्षा इस रूप में स्कूलो में नहीं दी जाती है लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं यहां तक कि प्राइमरी स्कूल हैं उन्होंने भी कंप्यूटर विभिन्न एजेंसियों से लेकर रखे हैं और कुछ जो इनोवेटिव अध्यापक हैं वे प्राइमरी क्लासिज़ में भी इनको पढ़ाते हैं लेकिन आज प्रदेश में 1858 सीनियर सकैंडरी स्कूल हैं। उनमें पी0जी0टी0, आई0पी0 की 1674 पोस्टें सभी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के लिए क्रिएट कर रखी हैं जिनमें से 184 पद सैंक्शन नहीं है। इन स्वीकृत पदों में से 819 पी0जी0टी स्कूलो में काम कर रहे जो रेगलुर बेस पर लगाए गए हैं और 855 पोस्टें अभी तक खाली हैं । यह जो पी0जी0टी, आई0पी0 हैं वे अनेकों वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए अभी बहुत अच्छे स्थानों में पहुंच गए हैं लेकिन वे वहीं-के-वहीं हैं।

22-08-2019/1425/डी.सी.-एन.जी./1

उनके लिए आर. एण्ड पी. रूल्ज़ में छूट है, उनको बी.एड की आवश्यकता नहीं है और जिनका अनुभव 5 साल से अधिक है उसको आई.टी. टीचर लगाया जा सकता है। हमारे कुछ लोग तो रेगुलर है परन्तु बाकियों के इंटरव्यू लिए जा रहे थे और उसी बीच एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ओरिजनल एप्लीकेशन दायर कर दी गई और वह पैन्डिंग हो गया। दिनांक 15-09-2017 को पूरी की पूरी सलैक्शन प्रोसैस को स्टे कर दिया गया और जब तक केस में निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम भर्ती नहीं कर सकते।

अध्यक्षः माननीय मन्त्री जी एक मिनट रूकिए। माननीय मंत्री जी का उत्तर लगातार जारी है। श्री किशन कपूर जी माननीय सांसद (लोकसभा) जोकि इस माननीय सदन में मंत्री रहे,

वह सांसद चुने जाने के बाद पहली बार माननीय सदन में आए हैं और गैलरी में विराजमान हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय का स्वागत करते हुए मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इनकी सीट पर अब मैं बैठ गया हूं। इनका चहरा बहुत चमक रहा है जिसे देख कर लगता है कि इन्हें दिल्ली रास आ गई है।

शिक्षा मंत्रीः माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने कहा है कि निजी स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी कम्प्यूटर शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए। मैं सिद्धान्तिक तौर पर इस बात से सहमत हूं। मैने यहां पर फैक्टस एण्ड फ़िगर दिए हैं और पिछली सरकार के समय से रूल्ज़ में संशोधन करने का प्रोसेस शुरू किया गया था। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो गई जिस कारण वह प्रोसेस बंद हो गया, लेकिन हम उस प्रोसेस को पुनः चलाना चाहते हैं। हम टीचर्ज़ की रेगुलर भर्ती कर के प्रदेश के बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा देना चाहते हैं। इसीलिए हमने केन्द्र के एच0आर0डी0 मंत्रालय से समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आई0सी0टी0 लैब स्वीकृत करने का आग्रह किया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

क्योंकि कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए हमें सभी स्कूलों में आई0सी0टी0 लैब (जिसमें कम-से-कम तीन कम्प्यूटर हों) की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसमें नैटवर्किंग का प्रावधान और प्रत्येक विद्यालय में कम-से-कम एक कम्प्यूटर शिक्षक की भी जरूरत होगी। हिमाचल प्रदेश में सीनियर सैकंडरी स्कूल 1800 से अधिक है और उसमें हाई स्कूल, माध्यमिक स्कूल को भी जोड़ दें तो 10 हजार से भी अधिक हो जाते हैं। यदि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 18 हजार विद्यालयों में कम्प्यूटर टीचर, आई0सी0टी0 लैब की आवश्यकता पड़ेगी। हम सिद्धांतिक तौर पर मानते हैं कि प्रत्येक स्कूल में कम्प्यूटर शिक्षा लागू की जाए परन्तु उसके लिए साधन उपलब्ध करवाना बहुत कठिन है। माननीय मुख्य मंत्री जी सबसे अधिक बजट शिक्षा विभाग के लिए आवंटित करते

हैं। लेकिन उस बजट में से अधिकांश तो सैलरी में ही चला जाता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, भवन निर्माण के लिए और उन भवनों की मुरम्मत करने में भी हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। सी0एस0आर0 के माध्यम से इसके लिए पैसा मिल जाता है और कई स्थानों पर गांव वाले ही श्रम दान करके मदद कर देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ पैसा मिल जाया करता था परन्तु अब केन्द्र के एच0आर0डी0 मंत्रालय ने सिविल वर्क के लिए धन देना बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी कम्प्यूटर लैब, आई0सी0टी0 लैब इत्यादि के लिए वहां से पैसा मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष

22/08/2019/1430/RG/DC/1

हमारे पास कुल जितने भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, उन सभी में आई.सी.टी. लैब प्रारम्भ कर देंगे ताकि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो हमारी आई.टी. की शिक्षा है, वह सबको वहां मिल सके। इसके अतिरिक्त हमने एम्प्लॉयबिलिटी के साथ भी आई.टी. को शामिल किया है, उसके अन्तर्गत भी बहुत सारी ऐसी लैब जैसा ये वर्णन कर रहे थे कि यह अटल टिंकरिंग लैब है, लैंग्वेज लैब है, इस प्रकार के बहुत सारे नए-नए प्रयोग हम समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में कर रहे हैं। हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि हम विद्यालयों में कम्प्युटर टीचर, कम्प्युटर और नैट वर्किंग का प्रावधान करें और अधिक-से-अधिक विद्यालयों में जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जाएंगे, हम इसका प्रावधान करते जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सुझाव दिया है कि हम इसको कम्पलसरी सब्जैक्ट के रूप में तीसरी से लेकर 12वीं तक रखें। इनका सुझाव स्वागत योग्य है। जो हमारी बोर्ड की ऐजुकेशन ऐकैडमिक कमेटी है, उसमें इसको ले जाएंगे, एस.ई.आर.टी., सोलन को भी इसका सिलेबस इत्यादि बनाने के लिए कहेंगे। लेकिन इसका प्रारम्भ तब होगा जब हमारे यहां साधनों की उपलब्धता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने दो-तीन विषय इसमें विषयान्तर होकर कहे हैं। जो 10वीं एवं 12वीं के मेरीटोरियस स्टूडैंट्स हैं, हम उनको सामान्यतः हर साल लैप टॉप देते हैं। इससे पहले का भी रिकॉर्ड देखा है, वह एक साल लेट हो जाता है। वर्ष 2017 के लैप टॉप हमने वर्ष 2018 में बांटे थे और वर्ष 2018 के लिए भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। शायद कल ही मेरे पास फाईल आई है, मैं उसको देखूंगा

कि क्या है और सबसे विचार करके जो भी उसमें करना होगा, करेंगे कि वह खरीद क्यों नहीं हुई है, टैण्डर क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि टैण्डर प्रोसैस शिक्षा विभाग नहीं करता, वह इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन करती है और वर्दियां का टैण्डर सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन करती है। इसलिए जब वहां से सारी प्रक्रिया पूरी होकर हमारे पास आती है, फिर हम देखते हैं कि वह ठीक है या नहीं है, शिक्षा विभाग को उसको मंजूर करना है या नहीं करना है। तो अभी वह फाईल आई है, उस पर हम तुरन्त निर्णय लेंगे। जैसा आपने कहा है तो उसके अनुसार जो भी निर्णय होगा, लेंगे। हम इस वर्ष स्कूल के अतिरिक्त कॉलेज के जो मेरिटोरियस स्टूडैंट्स हैं, ऐसे 475 छात्रों को भी लैप टॉप और उसके साथ वन जी.बी. डाटा फ्री में देने वाले हैं। यह हमारे विज़न डॉक्युमेंट की घोषणा है, उसके मुताबिक हम इसको भी देने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां कम्प्युटर टीचर्स के बारे में जो बात की है, 'नायलैट' कम्पनी का अभी तक का उनका जो ऐग्रीमेंट था, वह समाप्त हो गया था जिसको ऐक्सटेंड किया गया है। हमने कहा है कि इसमें सारी संभावनाएं देखी जाएं कि किस प्रकार से हम इनको किसी नीति के अन्तर्गत ऐडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑऊट सोर्स्ड हैं। जो विभिन्न कम्पनियां हैं, टैण्डर प्रोसैस होता है और उसके द्वारा उनसे ही कम्प्युटर टीचर्स लिए जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आई.टी. टीचर के लिए छूट प्रदान की है, उसके अन्तर्गत हम इनको लेंगे।

उपाध्यक्ष : कृपया माननीय विधायक आपसे में बात न करें।

शिक्षा मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, एक और विषय माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने यहां उठाया है और उनका इस बारे में एक प्रश्न भी लगा था। तो छात्रवृत्ति घोटाले में जो हमने सी.बी.आई. की जांच की है। यह एक ऐसा घोटाला है कि जो हमारे गरीब छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं, उनको भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार जो छात्रवृत्ति देती है, ऐसे बहुत से unscrupulous Institutions हैं, उन्होंने उसका इतना दुरूपयोग किया है कि एक बहुत बड़ा घोटाला उसमें हुआ है। जो छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए, वह विद्यार्थी को न मिलकर इन्स्टीटियुशन ले रहा है, जबकि विद्यार्थी वहां पढ़ता ही नहीं है, लेकिन छात्रवृत्ति इन्स्टीटियुशन को जा रही है। अभी

मुझे कल या परसों विद्यार्थी मिले थे, कोई दिव्य ज्योति इन्स्टीटियुट, अम्बाला का है, उसको छात्रवृत्ति जाती थी, उनकी फीस वहां से जाती थी।

22/08/2019/1435/MS/HK/1

वे गरीब विद्यार्थी हैं जिनकी फीस छात्रवृत्ति से जाती थी। लेकिन क्योंकि इस केस में सी0बी0आई0 अभी तक जांच कर रही है और उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि जो संस्थान अण्डर स्कैनर हैं उनकी वर्ष 2017-18 के बाद की छात्रवृत्तियां तब तक नहीं निकलेंगी जब तक वे इसकी क्लीयरैंस नहीं दे देते। उन्होंने छात्रों की पूरी सूची दी है कि ये छात्र वहां पर पढ़ते ही नहीं हैं लेकिन उनकी छात्रवृत्तियां उन संस्थानों को जाती रही हैं और इस तरह से ये संस्थान इनका मिसयूज करते रहे हैं। अब हमने इस सबको नेशनल पोर्टल पर डाल दिया है। इसके बाद जो वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्तियां होंगी, उनके लिए जैसे-जैसे पैसा आएगा, हम योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देना प्रारम्भ कर देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का पैसा आ गया है आर केन्द्र सरकार का पैसा अभी आने को है। पिछले वर्ष जो पैसा आया था, उसको हम छानबीन करके उन छात्रों को जो स्कैनर से बाहर हैं, दे रहे हैं। जिनको सी0बी0आई0 ने रोक रखा है केवल उन्हीं को हमने भी रोक रखा है। यह एक बहुत बड़ा धोखा हिमाचल प्रदेश के गरीब बच्चों के साथ आज तक किया जाता रहा है और प्रदेश का बहुत पैसा इसमें बर्बाद होता रहा है। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने बल्कि मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनको जब हमने प्रारम्भिक जांच के तथ्य दिए तो इन्होंने एकदम हाई-पावर्ड मीटिंग बुलाकर सारी छानबीन की और तुरन्त निर्णय लिया कि इस पर छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि इसके तार हिमाचल प्रदेश के बाहर बहुत सारे बैंकिंग और अन्य शिक्षण संस्थान जो पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में हैं, वहां तक फैले हुए हैं और इन पर हमारे हिमाचल के विजीलैंस और सी0आई0डी0 सफल नहीं हो पाते इसलिए मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि इसे सी0बी0आई0 को दिया जाना चाहिए। सी0बी0आई0 ने जो हमें अभी तक सूचियां दी हैं उसी से पता चलता है कि यह कितना बड़ा घोटाला है। यहां पर जो पैसे का दुरूपयोग और भ्रष्टाचार होता रहा है, उसमें जो भी संस्थान, अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाये जाएंगे, वे सी0बी0आई0 के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। इसमें अगर विभागीय कार्रवाई भी करनी होगी तो जैसे प्रश्न में भी माननीय सदस्य ने पूछा था, हम उसको भी करेंगे लेकिन इस प्रकार की धांधली यहां न हो, इस बात को एन्श्योर करना चाहेंगे। मैं माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हम कम्प्यूटर

की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रारम्भ से ही कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदेश के स्कूलों में शुरू कर दें। इस जवाब को ध्यान में रखते हुए मैं कर्नल इन्द्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संकल्प को वापिस ले लें क्योंकि सरकार की वही मंशा है जो माननीय सदस्य, कर्नल इन्द्र सिंह जी की मंशा इस संकल्प में है।

उपाध्यक्षः क्या माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी अपना संकल्प लेने के लिए तैयार हैं?

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। मैं इनके द्वारा दिए गए आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्षः क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए।

संकल्प वापिस हुआ।

अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री बलबीर सिंह(चिन्तपुरनी)ः उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आबंटित धनराशि का सदुपयोग किया जाए तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विभाग की जवाबदेही निश्चित करने हेतु ठोस नीति बनाने पर यह सदन विचार करे"।

उपाध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आबंटित धनराशि का सदुपयोग किया जाए तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विभाग की जवाबदेही निश्चित करने हेतु ठोस नीति बनाने पर यह सदन विचार करे"। माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें क्योंकि अभी अन्य संकल्प भी हैं।

श्री बलबीर सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, जब से इस आजाद हिन्दुस्तान में पंचायती राज संस्थायें काम कर रही हैं, तब से लेकर पंचायतों द्वारा गांववासियों की उम्मीदों के अनुसार विकास कार्यों किये जाते रहे हैं।

उन विकास कार्यों के लिए पंचायत के प्रधान, पंच और उसमें जो सरकारी स्टाफ होता है, उनके माध्यम से विकास कार्य किया जाता है। मैं यह कह सकता हूं कि पंचायतों को इतना अधिक धन जा रहा है परन्तु धन की कोई देख-रेख न होने के कारण काम की गुणवत्ता और मटीरियल की गुणवत्ता नहीं हो पा रही है। मनरेगा के माध्यम से, 14वें वित्तायोग के माध्यम से, एम0पी0 लैड से, एम0एल0ए0 क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से और एस0डी0पी0 से पंचायतों के विकास कार्यों के लिए धन आबंटित किया जाता है परन्तु वह धन पंचायतों में आबंटित होने के बाद किस प्रकार से लगे, उसकी गुणवत्ता क्या हो, उसमें जो मटीरियल आए वह किस गुणवत्ता का हो, उसको जांचने की क्या प्रक्रिया हो, ऐसा कोई भी समाधान वहां पर नहीं है। हालांकि पंचायत में जो काम हो रहे हैं या होते हैं उनको देखने के लिए पंचायत के अलावा सरकार की तरफ से बी0डी0ओ0, पंचायत इंस्पैक्टर, जे0ई0, सेक्रेटरी, असिस्टैंट सेक्रेटरी, टैक्निकल सहायक, जी0आर0एस0, ग्राम सेवक और 7-8 कर्मचारी उसकी देख-रेख करते हैं परन्तु काम होने के बाद, जब वह काम खराब हो जाता है, उसकी गुणवत्ता सही नहीं निकलती है तो इन सरकारी कर्मचारियों की कोई भी जिम्मेदारी निश्चित नहीं होती। अगर सस्पैंड किया जाता है, अगर पूछताछ की जाती है तो केवल मात्र चुने हुए पंचायत के प्रधान से और कई बार तो पंचायत प्रधान का क्या वर्ज़न हैं, उसको अनसुना करके, उसको सस्पैंड भी कर लिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं, इस सदन के नेता आदरणीय मुख्य मंत्री जी का और पंचायती राज मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इस गुणवत्ता को जांचने के लिए इन्होंने अभी हाल ही में एक प्रदेश स्तर का टैक्निकल विंग बनाया है। मैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस टैक्निकल विंग को अति शीघ्र धरातल पर उतार दिया जाए,क्योंकि पंचायतों में पूछने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपनी दो-तीन पंचायतों के यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र, चिन्तपुरनी में एक पंचायत अम्ब है। उसमें एक सेक्रेटरी लगभग 12 साल से काम करता रहा, जब कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि वह उस पंचायत से नहीं था, दूसरी पंचायत से था। सेक्रेटरी इतनी मनमानी करता है कि उसी पंचायत में 10 मरले जमीन खरीद कर अपना राशनकार्ड किसी दूसरी

पंचायत में बनाता है और अपनी घरवाली का एक अलग राशनकार्ड बना कर उसी पंचायत में उसको नौकरी में रख लेता है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि उसको इतने समय से तन्ख्वाह कैसे दी जा रही है? मैंने प्रश्न भी लगाया था और मंत्री जी ने मौखिक तौर से मुझे कहा कि उसने ट्रिब्यूनल से स्टे प्राप्त कर लिया है। मैं इस बात से हैरान हूं कि जो हमारा कर्मचारी ही नहीं है उसको ट्रिब्यूनल किस प्रकार से स्टे दे रहा है? ट्रिब्यूनल को भी यहां से हटाया गया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मेरी एक और पंचायत ओलियां प्रोहता है। हालांकि जी0आर0एस0 के लिए एक निश्चित सीमा तक ही वह उन बिलों को प्रस्तुत कर सकता है। मुझे बताया गया कि 5 लाख रुपये तक वह उन बिलों को प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु उसकी उस पंचायत में इतनी मनमानी होती है, वह 6-7 लाख रुपये के बिल प्रस्तुत कर देता है। प्रधान को सस्पैंड करने की नौबत आ जाती है। अंत में वह प्रधान अपनी जेब से वह पैसे दे कर जमा करवाता है। वहां कोई भी पूछने वाला नहीं है। एक और ग्राम पंचायत सूरी है। कांग्रेस के वक्त में ही वहां सेक्रेटरी था, प्रधान था, उप-प्रधान था और नई पंचायत आती है वहां पर सेक्रेटरी की इतनी मनमानी होती है कि बिना जनरल हाउस किए, उप-प्रधान से मिल कर

22.08.2019/1445/SS-YK/1

प्रधान की अनुपस्थिति में बी0पी0एल0 की सारी-की-सारी लिस्ट चेंज कर देता है। मेरे ध्यान में यह बात लाई जाती है तो मैं समकक्ष अधिकारियों से बात करता हूं। लिस्ट तो ठीक कर दी जाती है परन्तु जिला के पंचायत के अधिकारी अपने स्टाफ को बचाने के लिए ही ताना-बाना बुनते हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक और पंचायत पंजोआ-लडोली है। 2016 में वहां पर डस्टबीन लगाए गए। पंचायत में इतने अधिकारी होने के बावजूद कहीं भी यह निश्चित नहीं किया गया कि उस डस्टबीन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जिसकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं थी, दूसरे गांव के किसी ऐसे व्यक्ति से कोटेशन ला करके डस्टबीन लगा दिये जाते हैं। इसी साल जब माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिये तो उसकी इंक्वायरी होती है। पाया जाता है कि उस डस्टबीन की कीमत केवल मात्र 2800 रुपया है जबकि उसकी पूर्ति 6000 रुपया

हुई है। मैं मामले की तह तक गया। मुझे पता चला कि इसमें प्रधान कहीं भी इंवोल्व नहीं थे। सैक्रेटरी खुद कोटेशन लाता है, खुद उसकी पेमेंट करता है। ठीक करता है या गलत करता है, कुछ पता नहीं। परन्तु इंक्वायरी में केवल मात्र प्रधान को सस्पैंड कर दिया जाता है। सैक्रेटरी ने खुद माना और जो 68000 रुपये का डिफरेंस पाया गया था उसमें से उसने मु0 34000 रुपये खजाने में जमा भी करवा दिये हैं। वह कसूरवार हो गया परन्तु आज तक उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मेरी एक और पंचायत नंदपुर है। यह 2017 के शुरू की बात है। उस पंचायत में महिला प्रधान थी। वह नयी थी। रोस्टर प्रणाली की वजह से हर बार नये-नये प्रधान आते हैं। जो पढ़े-लिखे होते हैं वे ट्रेंड हो जाते हैं और कार्यकुशलता से काम करते हैं। परन्तु जो नये होते हैं और कम पढ़े-लिखे होते हैं जिन्हें तजुर्बा नहीं होता है वे बेचारे फंस जाते हैं। उस पंचायत में 4 लाख रुपया एक रास्ता बनाने के लिए मंजूर होता है। जे0ई0 कहता है कि इस रास्ते को तभी बनाया जाए जब मेरी जेब में कम-से-कम 50 हजार रुपया डाला जाए। पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान सारे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और इतने पैसे में यह नहीं बन पायेगा और यह गलत रास्ता होगा तथा हमारी गांव में जवाबदेही होगी। जे0ई0 कहता है कि मैं खुद रास्ता बनवा देता हूं आपने केवल मात्र बिलों पर दस्तख्त करने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, रास्ता बन जाता है। इस साल उसी रास्ते की इंक्वायरी होती है तो 4 लाख में से केवलमात्र 90 हजार रुपया लगा हुआ पाया जाता है। अब सस्पैंशन की तलवार उस महिला प्रधान पर लटकी हुई है। मैं इसलिए इस माननीय सदन में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए आपने विंग ज़रूर अच्छा बनाया है लेकिन इसको और भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव में पेवर आते हैं, बिजनेस हो रहा है। चार-पांच रुपये की लागत वाला जो पेवर है वह कितने एम0एम0 का है? उसका ऑर्डर 120 एम0एम0 का दिया जाता है, जब रास्ते पर चैक करो तो 80 एम0एम0 का पाया जाता है। जहां 80 एम0एम0 का ऑर्डर दिया जाता है अगर चैक करो तो 60 एम0एम0 का पाया जाता है। बड़ा बुरा हाल है! यहां तक कि उस पेवर में शुरू से ही, जिस दिन उसकी डिमांड की जाती है कम-से-कम तीन रुपये सैक्रेटरी, जे0ई0 और सहायक, ये लोग तीन खाते हैं। प्रधान के

हिस्से केवलमात्र एक रुपया ही है। यानी की एक पेवर में चार रुपये का कमीशन है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उस टेक्निकल विंग को और भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर भरती डालने के लिए बजरी लानी है, कोई पूछने वाला नहीं है, प्रधान अपनी मर्जी से खड्ड से उठाकर ले आता है। परन्तु जब बिल की बात आती है तो वह प्रधान के गले में अंगूठा देकर कहता है कि मैंने यह सवाल खड़ा कर देना है कि तुम जाली बिल क्रैशर वाले से लेकर आए हो। यह जो बजरी डाली गई है यह खड्ड से आई है। प्रधान को मजबूर हो करके सैक्रेटरी, जे0ई0 और टेक्निकल सहायक का पेट भरना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार और मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए और इसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए विभाग को कहा जाए। कोई ऐसी नीति बनाने की तरफ ध्यान दिया जाए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

22.08.2019/1450/केएस/वाईके/1

उपाध्यक्षः अब श्री रमेश चंद ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बलबीर सिंह जी ने जो पंचायती राज में पारदर्शिता लाने के लिए संकल्प रखा है, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भी इन सारी पौड़ियों को चढ़कर आया हूं। मैं 15 साल प्रधान रहा हूं, वाइस चेयरमैन रहा हूं, चेयरमैंन रहा हूं, जिला परिषद का मैम्बर रहा हूं लेकिन हमारे समय में पांच सालों में एक लाख रुपये मिलते थे। आपने अख़बारों में भी पढ़ा होगा, हिमाचल प्रदेश का 14वें वित्तायोग का और एम.एल.ए. विकास निधि और एम.पी. फंड तथा और भी जो किसी से फंड मिलते हैं, 700 करोड़ रुपया अनस्पैंट पड़ा हुआ है । मनरेगा की तो लिमिट ही नहीं है। 966 करोड़ रुपया प्रदेश में खर्च हुआ है। जो भाई बलबीर सिंह जी कह रहे थे, यह तथ्यों पर आधारित है कि सैक्रेटरी और प्रधान की थोड़ी-बहुत मिलीभगत तो होती ही है लेकिन गुणवत्ता की जो बात है, यह भी बिल्कुल

तथ्यों पर आधारित है कि खड्डु से बजरी ला कर वहां डाल देते हैं और बिल क्रशर या अप्रूव्ड क्वारी से लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे कि लैंटर ही गिर गया, इतना तो मैं नहीं कह सकता लेकिन अधिकतर रास्तें दो-तीन या चार महीने के बाद उखड़ने लग जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं यह सुझाव दूंगा कि मंत्री जी, आपके पास मेरे ब्लॉक में आज भी 15 करोड़ रुपया पड़ा है तो आप कम से कम क्वालिटी में सुधार लाने के लिए, टैस्टिंग के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक लैबोरेटरी रखें ताकि भ्रष्टाचार कम हो। आप एक टैक्निकल विंग खड़ा कर रहे हैं, आप करिए लेकिन मैं इसमें और सुझाव देना चाहूंगा कि तीन-तीन महीने आपके ये जो काम हैं जो गांव में हम पैसा देते हैं, किसी दूसरे फंड से या मनरेगा से पैसा आता है, मेरे ख्याल में वह आपके कम्प्यूटर में ही दो-दो महीने वे फीड ही नहीं होते हैं और इतना डिले हो जाता है कि साल-छः महीने तक काम शुरू ही नहीं हो पाते। इसलिए पंचायत के जो आप प्रधान, सैक्रेटरी कह रहे हैं, एक लाख रुपये तक के टैंडर से नीचे पंचायत काम करें

22.8.2019/1455/av/ag/1

और इससे ऊपर की धनराशि से अगर काम करवाना है तो उसको लोक निर्माण विभाग के पास डिपॉज़िट करवाइए फिर पारदर्शिता आ सकती है। ब्लॉक्स में जो इतना अनस्पैंट पैसा पड़ा हुआ है वह तभी कनज्यूम हो पायेगा अगर आप उसके लिए टैंडर की प्रक्रिया अपनायेंगे। मैं इस मुद्दे को एक साल से बार-बार उठा रहा हूं कि पंचायतीराज को स्ट्रैन्थन करने के लिए आप एक टैक्निकल विंग खड़ा कीजिए। मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि एक ब्लॉक में कम-से-कम एक एस0डी0ओ0 होना चाहिए और 5 लाख रुपये से ऊपर के सारे कार्य वही देखे तथा तीन लाख रुपये से ऊपर के कार्य जे0ई0 देखे। मगर वहां कोई जे0ई0 या एस0डी0ओ0 नहीं जाता है और प्रधानों तथा सचिवों द्वारा इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो आपके मोनिटरिंग सिस्टम में सुधार होना चाहिए। मोनिटरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब फाइनल बिल बन जाए तो उसमें बी0डी0ओ0 और एस0डी0ओ0 के साइन जरूरी हो ताकि वे उसको टैक्निकली देख

तो सकें। अभी जैसे बलबीर जी कह रहे थे कि काम निकला 90 हजार रुपये का और उसका टैंडर 3-4 लाख रुपये का हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि पैसे का इस तरह से मिसयूज़ हो रहा है। अब माननीय सदस्य राम लाल ठाकुर जी बुरा मान जायेंगे क्योंकि कहीं-कहीं पर तो कांग्रेस घास उखाड़ने के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, इतने लैवलिंग के लिए खर्च कर दिए, इतने पैसों से खुरली बना दी; इस प्रकार से यह तो पूरी तरह से पैसों की बरबादी है। इसकी बजाय यदि 10-15 घरों के लिए कोई लिंक रोड बनाया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें भी जहां पर टाइल्स बिछाई जा रही है वह तो ठीक है मगर सी0सी0 कंक्रीट की कोई क्योरिंग नहीं करता। अगर सी0सी0कंक्रीट डालनी है तो उसमें 6-6 इंच जी0एस0पी0 डाली जाए और उसके ऊपर बज़री डालकर फिर सी0सी0 कंक्रीट की जाती है तो उसकी स्ट्रैंथ और अच्छी होगी। पता नहीं कहां से बज़री लाई जाती है, उस पर ट्रैक्टर चलते हैं और दो महीने के बाद वह सड़क टूट जाती है। ऐसा भी नहीं है कि सारे प्रधान बेइमान है।

पंचायतीराज में महिलाओं को 50 प्रतिशत कोटा दिया गया है, मैं बहुत हैरान हूं कि उन महिला प्रधानों को यही पता नहीं होता कि 400-400 सीमेंट की बोरी कहां गई। इसलिए आपको अपने मोनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रोंग करना होगा। इसके अतिरिक्त आपका जो चैकिंग सिंस्टम में पी0आई0ए0 है उसमें कभी गलती नहीं हो सकती। हां, ऑडिट वाले तो मिले होते हैं अगर उनकी सेवा-पानी ठीक से हो जाए तो वे प्रधान द्वारा जो कहा जाता है उसको कर देते हैं। इसलिए पी0आई0ए0 या सब-इन्सपैक्टर जाकर उस रिकॉर्ड को चैक करें कि उसके बिल-बॉचर ठीक है, क्या उसने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। उसने जो स्टॉक रजिस्टर रखा हुआ है उसमें एंट्री हुई है या नहीं हुई है। क्या सारे लोगों के दस्तख्त हुए हैं या नहीं; अगर इस तरीके से पारदर्शिता से काम करेंगे तो वहां पर कुछ लोगों को डर भी होगा। वरना करोड़ों रुपये का पता नहीं चल रहा है और अब तो प्रधान एम0एल0ए0 से ज्यादा पावरफुल हो गया है। मेरी एक-एक पंचायत में 14वें वित्तायोग का 77-77 लाख रुपये आ गया तो आप बतायें कि वे हम से तीन लाख रुपये की राशि के लिए क्यों अनुरोध करेंगे। मनरेगा व 14वें वित्तायोग में कोई कमी नहीं है और इसके अतिरिक्त भी

उनको कई फंड मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो अपने स्टाफ को चुस्त-दुरुस्त कीजिए क्योंकि आपके जे0ई0 इत्यादि चैकिंग पर नहीं जाते हैं। केवल तकनीकी सहायक ही सारा कार्य देखता है। एक टैक्निकल सहायक के पास केवल दो पंचायतें होनी चाहिए मगर आपने उनको 4-4 पंचायतें दी

22.08.2019/1500/टी.सी.वी./ए.जी.-1

वह कभी वहां जाता है, कभी नहीं जाता है। उन पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कोई नहीं दे रहा है और न ही उसकी कोई मोनिटरिंग कर रहा है। इसलिए स्टॉफ को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। लोगों को विश्वास में लेकर जो काम होता है उसमें पारदर्शिता होती है। लेकिन पंचायतों में लोगों को बताया ही नहीं जाता है कि कितने पैसे मैटिरियल आया? इसलिए वहां पर मैटिरियल का भी एक रजिस्टर रखा जाये ताकि लोगों को भी पता लग सके कि कितना मैटिरियल आया है और कितना कंज्यूम हुआ है। अब केन्द्र से सीधा पैसा पंचायतों में आ रहा है। इसलिए यदि पारदर्शिता के साथ काम हो तो गांव की कायाकल्प हो जाएगी। गांव में कोई रास्ता व सड़क बनने से नहीं रहेगी। यदि कोई सामुदायिक भवन बनाने चाहते हैं तो वह भी बनाया जा सकता है क्योंकि उसके लिए पैसों की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन पंचायतों में काम बड़ी ही धीमी गति से चले हुए हैं। यदि आपके पास लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्ज़ होंगे तो यह स्वाभाविक बात है कि they will do everything as per rule and specifications. इसलिए वे स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम करेंगे और यदि सड़क पर बजरी या कंकरीट कंपैक्ट करेंगे तो वह सड़क या रास्ता 10-15 सालों तक खराब नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान(शिलाई)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने नियम-101 के तहत जो प्रस्ताव लाया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यह बात सही है कि

हमारी डैमोक्रेसी की जो सबसे छोटी संस्था है, वह ग्राम पंचायत है। इसके बारे में यहां पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है कि पंचायतों में क्या-क्या हो रहा है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं इनकी बहुत-सारी बातों से सहमत हूं कि आज पंचायतों और ब्लॉकों की क्या कार्य प्रणाली है, यह हम सब विधायकगण जानते हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो सांसद निधि या विधायक निधि है, उसका सारा पैसा पंचायत के प्रधानों को जाता है और यह पंचायत व पंचायत प्रधान की मर्ज़ी पर निर्भर है कि वह उस पैसे को खर्च करें या न करें। हमने कई बार देखा है, जहां हमारे विरोधी दल का पंचायत प्रधान है और यदि वहां हम विधायक निधि देते हैं तो वह प्रधान विधायक निधि का पैसा 2-3 सालों तक खर्च ही नहीं करता है। मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसका आप कोई समाधान निकाले कि अगर पंचायत की बॉडी किसी धनराशि को खर्च नहीं करती है तो उसका क्या वे-आउट है। हम विधायक निधि में पैसा दे देते हैं लेकिन पंचायत उस पैसे को खर्च ही नहीं करती है। क्या इसके लिए आप किसी और एजेंसी के माध्यम से कोई रास्ता निकालेंगे? ताकि इस पैसे को खर्च किया जा सके। माननीय विधायक ध्वाला जी ने सही कहा कि बजरी कहां से आ रही है, कहां जा रही है और बिल कहां से आ रहे हैं? ये किसी को भी पता नहीं होता है। (***) मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप शिलाई आएं, मैं दावे के साथ इस सदन में कह सकता हूं कि मेरे शिलाई ब्लॉक में

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

22-08-2019/1505/NS/DC/1

मनरेगा में पिछले 10-12 सालों में लगभग 300 करोड़ रुपये आए होंगे। मैं इस माननीय सदन में जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते यह कह सकता हूं कि लगभग 200 करोड़ रुपये पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी और जे.ई. लोग खा गए हैं। वहां मौके पर 100 करोड़ रुपये भी नहीं लगे होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस लैवल का भ्रष्टाचार है। इस माननीय सदन में ठीक ज़िक्र किया गया है। मेरा समर्थन माननीय सदस्य बलबीर सिंह वर्मा जी कर रहे हैं। मैं हार्ड एरियाज़ चौपाल, शिलाई, संगड़ाह, राजगढ़ और चम्बा के ब्लॉक्स के बारे में यह कह सकता हूं कि इन ब्लॉकों में भ्रष्टाचार का लैवल बहुत हाई है। चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बी.जे.पी. की सरकार है मैं कह सकता हूं कि हर सरकार और हम जितने

प्रतिनिधि हैं we have failed to stop corruption. ऐसा नहीं है this is not a political issue. पूर्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी भ्रष्टाचार था और अब भाजपा की सरकार है तब भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस भ्रष्टाचार को रोकने की बहुत कोशिश की है। जब कोई अच्छा बी.डी.ओ. आता है तो वह अधिकारियों, कर्मचारियों और जे.ईज. पर नकेल डालने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे जो लोकल कर्मचारी हैं जैसे पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम रोजगार सेवक आदि सरकार के ऊपर इतना दबाव बना देते हैं कि वहां से उस बी.डी.ओ. को छः महीने या एक साल में ट्रांसफर करवा देते हैं। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र शिलाई में आए थे। वहां पर पूर्व में एक बी.डी.ओ. थे उन्होंने पंचायत सचिवों की अपने आप ही ट्रांसफर कर दी और स्टे भी कंडोन कर दी। इसके लिए उन्होंने जिलाधीश महोदय से परमिशन नहीं ली। ट्रांसफर पर प्रतिबंध हो तो माननीय मुख्य मंत्री ट्रांसफर करेंगे और अगर प्रतिबंध न हो तो माननीय मंत्री करेंगे। लेकिन यहां तो बी.डी.ओ. ने ही ट्रांसफर कर दी। जिलाधीश ने सरकार को फाइल भेजी कि इस बी.डी.ओ. के खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। लेकिन बी.डी.ओ. के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया और he was given posting of his choice. उस बी.डी.ओ. को कंडाघाट या सोलन में लगा दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों की यह स्थिति है और यह स्थिति कब तक चलेगी? यह बहुत चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करना होगा तथा राजनीतिक लैवल से उठकर विचार करना होगा। जब मैंने देखा कि इस विषय पर कुछ नहीं होने वाला है तो मैंने आर0टी0आई0 मांग ली। माननीय मंत्री जी कुछ पंचायतों में जहां भ्रष्टाचार का लैवल बहुत हाई था तो मैंने वहां की आर0टी0आई0 लगा दी कि मुझे पिछले तीन सालों की स्कीमों का ब्यौरा दिया जाए। इससे क्या हुआ कि वहां पर जो कर्मचारी हैं वे इकट्ठे हो करके मेरे पास आ गए और वे मेरे भी समर्थक हैं तथा कहने लगे कि आप अपना लैवल क्यों गिरा रहे हैं, आप इसको छोड़ो। तब मुझे पता चला कि ये किस स्तर पर आ गए हैं? माननीय मंत्री जी आपने गलत किया। हमारी पूर्व सरकार ने जे.ईज. को होम ब्लॉक से बाहर निकाला था। आपने जे.ईज. के दबाव में आ करके पॉलिसी को बदल दिया और भ्रष्ट कनिष्ठ अभियंताओं को वापिस ले आए। आपने यह गलत किया है। मैं समझता हूं कि जब तक सरकार की इच्छाशक्ति न हो, सरकार स्ट्रोंग न हो और सरकार की विलपॉवर न हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कुछ अधिकारियों व

कर्मचारियों के अंगेस्ट कंपलेंट्स हैं आप उनको डिस्मिस करो। पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक है, you can dismiss them because they are not regular employees of the Government. अभी माननीय सदस्य बलबीर जी ने डिस्कस किया कि पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सेवकों के अंगेस्ट रिकवरी बनती है। आप पंचायत प्रधान को सस्पैंड कर दो, रिकवरी भी पंचायत प्रधान भरेगा और पंचायत सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो यह ठीक नहीं है। विकास खंडों में इतने हाई लैवल का मैनिप्युलेशन है कि इस कोकस को तोड़ने की जरुरत है। अभी माननीय सदस्य रमेश चंद ध्वाला जी ने जिक्र किया और अन्य माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मेरी एक पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक है उसने अपनी पत्नी की मनरेगा में दिहाड़ी लगवा दी और उसकी पत्नी शिलाई में रहती है तथा इस बात का किसी को पता नहीं था। मनरेगा में जिसकी एक साल में 20 से ज्यादा दिहाड़ी होगी तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। कुछ समय बाद विकास खंड में इंटरव्यू हुआ और उसकी पत्नी को तीन साल की दिहाड़ियों के 30 नंबर मिल गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विकास खंडों की यह स्थिति है। पंचायतों में पैसा आता है, एग्रीमैंट हो जाएगा और जब पहली किस्त पंचायत को आएगी तो बी.डी.ओ., जे.ई., और पंचायत सचिव का हिस्सा एडवांस में चला जाएगा। काम शुरू होने से पहले ही यह पैसा चला जाएगा। मैंने माननीय मंत्री जी को मनरेगा के बारे में कहा है। मेरे शिलाई ब्लॉक में पंचायतों को एक साल में मनरेगा का लगभग 1-2 करोड़ रुपये स्वीकृत हो जाते हैं। MGNREGA is a Act.

22.08.2019/1510/RKS/DC-1

मनरेगा के माध्यम से जो जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं उसमें 100 दिहाड़ियां लगाने से ज्यादा का प्रावधान नहीं है। हम इस योजना के माध्यम से एक पंचायत में 60 या 70 लाख रुपये से ज्यादा का काम नहीं कर सकते। लेकिन हो यह रहा है कि One time sanction दी जा रही है। जैसे भूमि-सुधार के काम के लिए ठेकेदार को 10 लाख का काम 10 या 20 परसैंट में दे दिया जाता है। यह ठेकेदारी प्रथा आज ब्लाकों में है और इसे रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए जब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता। निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता बहुत घटिया है। माननीय ध्वाला जी ने ठीक कहा कि आज सड़क बनती है और तीन महीने बाद यह पता नहीं चलता कि

यहां कोई सड़क बनी थी। ग्राम रोज़गार सेवक और जो टैक्निकल लोग हैं वे पता नहीं कहां से बिल इकट्ठा करते हैं। मुझे भी इस तरह की एक कंप्लेन्ट मिली थी कि एक सब्जी वाले ने सीमेंट का बिल दे दिया और बिल की पेमैंट भी हो गई। इसमें सारी-की-सारी मिलीभगत है। माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह जी ने बहुत अच्छा संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि आप इसमें पारदर्शिता लाएं। जब पी.ए.सी. की मीटिंग में इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली के बारे में ज़िक्र किया गया था तो हमने वहां पर भी इस बात का समर्थन किया था। लेकिन जब तक आप कर्मचारियों के ख़िलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आप इसमें पारदर्शिता नहीं ला सकते। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलेने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जरयाल चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल(भटियात): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय बलबीर सिंह जी ने प्रस्तुत किया है कि 'पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आबंटित धनराशि का सदुपयोग किया जाए तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विभाग की जवाबदेही निश्चित की जाए', इसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। मैं भी पंचायत का प्रधान और दो बार जिला परिषद् सदस्य रहा हूं। उस समय भी कैश बुक को पंचायत सैक्रेटरी मैंटेन करता था जिसे बाद में ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता था ताकि इसकी जिम्मेवारी सैक्रेटरी पर न रहे। मेरे ख़्याल से अभी भी यही सिस्टम होगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस बिल बुक को सैक्रेटरी और प्रधान दोनों अनुप्रमाणित करें। इसके ऊपर सैक्रेटरी और प्रधान के अलावा तकनीकी सहायक की जिम्मेवारी भी सुनिश्चित की जाए। आज पंचायतों में बहुत पैसा आ रहा है फिर भी बहुत से काम पैंडिंग पड़े हुए हैं। मैं वर्ष 2006 की बात करना चाहता हूं। उस समय मैं जिला परिषद् का सदस्य था। मेरी ग्राम पंचायत महनोता में जब बिना इलैक्शन के पदाधिकारियों का चयन हुआ तो इसके लिए पंचायत को 10 लाख रुपये स्वीकृत हुए । इसके अतिरिक्त 2.40 लाख रुपये डी.सी. हैड से भी लिए गए। इतना पैसा मिलने के बावजूद भी अभी तक वहां पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, महनोता के भवन निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है। उसकी असैसमैंट नहीं हो रही

है। इस स्कूल के लिए अभी माननीय जय राम ठाकुर जी ने 30 लाख रुपये स्वीकृत किए लेकिन यह पैसा ख़र्च नहीं हो पा रहा है। जब तक पिछली असैसमैंट नहीं होगी तो अगला पैसा कैसे ख़र्च किया जा सकता है? अगर पी.डब्ल्यू.डी. को निर्माण कार्य के लिए कहा जाता है तो वे कहते हैं कि इस बिल्डिंग की नींव मज़बूत नहीं है इसलिए हम इस कार्य को नहीं कर सकते। इस तरह के कई काम लंबित पड़े हैं। बी.डी.ओ. रैजिडैंस के लिए 7 लाख रुपये मंजूर हुए थे। यह पैसा पिछली सरकार के समय स्वीकृत हुआ था लेकिन उसमें चार दीवारी लगाने में ही सारा पैसा खर्च कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि सामग्री की टैडरिंग की जाए। अगर टैंडरिंग भी होगी तो भी ठेकेदार पी.डी.डब्ल्यू.डी., आई.पी.एच या अन्य विभागों से मनमाने रेट में काम लेते हैं। यहां पर एक बड़ी बात सामने आई है।

22.08.2019/1515/बी0एस0/एच0के0-1

और माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने भी कही है कि यदि किसी कार्य को पंचायत प्रधान करता है और पंचायत सचिव को, तकनीकी सहायक को, ग्राम रोजगार सेवक को, जे0ई0 को और एस0डी0ओ0 को परसेंटेज नहीं मिलती है तो कार्य की असेसमेंट को कम कर दिया जाता है। यह बहुत बार विषय आता है। एक मेरी पंचायत धुमरेट है वहां पर 17 कार्य ऐसे हुए हैं जिनकी न वहां पर कैश बुक भरी गई है, न प्रस्ताव पारित हुए हैं, न इन कार्यों को ग्राम सभा में डाला गया है। अभी उन कार्यो की जांच करवाई गई, जिस वजह से पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव दोनों बाहर होने वाले हैं। यहां पर निदेशक और संयुक्त निदेशक पंचायती राज भी बैठे हैं। ऐसे-ऐसे कार्य पंचायतों में हो रहे हैं ज्यादातर वे पंचायतें जो दूर-दराज स्थित हैं वहां पर कोई जाता ही नहीं है, वहां पर ज्यादा ऐसे कार्य हुए हैं। मेरी तो कुछ पंचायतें 16-16 किलोमीटर सड़क से दूर हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह भी है कि हरेक ब्लॉक में एक तकनीकी विंग खोला जाए और एग्जिक्यूटिंग एजेंसिज चाहे कोई भी हो उन्हें लोगों की बात को मानना चाहिए। जो तकनीकी विंग है वह दोबारा उस कार्य की असेसमेंट करें कि कार्य सही हुआ है या नहीं। जब मैं जिला परिषद सदस्य था तो हमने कार्य निष्पदान के लिए समितियां गठित करके खुद कार्य करवाया था। पंचायत में बहुत सारा पैसा पड़ा है वह उसे ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो बी.डी.सी.

और जिला परिषद के सदस्यों को पैसा दिया जाता है उसे पहले की तरह खुद अपने कार्यों को एग्जिक्यूट करें। इससे कार्यों में तेजी भी आएगी और विकास तेजी से होगा। मैं जब पंचायत प्रधान था, मैंने एक रास्ते का कार्य करवाया वहां पर तकनीकी सहायक असेसमेंट करने गई। वहां के लोगों ने उस रास्ते की शिकायत दर्ज करवाई। जब बी0डी0ओ0 आया तो मुझे भी वहां पर बुलाया गया मैं भी वहां पर गया। तकनीकी सहायक ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि रास्ता कौन सा था। वह किसी और रास्ते की ही असेसमेंट करके आ गई। ग्राउंड पर जो हमारे तकनीकी सहायक हैं वे मौके पर जाते ही नहीं है। वे कहते हैं, कार्यालय में आइए और जो भी कागज़ हैं उन्हें यहां जमा करवाइए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी लंबे समय से मैं पंचायती राज में रहा हूं। मैं 14 में से 14 जिलों में घूमा हूं । दूसरे राज्यों में भी इन कार्यों के संबंध में गया हूं। कुल मिलाकर माननीय सदस्य जो संकल्प सदन में लाए हैं इस बारे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि इसके ऊपर गहनता से विचार करें ताकि कार्य की गुणवत्ता सही हो और हमारे कार्य अच्छे हों। आज मनरेगा के करोड़ रुपये के कार्य पंचायतों में हुए हैं वह कहीं दिखते ही नहीं कि कहां पर वे कार्य हुए हैं। जब भी पंचायतों में विकास कार्य हों तो वे दिखने भी चाहिए। मैं संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुख राम जी चर्चा में भाग लेंगे। समय का भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसमें चर्चा के लिए 15 माननीय सदस्यों में भाग लेना है।

श्री सुख राम (पांवटा साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, माननयी सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज विकास कार्यो के लिए बहुत अधिक धन पंचायतों के पास आता है।

22.08.2019/1520/डी0टी0/एच0के0-1

जिस तरह से लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उसी तरह से आज पंचायती राज भी गांव के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है और

बहुत धनराशि जो सीधी पंचायतों को जाती है चौदहवें वित्त आयोग का पैसा सांसद निधि का पैसा विधायक निधि का पैसा एस0डी0पी0 का पैसा और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का बहुत सारा पैसा पंचायतों को जाता है। बहुत से सामुदयिक भवन ,महिला मण्डल भवन ,नव युवक मण्डल भवन ,लोक भवन व सुरक्षा दीवारे सिंचाई की छोटी-छीटी स्कीमें ,संपर्क मार्ग,बाबडियां छोटी-छोटी पुलियों का निर्माण भूमि सुधार के कार्य और सिंचाई के टैंक बनाने का कार्य भी पंचायतों द्वारा किए जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है जिस तरह से लोक निर्माण विभाग में और सिंचाई विभाग में किसी भी काम को करने से पहले उसका एस्टीमेट बनाया जाता है और फिर एस्टीमेट पास करवाया जाता है यह सारा प्रोसैस करने के बाद टैंडर लगता है पंचायतों में भी उसी तरह से जो आपने गली बनानी है पहले प्रोपर इसका एस्टीमेट बनाया जाए कि कितना पैसा खर्च होना है और जब आप उसका पूरा एस्टीमेट बना कर काम करेंगे उसके बाद उसकी एसैसमेंट भी प्रोपर तरीके से हो सकती है। होता क्या है हम अन्दाजे से पंचायतो को पैसा दे देते है इसके घर से उसके घर तक सड़क बना दो, 75 हजार रूपये दे दिया फिर 75 हजार में ऐसी ही सड़के बननी है जैसी सडके बनती है। इसलिए मेरा कहने का उदेश्य यह है कि जो टेकनीकल विंग है इस काम को करने के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। बाद में सारी जिम्मेवारी पंचायत प्रधान के ऊपर आ जाती है। जो भी काम पंचायत में होता है, जब पंचायत का काम होता है तो उसके लिए जितना पंचायत का प्रधान जिम्मेवार हो उतना पंचायत सचिव भी जिम्मेवार हो और जो वह काम करवा रहा है अगर उस काम में कोई गलती निकाली जाती है तो वह भी बराबर का जिम्मेवार होना चाहिए। उसके बाद आपका टेक्नीकल सहायक है उसको आपने काम करने की एक पावर दे रखी है। उसके बाद जे0ई0 है और उसके बाद एस0डी0ओ0 का नम्बर आता है। इसलिए अगर एक्सियन हो तब पंचायत में सुधारीकरण हो सकता है । काम करने वाले और काम करवाने वाले बराबर जिम्मेवार हो तब जाकर इस विभाग में सुधार हो सकता है। आज उतना पैसा लोक निर्माण विभाग के पास नहीं है, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पास नही है जितना पैसा

पंचायतो के पास है। पंचायतो में पैसो का बहुत दुरूपयोग होता है जिसका समाज में भी गलत संदेश जाता है। इसलिए मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं जो टेक्नीकल विंग मजबूत करने की बात कही गई है और जो लैब की बात ब्लॉक स्तर की गई है उसे जिला स्तर में बनाएं ताकि जो काम है उसकी टेस्टिंग करवाई जाए कि वहां पर काम की गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता इसकी अच्छी है या नहीं । यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर इसमें सुधार करना है और जहां तक मनरेगा के कम पैसे देने की बात है, करोड़ रूपया एक-एक पंचायत में मनरेगा से जा रहा है और फर्जी हाजरियां लगाकर

22-08-2019/1525/वाई.के.-एन.जी./1

मस्टरोल बनाया, और बरसात में बह गया। बाद में पुछो तो कहते है कि लोक निर्माण विभाग के बड़े-बड़े पुल बह जाते हैं हमारी छोटी सी पुलिया बह गई तो क्या फर्क पड़ गया। (--घण्टी--) यानि के यह करप्शन का सबसे अच्छा जरिया बन गया है। मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 15 जून के बाद मनरेगा के जो भी मस्टरोल जारी होते हैं और 15 सितम्बर को जिनकी क्लोज़िंग हो जाती है उसमें से 95% काम वास्तव में शुरू ही नहीं होते। पंचायत प्रधान, सचिव और टेकनिकल काम करने वाला, ये तीनों बैठते हैं और सारा हिसाब बना लिया जाता है। इसके इलावा रोज़गार साहयक बैठता है, बड़े कामों के लिए जे.ई साहब बैठते है। उनकी भी परसेंटेज बंधी हुई होती है, वह भी अपना हिस्सा लेकर घर को चले जाते है। इसलिए इसमें चैक लगाने की आवश्यकता है। मनरेगा में काम करने के लिए एकदम से पैसा जारी नहीं होता है तो क्यों न मनरेगा में भी एस्टीमेट बना कर कार्य स्वीकृत किया जाए। अब होता क्या है कि एक आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़क बनाने के लिए मनरेगा में शैल्फ डाल दी और उसके लिए 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख रूपये लिख दिए तो मनरेगा के माध्यम से उतने ही पैसे स्वीकृत कर दिए जाते हैं। विभाग के पास टेकनिकल सहायक है तो वह इसका एस्टीमेट क्यों नहीं बनाता? मेरा मानना है कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एस्टीमेट बनाने से पहले उसका पैसा

स्वीकृत न हो। मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि अगर इस विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करना है (--घण्टी--)

उपाध्यक्ष : कृपया वाईन्ड अप करिए।

और काम में गुणवत्ता लानी है तो टेकनिकल विंग को मजबूत करिए। ये जो कच्चे काम किए जा रहे हैं यह केवल भ्रष्टाचार का अड्डा है इसे तुरन्त बंद करिए और काम करने का तरीका बदलिए। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : इस विषय पर अभी 14 माननीय सदस्यों ने बोलना है। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है और सभी को मालूम है कि प्रधान कैसे काम करते हैं, इसलिए जो उचित सुझाव हैं वही कहें ताकि सभी को बोलने का उचित समय मिल सके। अब माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में आदरणीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है और इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में कहा गया है कि विकास कार्यों में आवंटित धनराशि का सदुपयोग किया जाए और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। मैं इसी विषय के अधीन ही अपने विचारों को सीमित रखूंगा और समय कम है इस लिए थोड़े शब्दों में ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से पंचायती राज में नया संशोधन आया और थ्री टायर सिस्टम चला, जिसमें जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों और पंचायतों को अधिक शक्तियां देने की बात कही गई तो उसके बाद पंचायतों का कायाकल्प हो गया। लेकिन जिला परिषद और ब्लॉक समितियां अब नाम की रह गई हैं और उनके पास कोई पैसा नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय से प्रदेश सरकार थोड़ा सा पैसा इन्हें दे रही है जिसे वर्तमान सरकार ने भी जारी रखा है। आज की तारीख में देखा जाए तो केन्द्र सरकार से आने वाला सारा पैसा सीधा पंचायत के खाते में जा रहा है। माननीय सदस्य श्री ध्वाला जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में कुल 700 करोड़ रूपये अनस्पैंड पड़े है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा की तीन माह पूर्व जिला परिषद की बैठक में सूचना दी

गई थी कि जिला बिलासपुर में 27 करोड़ रूपये अनस्पैंड पड़े है। मेरा मानना है कि पैसा होने के बावजूद भी यदि काम न हो तो यह चिन्ता का विषय है। पंचायतों को मनरेगा, एम0पी0 लैड, विधायक निधि और रेन डैमेज का पैसा भी उपायुक्त के माध्यम से मिलता है।

22/08/2019/1525/RG/Yk/1

उपाध्यक्ष महोदय, पैसे का आबंटन पहले प्राक्कलन तैयार करके सबमिट करके नहीं होता। जैसे हमारे साथी ने यहां कहा कि यदि कोई चार लाख रुपये मांगता है तो चार लाख रुपये मिल गया, कोई एक लाख रुपये मांगता है तो एक लाख रुपये मिल गया। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहा था क्योंकि सूचना एकत्रित हो रही थी, लेकिन मेरे पास सूचना यह है कि एक ही पंचायत में 14-14 कामों के लिए 50,000/- या 40,000/-रुपये दिए जाते हैं। एक पंचायत में आठ सड़कों के लिए 40-40 हजार रुपये दे दिए। अब मुझे बताइए कि क्या प्रकृति ने ऐसा किया कि सभी जगह 40-40 हजार रुपये की ही सड़क बही? इसलिए जो पैसा जहां से मिलता है, वहां भी कोताही बरती जाती है। मेरा निवेदन यह है कि विधायक निधि का पैसा पंचायत खर्च नहीं कर पा रही हैं। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, आपके पड़ोस की बात है, मेरे यहां एक माकड़ी पंचायत है, एक साल हो गया, मैंने माकड़ी पंचायत में कम्युनिटी सेन्टर को पूरा करने के लिए और एक हरिजन बस्ती को सड़क बनाने के लिए पैसा दिया, लेकिन पंचायत का प्रधान एक साल से उस काम को नहीं कर रहा है। अब हम क्या कहें? हम पंचायत को भी क्या बोलें कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप सर्वे करवाएं कि आपके यहां कितने सैक्रेट्री के पास गाड़ियों नहीं हैं? जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, आप उनकी सूचना बता दें। ऐसे-ऐसे सचिव हैं, जिनके पास दो-दो गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ी तो घर-परिवार के लिए रखी है, छोटी गाड़ी लोगों को दिखाने के लिए अपने लिए रखी है। इसके अतिरिक्त ऐसे कितने टैक्नीकल सहायक और जे.ई. हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। कोई समय था जब लोक निर्माण से कोई जे.ई. ब्लॉक में नहीं जाना चाहता था। ब्लॉक में कोई एस.डी.ओ. नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां पैसे की कमी थी। जबसे यह 14वें वित्त आयोग या उससे पहले का पैसा आया, अब वे सोच रहे हैं कि यहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसलिए अब लोक निर्माण

विभाग पीछे रह गया और ब्लॉक आगे आ गया। अब यहां टैक्नीकल सहायक के बारे में कहा गया। तो एक-एक टैक्नीकल सहायक को 4-4 पंचायतों का काम दे रखा है। माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप बिलासपुर से ऊना की तरफ जाओ, तो छड़ोल में आप रुकना। छड़ोल में चार पंचायतों का एक टैक्नीकल सहायक रहता है। उसके परिवार वाले भी दुःखी हैं। सुबह 6.00 बजे से शराब पीना

शुरू कर देता है और जो पंचायत के लोग आ गए, तो वह अपने घर में ही सारे ऐस्टीमेट्स बनाकर दे देता है और पंचायत में जाता ही नहीं। कई पंचायतें ऐसी हैं, जैसे आपके जो सदस्य या उप-प्रधान हैं, वे कहते हैं कि यह काम होना चाहिए। तो सचिव कहता है कि वित्तीय शक्तियां तो प्रधान के पास हैं और जो प्रधान कहेगा, मैं वही करुंगा। आपने एक पंचायत एक कोने में और दूसरी पंचायत 40 किलोमीटर के बाद दे रखी है, इसलिए सैक्रेट्री न एक पंचायत और न ही दूसरी पंचायत में मिलता है। हफ्ता-हफ्ताभर वह पंचायत में नहीं आता और यही कारण है कि पंचायत के जनरल हॉऊस तक नहीं बुलाए जाते। जो काम जनरल हॉऊस में अप्रूव होना है, जो जिला परिषद या ब्लॉक समिति को जाना है, जो सेल्फ अप्रूव होगा, वह कोई भी सेल्फ अप्रूव नहीं हो रहा है। तो किसी कार्य की गुणवत्ता कहां से आएगी?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बोलते-बोलते थक गया हूं, मैंने कई बार आपसे कहा, लेकिन आप सुनते हैं और उसको किनारे कर देते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कारण क्या है, जो जांच होती है, जिन्होंने पैसा खाया है, एक ओर आपके अधिकारी ब्लॉक में बैठे हुए हैं, जिला परिषद में आपका अधिकारी बैठा हुआ है जिन पंचायत प्रधानों ने 15-15 लाख रुपये खाया है, जांच होगी और उसके बाद उनको नोटिस दे रहे हैं कि इस पैसे को आप जमा करवा दो। अगर किसी ने कहीं पर कहा कि पंचायत प्रधान ने रजिस्टर पर मेरे गलत हस्ताक्षर कर दिए तो उनकी जमानत बिलासपुर कोर्ट से करवानी पड़ती है। कारण क्या है कि जिन पंचायतों में गड़बड़ हुई है, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक हरिजन महिला प्रधान है और ये मेरे चुनाव क्षेत्र के जेजवी पंचायत की है। डी.सी. को बोल दिया।

उपाध्यक्ष : कृपया वाईन्ड अप करिए।

श्री राम लाल ठाकुर : बी.डी.ओ. को बोल दिया कि मुझे बताओ क्योंकि मैं नई प्रधान हूं, यह जो पुराना उप-प्रधान है, यह पंचायत का प्रधान था, मुझे बताओ कि मैं पैसे की पेमेन्ट कैसे करूं, न बी.डी.ओ. जवाब देता है, न डी.सी. ऑफिस जवाब देता है और डी.सी. ट्रांसफर हुआ, कल रिलीव होना है तो 6 महीने के लिए उस प्रधान को ससपैंड कर दिया। उसे कोर्ट में जाना पड़ा, हाईकोर्ट में जाना पड़ा तब जो हरिजन परिवार से महिला प्रधान थी, वह बहाल हुई।

22/08/2019/1535/MS/AG/1

मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है? दूसरे, जिन-जिन पंचायतों में गड़बड़ हुई है उन पंचायतों में कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग बैठे हुए हैं जिनकी पत्ती है और पंचायतों के प्रधानों और विभाग के लोगों के साथ मिलकर जहां-जहां भी जांच है यानी क्या कारण है कि प्रूव भी हो गया, नोटिस भी चले गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। सोहाल पंचायत में ब्लॉक समिति के मैम्बर ने चार लाख रुपये खा लिए लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे आप बताओ सोलदा पंचायत में 12 लाख रुपये पंचायत के प्रधान ने खा लिए। वह पहले भी प्रधान था फिर दुबारा भी प्रधान बन गया, उसको आज आप नोटिस दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से एक "री" पंचायत है अभी तीन लाख रुपये का एक नया-नया घोटाला उसमें हुआ। एक हमारा मिड हिमालयन प्रोजैक्ट था उसमें गड़बड़ियां हुईं और तीन करोड़ रुपये एक पंचायत में खर्च हुए। जब मैंने यहां पर पूछा तो मुझे वन मंत्री जी ने कहा कि अब वह प्रोजैक्ट बन्द हो चुका है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राम लाल ठाकुरः जनाब, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं क्योंकि अब प्रोजैक्ट बन्द हो गया है इसलिए पंचायत वालों के ख़िलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। एक ओर आप कह रहे हैं कि जांच करवाओ,

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिए।

श्री राम लाल ठाकुरः और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यह मिड हिमालयन का पैसा था। क्या मिड हिमालयन का पैसा सरकारी पैसा नहीं था? अगर उस प्रोजैक्ट का पैसा खाया है तो क्या उसकी जांच नहीं हो सकती थी? ऐसी कितनी ही पंचायतें हैं जिनमें

गड़बड़ हुई है लेकिन आप उनके ख़िलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फिर कैसे ईमानदारी होगी? ..(घण्टी)..एक बात कहकर उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह है ईमानदारी का छींटा कि पंचायत ने टैण्डर कॉल किए,

उपाध्यक्षः आप माननीय मंत्री जी को आप लिखकर दे देना।

श्री राम लाल ठाकुरः उपाध्यक्ष जी, मैं बोलकर थक गया हूं। उसमें बी0डी0ओ0 ने क्या किया कि जहां 19 लिखा था, उसमें 2 कर दिया और जहां 2 लिखा था, वहां पर 3 कर दिया और ऊपर लिख दिया कि इसको रिजैक्ट कर दिया जाता है और जिनका हाई रेट था उनको टैण्डर दे दिया। बाद में कोर्ट में केस चला गया। इसी तरह से एस0डी0पी0ओ0 स्वारघाट में एक कर्मचारी लगा है। वह एक जगह रहा तो सस्पैंड हुआ, दूसरी जगह रहा तो सस्पैंड हुआ, बस्सी में गया तो सस्पैंड हुआ और आठ महीने तक उसने चार्ज नहीं दिया तथा अब आपने उसको स्वारघाट में लगा रखा है। जो बी0डी0ओ0 है उसको सस्पैंड किया था लेकिन बहाल करने के बाद आपने उसको स्वारघाट में लगा दिया। मैं कहूंगा कि यह कौन सी ईमानदारी है और किस ढंग से काम होगा? इसलिए मैं कहूंगा कि भाषण करने के लिए तो सबकुछ है लेकिन धरातल पर ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संकल्प माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने लाया है, यह बहुत ही महत्व का संकल्प है। मैं सभी माननीय सदस्यों के विचारों को बड़े गौर से सुन रहा था और उससे एक बात तो साफ है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पंचायती राज संस्थाओं में हो रहा है। जब पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने यह पुरज़ोर कहा है कि इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है तो एक काम तो बनता है कि तुरन्त इसकी जांच की जाए। तीन महीने में जांच पूरी कीजिए, समीक्षा कीजिए और कैसे इस भ्रष्टाचार को रोकना है, वह आपका दायित्व है कि कैसे करना है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर हर किस्म के आंकड़े दिए हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जिस विषय को रखा है, इसमें मेरा यह कहना है कि यहां राजनैतिक आधार पर सिर्फ़ एक पक्ष को रखा जा रहा है। जो दूसरा पक्ष है यानी जो कि ग्राम पंचायतों की सक्सैसफुल स्टोरीज हैं, उनके बारे में किसी ने यहां ज़िक्र नहीं किया। उपाध्यक्ष जी, जब हम इन सभी प्रधानों पर कार्रवाई करेंगे तो यही सब बोलेंगे कि इनको छोड़ दो। (..व्यवधान..) मैं सीधी बात बोल रहा हूं कि जो पंचायती राज संस्थाओं में हो रहा है, वह अभी से थोड़े ही चला है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की कहानी बताई जा रही है, यह कोई एक-डेढ़ साल से तो नहीं है। जो एक-डेढ़ साल में हुआ है, वह हमारे ध्यान में लाएं और निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे।

22.08.2019/1540/जेके/एजी/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री : जब मंत्री जी ने इन्टरवेंशन कर दिया है और ज़वाब इन्हीं को देना है। माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह जी ने जिस मंशा से यह संकल्प लाया है, उस मंशा पर बात हो रही है। सक्सैस स्टोरी की आपने बाद में बात कर लेना। मंत्री जी आप पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा है, व्यवस्था की बात हो रही है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी आप अपना विषय रखें।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा वह 100 प्रतिशत पक्का है। इसमें पक्ष व विपक्ष दोनों ने कहा और जो सक्सैस स्टोरी है, मेरे वहां पर भी अच्छे प्रधान हैं, मैंने ट्रॉफी के साथ 10-10 हजार का ईनाम दो पंचायतों को भी दिया, जिन्होंने अच्छे काम किए थे। मेरा यहां पर कहना यह है कि जो बात यहां पर आई है उसमें एक चीज तो है कि जे0ई0 राज है और जे0ई0 वहां पर करप्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। बिना रिश्वत के वह कोई काम नहीं करता है। क्वालिटी कंट्रोल वह देखता नहीं है। पंचायती राज में सेक्रेटरी राज और जे0ई0 राज हावी है। केवल कमिशन खाने के सिवाय जे0ई0 न तो क्वालिटी देखता है और न ही क्वालिटी कंट्रोल करता है तो इस जे0ई0 राज को आप कैसे खत्म करेंगे, उसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आप सेक्रेटरी के राज

को किस तरह से खत्म करेंगे, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, यह आपको करना है । हम तो आपको सुझाव ही दे सकते हैं। आपको करना है या नहीं करना है, वह आपके ऊपर है।

दूसरी बात जो यहां पर देखने में आई, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि जो आपके हारे-पीटे हुए लोग हैं, वे पंचायतों में आ कर मीटिंग ले रहे हैं। आपका जे0ई0 उसके कंट्रोल में रहता है, बी0डी0ओ0 उनके कंट्रोल में रहता है और वह सारे-के-सारे सिस्टम को दुषित कर रहे हैं। आप इसको कैसे रोकेंगे? जो असंवैधानिक लोग हैं, क्या आपने उनको कोई अथॉरिटी दे रखी है कि विधायक के सिर के ऊपर जा कर वह मीटिंगे लें? वहां पर अधिकारियों को बुलाएं, बी0डी0ओ0 को बुलाए? वह सारे सिस्टम को खराब कर रहा है। इसमें आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात ग्राम सभाओं की है। डेमोक्रेसी का जो पहला स्तम्भ है वह पंचायती राज ही है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा स्वप्न देखा था। उन्होंने राम राज्य की बात की थी और हमारे मुख्य मंत्री जी भी राम राज्य की बात करते हैं। ग्राम सभा में जो फैसला हुआ होता है वह नहीं हो रहा है और कोरम के नाम पर दस्तखत करवाए जाते हैं और बाद में उसमें प्रस्ताव डाले जाते हैं। इसको आप कैसे रोकेंगे? उसके लिए आप वीडियोग्राफी करवा सकते हैं। आजकल वीडियो के कैमरे बहुत ही सस्ते आ गए हैं। हर ग्राम सभा की वीडियोग्राफी से रिकॉर्डिंग करें। सारे-का-सारा जो भी वहां पर कोरम है, जो भी गड़बड़ होती है, उसकी वीडियोग्राफी आप मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। यह तो आप किसी भी साधन से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पैसा लगेगा। अगर पंचायती राज को आपने पारदर्शी करना है तो इसमें आपको मॉर्डन टैक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। हाल ही में आपने एक आदेश दिया है कि जे0ई0 ब्लॉक हैड क्वार्टर पर बैठेगा और ए0ई0 डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर बैठेगा। अब नीचे के इलाकों में मैं नहीं समझता हूं कि यह उपयुक्त है या नहीं लेकिन मेरे ट्राइबल एरिया में जहां पर तीन ब्लॉक हैं, अगर आप ए0ई0 को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में बिठाओगे तो दो ब्लॉक के लोग 100-100 किलोमीटर दूर से टेंडर लगाने वहां पर जाएंगे। यह चीज सम्भव नहीं है, आप इसमें दोबारा से पुनर्विचार कीजिए। ट्राइबल एरिया के लिए जो आपने यह नया आदेश किया है, उसमें पुनर्विचार करके इसको ठीक से लागू करें ताकि हमें 100-

100 किलोमीटर दूर से न जाना पड़े। पांच लाख के टेंडर के लिए 100 किलोमीटर दूर से डिस्ट्रिक्ट हैड के लिए आना पड़ेगा। जो इंजीनियर बैठता है, एक्सिअन रैंक का और ट्राइबल एरिया से कोई शिमला आएगा, अब आप बताएं 300-400 किलोमीटर दूर एक एस्टिमेट को पास करने के लिए यदि आना पड़ेगा तो काम कब होगा? जैसे कि माननीय सदस्य यहां पर बता रहे हैं कि 700 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं में पैसा पड़ा हुआ है। उसमें अगर कम-से-कम 10 परसेंट करप्शन वह खा रहा है तो 70 करोड़ रुपए रिश्वत के लिए खड़ा है। इन बातों को आप ध्यान में रखिए। आप इसको व्यक्तिगत न लें। इन पंचायती राज संस्थाओं को सुधारने में एक अहम् भूमिका निभाने की जरूरत है। हमारी तरफ से इसमें पूरा सहयोग है। करप्शन में भी भेदभाव है। जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें छोटी सी बात पर तुरन्त सस्पैंड कर दिया जाता है। मैंने आपको लिखा हुआ है और डी0सी0 को भी लिखा हुआ है। मेरे वहां पर एक पंचायत प्रधान के खिलाफ बहुत संगीन आरोप लगाए हैं जो कि उप-प्रधान ने लिख करके दिए हैं। उसके ऊपर डिप्टी कमिशर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। वह क्यों नहीं ले रहा है वह आपका एजैंडा उठाता है। जो हमारा एजैंडा उठाता है उसने चाहे कुछ भी नहीं किया उसको रात के अंधेरे में भी उठा कर ले जाते हैं। आप लोग इस किस्म का भेदभाव न करिए, मेरा आपसे यही कहना है।

22.08.2019/1545/SS-DC/1

उपाध्यक्षः जगत सिंह नगी जी, धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं अब चर्चा के लिए माननीय सदस्य, श्री किशोरी लाल जी को आमंत्रित करता हूं। इस तरह का ही अगर आप सुझाव दें तो अच्छा रहेगा।

श्री किशोरी लाल (आनी)ः माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह जी द्वारा नियम-101 के अन्तर्गत जो महत्वपूर्ण संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया है जिसमें सरकार से सिफारिश की गई है कि पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आबंटित धनराशि का सदुपयोग किया जाए तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विभाग की जवाबदेही हो, इस विषय बोलने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार की विकास संबंधी योजनाओं को पूरे देश व प्रदेश में पंचायती स्तर पर इम्प्लीमैंट किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपये का बजट आ रहा है। उसके बारे में भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब दिल्ली से एक रुपया आता है तो पंचायतों में मात्र 20 पैसे पहुंचता है। आज इस देश में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार है। आज प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में बहुत बढ़िया काम किये जा रहे हैं। उसमें जो करोड़ों रुपये का बजट आ रहा है उसके सदुपयोग के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां मनरेगा के अलावा 14वें वित्तायोग, विधायक निधि, सांसद निधि, एस0डी0पी0, बी0ए0एस0पी0 तथा अन्य योजनाओं में करोड़ों रुपया आ रहा है। आज पंचायती राज संस्थाओं में जहां प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, रोज़गार सेवक, जे0ई0, एस0डी0ओ0 और बी0डी0ओ0 स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं, उसमें हम विशेष रूप से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि काम का प्रॉपर निरीक्षण हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो। उस दृष्टि से वहां पर काम किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज पंचायतों में स्टाफ की बहुत कमी है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी से निवेदन है कि रोज़गार सेवक के अंतर्गत कम-से-कम चार पंचायतें आती हैं। उसमें कम-से-कम दो पंचायतें हों ताकि वह अच्छा कार्य कर सके। तकनीकी सहायक के पास भी दो से तीन पंचायतें होती हैं और उसके अलावा जे0ई0 की भी बहुत कमी है। मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र में निरमंड ब्लॉक में मात्र एक जे0ई0 है जबकि वहां पर 26 पंचायतें हैं। उसकी वजह से कार्य में गति नहीं आ रही है। उस दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे पंचायत स्तर पर किसी कार्य की असैसमैंट निकाली जाती है उसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी की व्यवस्था हो। उसमें सतर्कता कमेटी बने। उसमें वार्ड स्तर पर एक कमेटी होनी चाहिए ताकि जब हम फाइनल असैसमैंट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी और मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक महीने पहले भ्रष्टाचार

को रोकने तथा कार्यों की गुणवत्ता ठीक करने के लिए एक टेक्निकल विंग की व्यवस्था की है। हम आदरणीय मुख्य मंत्री, जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं कि ब्लॉक स्तर पर एस0डी0ओ0 की पोस्ट होगी। हम चाहेंगे कि उसके लिए स्टाफ हो। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री महोदय से निवेदन है कि बहुत जल्दी यहां के लिए स्टाफ की व्यवस्था की जाए ताकि पंचायती राज संस्थाओं में किये जा रहे कार्यों को अच्छे ढंग से किया जा सके। जहां तक अभी सरकार की बात है, पौने दो वर्ष में आदरणीय जय राम ठाकुर जी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के नेतृत्व में पंचायती राज संस्थाओं में बहुत बढ़िया कार्य हो रहे हैं। उस दृष्टि से स्टाफ की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

22.08.2019/1550/केएस/वाईके/1

उपाध्यक्षः मेरा सभी से फिर से आग्रह है कि यदि किसी के पास कोई नया सुझाव है, जैसे श्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि जिले को पावर्ज़ जा रही हैं, इस तरह की इनके यहां स्थिति आई तो ट्राइबल में ही नहीं, बैकवर्ड में भी हमें वह जरूरी लगता है लेकिन मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर उनके पास कोई नया सुझाव है तो दो मिनट में अपना विषय रखें। अब माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत गलोड़खास है, भ्रष्टाचार से सम्बन्धित बात कर रहा हूं। उसमें मनरेगा के तहत एक डंगे का काम शुरू हुआ। डंगा तो नहीं लगा परन्तु उस मनरेगा के मस्टरोल में जो व्यक्तियों के नाम लिखे गए थे, उनके अकाउंट में पैसे आ गए। जिस अकाउंट में वे पैसे आए, उन लेबर्ज़ ने कहा कि हमने तो काम किया ही नहीं, हमारे नाम किसने डाले? माननीय मंत्री जी के डिपार्टमैंट की कार्यप्रणाली पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बी.डी.ओ. ने इन्क्वायरी की, और पाया कि ये-ये दोषी हैं। आर.टी.आई. से इन्फोर्मेशन आई। उसके बाद डी.पी.ओ. ने इन्क्वायरी की लेकिन आज तक उस पर कोई ऐक्शन नहीं

हुआ । पंचायतों में अनियमितताओं से सम्बन्धित जो बलबीर जी ने आज प्रस्ताव लाया है, यह कार्रवाई का सही समय है। जब 73-74वां अमैंडमैंट आया था, श्री राजीव गांधी जी ने जब अपनी लोकतांत्रिक शक्तियां पंचायत के हर व्यक्ति को देने की कोशिश की थी, जिसमें महिलाओं को भी 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया था, उस सोच का मुख्य उद्देश्य यह था कि पंचायतों का विकास हो लेकिन विकास किस तरह हो रहा है? माननीय मंत्री जी, आपके विभाग में मेरी तकरीबन 25 पंचायतों में चाहे आनंद शर्मा जी से लिया, एम.पी.फंड से आया या विप्लव ठाकुर जी से पैसा आया, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया पड़ा है। एक नहीं वह डेढ़-डेढ़, दो-दो साल से पड़ा है। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि अगर पंचायती राज में पंचायत प्रधान और सैक्रेटरी उन कामों को करवाने की व्यवस्था एक महीने के अंदर नहीं करते हैं तो कम से कम बी.डी.ओ. ऑफिस से ऑन लाइन टैंडर करवाए जाएं ताकि जो भी आदमी उसके लिए आगे आएं, वह उस कार्य को समय पर कर सके। चाहे वह

विधायक निधि है या एम.पी. फंड है, पंचायत सैक्रेटरी और पंचायत प्रधान, वे चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हों, वे सात-सात, आठ-आठ महीने लगा देते हैं, कॉस्ट बढ़ती जाती है, एक-एक साल हो जाता है काम नहीं होता इसलिए मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी, जो ग्राम पंचायतें हैं, अगर वे एक या दो महीने के अंदर अपना कार्य करने में सफ़ल नहीं हैं तो आप बी.डी.ओ. के माध्यम से वह टैंडर लगवाकर उन कार्यों को पूर्ण करवाएं और उसी पंचायत के लोगों द्वारा वह कार्य किया जाए। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश जी चर्चा में भाग लेंगी। कृपया दो मिनट में अपना विषय रखें।

श्रीमती कमलेश कुमारी (भोरंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस माननीय सदन में भाई बलबीर सिंह जी ने प्रस्तुत किया, मैं भी उसमें हिस्सा लेने के लिए खड़ी हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका तहेदिल से धन्यवाद करती हूं।

खामोश ही रह अल्फाज़, इज़हार न कर ख्यालात का,

जाने कौन क्या मतलब निकाल दे, मेरी किसी बात का

माननीय उपाध्यक्ष जी, ये जो मैंने दो पंक्तियां आप सभी के सामने रखी हैं, ये जो थ्री टायर सिस्टम है, यह लम्बे समय से काम कर रहा है

22.8.2019/1555/av/HK/1

और इसमें मेन रोल पंचायत का है। लेकिन जो भाई बलबीर सिंह जी ने यहां पर विषय लाया है उस पर कम बात हुई और दूसरी जगह ध्यान ज्यादा भटका है। अभी माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन जी ने अपने भाषण में कहा कि जो रैज़र्वेशन है इसमें एस0सी0 केटेगरी के लोग तो कुछ नहीं करते हैं। (...व्यवधान...) मैं इस सदन के माध्यम से इन शब्दों की घोर निंदा करती हूं और मैं चाहती हूं कि माननीय सदस्य हर्षवर्धन जी इस सदन में माफी मांगें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहती हूं कि पूरे प्रदेश भर में यह सर्वे किया जाए। इसमें चाहे यहां पर महिलाओं की बात रखी गई कि करप्शन होती है या एस0सी0 के बारे में यहां सदन में आरोप लगाए गए हैं; मैं इसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज़ करना चाहती हूं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूं। (...व्यवधान...) एक मिनट, मुझे बोलने दो। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार चुनकर आए हैं। (...व्यवधान...)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अग्निहोत्री जी। (...व्यवधान...) नहीं, आप बैठ जाइए। आप माननीय सदस्या को बोलने दीजिए। इनकी बात समाप्त होने पर आपको मौका दिया जायेगा। (...व्यवधान...) नहीं, नहीं। ऐसा है, आप सीनियर सदस्य हैं। (...व्यवधान...) आप जिम्मेवार पोस्ट पर हैं इसलिए आप बैठ जाइए। आप इनको बोलने दीजिए हम आपको फिर समय देंगे।

श्रीमती कमलेश कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ये लोग बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात को सुन लें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से भी विनम्र निवेदन करती हूं कि पूरे प्रदेश में यह सर्वे किया

जाए कि कौन-सी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें एस0सी0 के लोग सस्पैंड हुए हैं या महिलाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाए और मुझे इस बारे में पूरी लिस्ट चाहिए। मैं यहां पर जब पहली बार बोली थी तब भी विपक्ष की तरफ से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को एक चिट लिखकर दी गई थी कि कुछ लोग पर्ची देखकर बोलते हैं जिसके बारे में समाचार पत्रों में भी छपा था। जब माननीय सदन में कोई महिला सदस्य अपने बिन्दु नोट करके लाती है तो उस बारे में अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया जाता है कि देखकर बोलती हैं जबकि इस सदन में बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो देख कर ही बोलते हैं। लेकिन मैंने उस दिन इस बात के लिए कुछ नहीं कहा था मगर आज विशेषकर रैज़र्वेशन के ऊपर बात हुई है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या आज़ादी के 70 वर्षों तक एस0सी0 के लोगों का केवल वोट के लिए ही इस्तेमाल किया गया? अगर आज रैज़र्वेशन की बात आती है तो उसके ऊपर इस माननीय सदन में इस तरह की बात की जाती है। मैं यहां पंचायतीराज के थ्री-टियर सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। हमारी जो पंचायतीराज संस्था है इसके तहत मैं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र भोरंज की ही बात करूंगी, पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगी। हमारी पंचायतों में जो तकनीकी सहायक हैं, जी0आर0एस0 हैं उसमें एक तकनीकी सहायक कम-से-कम पांच पंचायतों को देखता है तथा सचिव कम-से-कम तीन पंचायतों को देखता है। मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से यह विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार की स्टाफ की कमी को पूरा करने बारे ध्यान दिया जाए।

22.08.2019/1600/टी.सी.वी./एच.के.-1

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। अगर पंचायतों में किसी भी किस्म की अनियमितताएं पाई जाती हैं या कोई भ्रष्टाचार का धन से संबंधित मामला सामने आता है तो उसकी भरपाई की जाती है और उसके बाद उस मामले को बन्द कर दिया जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अगर ऐसी कोई अनियमितताएं सामने आएं तो उनको प्राथमिकता देकर देखना चाहिए तभी पंचायती राज में भ्रष्टाचार कम होगा।

मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं कि जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत होती है, उसके लिए आदेश होने चाहिए कि 15 दिनों के अंदर-अंदर उसकी सैंक्शन ली जाये और उसके लिए समय तय किया जाये कि इतने समय के अंदर यह काम पूरा होना चाहिए। ताकि समय पर काम पूरा भी हो जाये और उसकी एम.बी. भी मेंटेन हों। इसी के साथ ज्यादा न कहती हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

श्री हर्षवर्धन चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, आज एक अच्छे माहौल में चर्चा हो रही थी लेकिन माननीय सदस्या, श्रीमती कमलेश कुमारी जी ने इसको तोड़ने-मरोड़ने और माहौल खराब करने की कोशिश की है। मैंने जो भाषण दिया है, वह रिकॉर्ड में है। मैंने महिलाओं या दलित लोगों के प्रति कहीं भी ऐसी बात नहीं कही है। आपको समझने में फ़र्क पड़ा है। मैंने यह कहा है कि जहां हमारी महिलाएं प्रधान हैं और दलित वर्ग के प्रधान हैं, वहां सरकारी कर्मचारी यानी ब्लॉक के जो लोग हैं, वे इनको लाइटली लेते हैं और इनको दबाने की कोशिश करते हैं। आपका मेरे प्रति जो यह आरोप है, यह गलत है। आप अपने शब्दों को वापिस लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाये हैं, वे उन शब्दों को वापिस लें। इन शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये, वरना हम हाउस को नही चलने देंगे। Please check the record. (...व्यवधान..) ।

उपाध्यक्षः यदि दोनों पक्षों को लगता है कि इसमें कंफ्यूज़न है तो हम रिकॉर्ड देख लेंगे और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको कार्यवाही से एक्सपंज कर देंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी मेरा भाषण सुना है। क्या मैंने ऐसी कोई बात कही है? मगर माननीय सदस्या को सुनने में कोई फ़र्क रहा होगा। (...व्यवधान...) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाये हैं, वह कल अख़बारों में नहीं आने चाहिए। इसलिए इनको आज

ही एक्सपंज किया जाये। वरना मैं इनके खिलाफ़ विशेषाधिकार हन्न का मामला भी दर्ज़ कर सकता हूं। मैं महिला होने के नाते इनकी इज्ज़त करता हूं। (...व्यवधान...)

उपाध्यक्षः प्लीज़, आसन से मैंने जो व्यवस्था देनी थी, वह मैंने दे दी है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था बिल्कुल साफ आनी चाहिए। जब माननीय सदस्य ने इस तरह की बात नहीं कही है तो इसको रिकॉर्ड से एक्सपंज़ किया जाना चाहिए। (...व्यवधान...)

उपाध्यक्षः प्लीज़ आप बैठिए, माननीय सदस्य, मैं रिकॉर्ड देखूंगा और उसके उपरान्त उस पर निर्णय लिया जाएगा। अब श्री माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

22-08-2019/1605/NS/YK/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विधान सभा के पटल पर रखा है। इस संदर्भ में सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। यहां पर एक बात सामने आई है कि पंचायती राज में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। पंचायती राज के माध्यम से ऐसा भी नहीं है कि कोई काम नहीं हुए हैं। काम भी बहुत हुए हैं लेकिन यह भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि एक तरफ ही कह देना कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया, यह भी सही नहीं है। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो हम थ्री-टायर की बात करते हैं तो थ्री-टायर की भूमिका कहां है? जिला परिषद और बी.डी.सी. मैंबर्ज़ को कोई पूछता ही नहीं है। पंचायतों के अंदर उनकी कोई भूमिका नहीं है। अगर ब्लॉक समिति की कोई महिला या पुरूष सदस्य पंचायत में कहीं चले जाते हैं तो उनको बैठने के लिए भी नहीं बोला जाता है। उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है, आप जिला परिषद को तो छोड़िए। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों की भूमिका को सारगर्भित करने की जरुरत है और उनको जिम्मेदारी देने की जरुरत है। सर्वेसर्वा तो प्रधान बने हुए हैं और प्रधानों से ऊपर तो पंचायत सचिव हैं तथा सभी पंचायत

प्रधानों को पंचायत सचिव गाइड करते हैं। क्या आप पंचायत प्रधानों को कोई ऐसी ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि उनको मालूम हो कि हमने पंचायत सचिव से क्या काम लेना है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग के पास पूरा स्टॉफ नहीं है। तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक के पास पांच-पांच पंचायतें हैं भ्रष्टाचार तो होगा ही। ग्राम रोजगार सेवक को लेने के लिए प्रधान जी उसके घर जा रहे हैं। प्रधान अपनी गाड़ी में तेल डाल करके उसको लेने जा रहे हैं और वह साथ आने के लिए नखरे कर रहा है कि मैंने आज कहीं और जाना है। यदि उसको कुछ मिलेगा तो साथ में आएगा। तकनीकी सहायकों और कनिष्ठ अभियंताओं का भी यही काम है। पंचायती राज विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा विभाग है। आप जब तक इसमें स्टॉफ नहीं भरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपने यहां कहा कि हमने टेक्निकल विंग के पद भर दिए हैं। लेकिन इस विभाग में टेक्निकल विंग भी इतना सुदृढ़ नहीं है। लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जो अधिकारी काम करने वाले नहीं हैं, उनको आप पंचायती राज में ले आते हैं। जब इन अधिकारियों को काम ही नहीं आता है तो आप इनसे क्या काम करवाएंगे? मेरे अपने ब्लॉक में तीन महीने से बी.डी.ओ. नहीं है तो वहां पर बी.डी.ओ. का काम कौन करेगा? वहां पर अधीक्षक को बी.डी.ओ. की पॉवर्ज़ दी गई हैं तो वह अपनी मनमर्ज़ी से काम करेगा। पंचायतों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। राजनीतिक तौर पर भी बहुत भेदभाव हो रहा है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम पंचायतों को पैसा मांग के अनुसार देते हैं। लेकिन एक-दो महीने बाद जब हम छानबीन करते हैं तो पैसों का पता ही नहीं होता है। जबकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है। जो धनराशि हम देते हैं ये ब्लॉक में जाती है और ये धनराशि सेक्रेटरी को ऑनलाइन जानी चाहिए। ये धनराशि पहुंच भी जाती है। लेकिन जब पंचायत प्रधान या कोई स्थानीय व्यक्ति जिनका काम होना होता है तो उनको कहा जाता है कि आपके काम के लिए पैसा ही नहीं आया है। इस प्रकार की समस्याएं और धनराशि की पेंडैंसी क्यों हो रही है? माननीय मंत्री जी, इस विभाग में लगभग 700 करोड़ रुपये पैंडिंग हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। आपको यह जानना चाहिए कि ये पेंडैंसी किस कारण है? क्या ये पैंडेंसी बी.डी.ओ., प्रधान, पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक की वजह से है? सब ग्राम रोजगार सेवकों ने ट्रैक्टर रखे हुए हैं। वे सारी जगहों पर खड्ड की बजरी लगा रहे हैं फिर रास्ते तो टूटेंगे ही। कई बार विकास खंडों में सीमेंट भी नहीं मिलता है। मनरेगा के तहत जितने गड्ढे खोदे गए हैं, वे आज

भी वैसे ही हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आप विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें और पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है?

22.08.2019/1610/RKS/YK-1

आप विभाग को चुस्त-दुरुस्त बनाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जहां तक हमारे सहयोग की बात है वह हम ऐसे भी करते हैं और आगे भी करेंगे। यहां पर यह बात उभर कर आई कि पंचायती राज में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। यह भ्रष्टाचार चाहे हमारी सरकार के समय हो या आपकी सरकार के समय लेकिन यह हम सबके लिए शर्म की बात है। जब हम सदन में यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसमें दोषी कौन है? क्या इसमें प्रधान, सैक्रेटरी या तकनीकी सहायक दोषी हैं? हम लोग जो यहां बैठकर कानून बनाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम सिर्फ़ भाषणबाजी करते हैं। इसके लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों की टीम बनाई ताकि इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जा सके। धन्यवाद। जय हिन्द।

उपाध्यक्षः अभी 3-4 लोग सत्तापक्ष से और 3-4 लोग विपक्ष की ओर से बोलने वाले हैं। उसके बाद माननीय मंत्री जी इस संकल्प का उत्तर देंगे। यदि माननीय सदस्यगण सहमत हों तो माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दे सकते हैं ताकि जो दो और संकल्प हैं उन्हें भी प्रस्तुत किया जा सके।

माननीय सदस्यगणः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य अभी इस चर्चा में भाग लेंगे उन्हें दो-दो मिनट बोलने का समय दिया जाए।

उपाध्यक्षः यह मेरा सुझाव था। यदि ऐसा है तो माननीय सदस्य दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं। अब माननीय सदस्य, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा(रोहड़ू)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि 'पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आबंटित धनराशि का सदुपयोग किया जाए तथा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विभाग की जवाबदेही

निश्चित करने हेतु ठोस नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।' इस संकल्प से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पंचायतों में आजकल पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। जो माननीय सदस्यों ने बात कही है मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। जो हम एम.एल.ए. फंड से महिला मंडलों के लिए बर्तन खरीदारी या किड्स स्पोर्ट्स के लिए 25-25 हज़ार रुपये स्वीकृत करते हैं, उस पैसे को भी पंचायत के अधिकारी या कर्मचारी आगे जारी नहीं करते और उसमें भी चुंगी मांगी जाती है। ऐसे कई केस हैं और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है और जो मेरा पौने दो साल का अनुभव है उसके अनुसार ये अधिकारी और कर्मचारी हारे हुए लोगों के ग्रिप में हैं और जो भी कार्य हो रहे हैं वे उनके कहने से किए जा रहे हैं। कई रास्ते या पुल कागज़ों में तो बन गए हैं लेकिन जब इनकी जांच की जाती है तो यह कह दिया जाता है कि यह रास्ते या पुल ढह गए हैं। जो माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी आपका समय हो गया है, आप कृपया बैठ जाइए। अब माननीय सदस्य श्री सुभाष ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

22.08.2019/1615/बी0एस0/एच0के0-1

श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने पंचायतों में विकास कार्यों हेतु जो धनराशि आती है, उसका सदुपयोग किया जाए तथा पंचायतों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो संकल्प इस माननीय सदन में लाया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की यह चिंता है और माननीय मंत्री जी से उम्मीद भी है कि वे इस संबंध में कड़े कदम उठाएंगे। क्योंकि यह भ्रष्टाचार कई वर्षों से पंचायतों में हो रहा है। सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस

भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए । आज पंचायती राज सिस्टम में पंचायतों के विकास लिए बहुत पैसा आया है। यह विकास कार्य हर पंचायत में होने चाहिए। केन्द्र सरकार की तरफ से चौदहवें वित्तायोग के तहत 10-20-30 लाख रुपये प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए आता है और कई अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं जैसे "मनरेगा" "स्वच्छ भारत मिशन" "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" "प्रधानमंत्री आवास योजना" ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। उसी तरह हमारे राज्य में "सांसद निधि" "राज्य सभा सांसद निधि" "विधायक निधि" ऐसी अनेकों निधियां हैं। लेकिन सभी की यही चिंता है और शंका भी है कि इस सिस्टम का सुदृढ़ किया जाए और उसमें जो कमियां हैं वह दूर की जाए। यह हम सभी चाहते हैं, यह अपेक्षाएं माननीय मंत्री महोदय जी से है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको दूर करेंगे और अपने मंत्रालय के माध्यम से इस पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करेंगे, जिसमें शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। हमारा लोकतंत्र पंचायत से ही शुरू होता है। यहीं से इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अगर वहां पर टेक्निकल विंग को सुदृढ़ किया जाए तो यह पंचायतों के लिए अच्छा रहेगा। यह मेरा अनुरोध भी है। मेरा सुझाव है कि एक-एक पंचायत में एक-एक तकनीकी सहायक होना चाहिए। हमारे यहां जो कनिष्ठ अभियंता हैं 25-25 पंचायतें एक-एक को दी गई हैं, जिस कारण वे एक महीने में सभी पंचायतों तक नहीं पहुंच हैं। उनके लिए भी अगर एक-एक के पास 10-10 पंचायतें दे दी जाएं तो वे कार्य ठीक से कर पाएंगे। इसी तरह पंचायत सचिव और बी0डी0ओ0 की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। जितना भी चौदहवें वित्तायोग का पैसा है निश्चित तौर पर आप किसी भी पंचायत में देख लें उन्होंने आधा पैसा भी खर्च नहीं किया है यह चिंता सबकी है और मैं भी इस चिंता में सम्मिलित होता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री सुभाष ठाकुर : यही मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इसमें कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए और टेक्निकल विंग को सुदृढ़ किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि ज्यादातर चर्चा इसके ऊपर हो चुकी है। मेरे पास अभी भी पांच माननीय सदस्यों के नाम हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लेना है। माननीय मंत्री जी ने भी चर्चा का उत्तर देना है। अतः मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि मैं इस बारे में व्यवस्था देने जा रहा हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग नहीं लिया है वे पूर्व में सभी माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उसे अपनी बात को कही हुई समझें। आप यह मानकर चलें कि आपने भी अपनी बात कह दी है। जो अगले विषय का संकल्प हमारे पास आया है उसको भी इंटरोड्यूस करना है इसलिए माननीय मंत्री जी को अपना उत्तर 4:55 बजे अपराह्न तक समाप्त करना होगा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद अभी दो संकल्प बचे हैं।

अध्यक्ष : यदि दो संकल्प हैं तो इनमें से एक ही इंटरोड्यूस हो सकता है जो क्रम में आगे है। यदि माननीय सदन चाहता है तो हम उसे इंटरोड्यूज कर देंगे। यदि इस चर्चा का उत्तर नहीं आएगा तो उसके मायने नहीं रह जाएंगे। माननीय मंत्री जी कृपया आप उत्तर दें।
22.08.2019/1620/डी.टी./ ए.जी./1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, नियम 101 के तहत जो माननीय सदस्य बलबीर जी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा में लाया है। जिसमें करीब ऐसे 12 सदस्य हैं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अभी बहुत सारे सदस्य हैं जो बाकी रह गए हैं लेकिन मैं उनकी मंशा को भी समझ रहा हूं। मैं भी एक उप प्रधान से चुनकर यहां आया हूं बाद में मैं जिला परिषद भी रहा। उसके बाद में मुझे इस विभाग का दायित्व मिला। मैं इस विषय को बारीकी से समझता हूं हमारे देश की एक परंपरा रही है और जिसमें हम कहते थे कि पंच के मुख में परमेश्वर वास करता है। यही प्राचीन भारत की न्यायिक व्यवस्था का आधार था। इस बात को समझते हुए महात्मा गांधी, बाबा भीम राव अंबेडकर ने और जितने भी संविधान रचयिता थे उन्होंने इस विषय को कि पंचायतें मजबूत होनी चाहिए उनको पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए। जहां वे अपने गांव की न्यायिक व्यवस्था को

मजबूत कर सके। जहां वे अपनी समस्यों को सहभागिता के साथ मिलकर हल कर सकें । इस व्यवस्था को देखकर संविधान में पंचायती राज को स्थान दिया गया और फिर इस संसंधान को मजबूत कर दिया गया। जब हम पंचायती राज को देखते हैं कि अगर केंद्र से कोई भी योजना आती है तो वह किसको इंप्लीमैंट कर रही होती है। अगर केंद्र से आयुष्मान भारत आती है और इसके कार्ड बनने हैं तो वे पंचायते बनाती हैं। हिमकेयर की योजना लागू करनी है तो वह पंचायतें करती हैं। उज्ज्वला योजना का काम अगर सर्वे करना है तो वह पंचायतें करती हैं। हमें यहां पर राशन कार्ड भी बनाने हैं। डेट ऑफ बर्थ और डैट ऑफ डैथ के सटिफिकेट पंचायतें बनाती हैं। जहां तक जनमंच योजन को काम भी पंचायतें करती हैं। जब चुनाब आतें हैं, गृहिणी सुविधा योजना है या जो भी योजनाएं आती हैं हमारी पंचायतें सारा काम करती हैं। आज बजट का एक तिहाई भाग यानी 2 हजार करोड़ रुपये पंचायतें खर्च करती हैं। अगर हम एक ही पक्ष को रखें तो यह उनके साथ न्यायसंगत नहीं होगा। हमने इतना ऑवर बर्डन पंचायतों को कर दिया कि वे सारे काम उनको करने हैं लेकिन जैसे पी.डब्ल्यू .डी. और आई.पी.एच में एक सिस्टम है, उनका टैक्निकल विंग है और वह पूरा स्ट्रेंथन है उसको पूरी ट्रेनिंग है ऐसा हमारे पास नहीं था। जिसके चलते बहुत सारे लैप्स थे। माननीय सदस्यों ने जो जिक्र किया वह अच्छी बात है। हमने सरकार बनते ही इसमें सुधार लाने का प्रयास किया। हमने पहला प्रयास किया कि जो पंचायतों के अंदर काम करते हैं जैसा मैंने देखा कि मनरेगा में

एक टैंक स्वीकृत होता था तो उसके लिए हम एक गड्ढा कर दिया करते थे परन्तु उसको पक्का करने के लिए सीमेंट दो साल तक नहीं आता था। जब दो साल बाद सीमेंट आता था तब तक वह गड्ढा भर गया होता था। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पूर्व में यह विभाग था तब खुले बाजार से सीमेंट लिया जाता था। इन्होंने इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया और कहा कि अब से सरकार द्वारा सीमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा और उसके बाद सरकार द्वारा सीमेंट उपलब्ध करवाना आरम्भ हो गया। मैने विभाग से आंकड़ा लिया तो लगभग 1000 करोड़ रूपये की बचत सीमेंट के माध्यम से हुई है। उसी प्रकार हमारे यहां से केन्द्र को मैचिंग ग्रान्ट भेजनी होती थी परन्तु हम यू.सी. तो भेज देते थे लेकिन मैचिंग ग्रान्ट नहीं भेजते थे। जब तक हम उसे भेजते थे तब तक सीमेंट के लिए देर हो जाती थी। इसके

समाधान के लिए हमने कोरप्स फण्ड बनाया और हम पहले ही सीमेंट को बुक करवा देते हैं। जिसके कारण आज पंचायतों में सीमेंट की कमी नहीं हो रही है। पिछले वर्ष 2017-18 में मनरेगा के माध्यम से 560 करोड़ रूपये पूरे प्रदेश में खर्च किए गए थे और इस वर्ष हमने 966 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। आप सब ने एक विषय रखा है कि मनरेगा में कच्चे काम किए जाते हैं और जब बरसात होती है तो वह वह काम बह जाते हैं, जिस कारण असैट्स खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सरकार बनने के बाद मैं जब पहली बार रोहडू गया और मैने पूछा की मनरेगा के माध्यम से कितनी धनराशि खर्च की गई तो वहां के बी0डी0ओ0 ने बताया कुल 10 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। मैने कहा उसमें से सामग्री पर कितना खर्च हुआ तो बी0डी0ओ0 ने बताया कि केवल 70 लाख रूपये खर्च किए गए। यह बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है और मैने इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग को कहा कि मनरेगा में परमिसिबल एक्टिविटी पहले 160 थी और केन्द्र की सरकार ने अब 260 कर दी है। इसलिए हम मनरेगा के माध्यम से कुछ भी काम कर सकते हैं, चाहे लिंक रोड़ निर्माण करना हो, सामुदायिक भवन बनना हो, तालाब, डैम बनना हो, हम मनरेगा से बना सकते हैं।मैने विभाग को कहा कि हम गांव की आवश्यकता के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। हम भुमि सुधार भी करेंगे लेकिन हमारी प्राथमिकता गांव की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक वर्ष के अन्दर बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं और हमने बड़े-बड़े काम किए हैं। जैसा मैंने कहा कि वर्ष 2018--19 में 86,547 कार्यों को हमने पूर्ण किया है, 80,123 कार्य प्रगति पर हैं, वर्क ऑन इन्डीविजुअल लैण्ड के बारे में मैंने कहा कि भूमि सुधार होगा, अगर हम सेल्फ में डालें कि हमें बगीचा लगाना है तो हम वहां बगीचा लगाकर देंगे, अगर हमें खेती योग्य भूमि बनानी है तो हम भूमि को खेती योग्य बनाएंगे, यदि सिंचाई की जरूरत होगी तो हम चैक डैम लगाकर, कूहल बनाकर सिंचाई की योजना भी वहां तक पहुंचाएंगे। रूरल प्रोडक्टीविटी के अन्तर्गत हमने 10,437 कार्यों को एक वर्ष में पूरा किया है। जबकि 15,412 कार्य पर प्रगति हैं। उसी तरह से आज जहां 'जल शक्ति' को हमारी केन्द्र सरकार ने प्राथमिकता पर रखा है, उसी प्रकार हमको भी पिछले वर्ष से हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश के अनुसार वाटर कंजरवेशन की ओर आगे

बढ़ना है। उसके लिए भी हमने 9391 कार्य पूर्ण कर लिए हैं और 1362 कार्यों में काम चला है। उसी तरह से माईक्रो इर्रीगेशन के अन्तर्गत हमने 3413 कार्य पूर्ण किए हैं और 3299 कार्य प्रगति पर हैं। फ्लड प्रोटैक्शन में भी हमने कार्य किया। इसमें 6535 कार्य पूर्ण किए हैं एवं 7144 कार्य प्रगति पर हैं। इसी प्रकार से रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत हमने मोक्षधाम भी बनाए, हमने प्रदेश में रूफ वाटर हारवेस्टिंग टैंक्स भी बनाए। मेरे पास कार्यों की एक लंबी सूची है, ग्रामीण पेयजल योजना के ऊपर भी हमने 45 कार्य पूरे किए, भारत सेवा निर्माण केन्द्र भी हमने बनाए, फिशरीज के लिए हमने ऐसे 10 कार्य किए। हमने बहुत काम किए हैं। लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं और आने वाले समय में काम करने के लिए हमें वे समस्याएं दे रही हैं। उसमें सबसे पहली कमी जैसा श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि जे.ई. जो आपने ब्लॉक से बाहर किए थे, हमने यह तय किया कि जब लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग या अन्य किसी विभाग का जे.ई. वहां लग सकता है, तो फिर इनको लगता था कि ब्लॉक के जे.ई. से भेदभाव क्यों है? हमने कहा कि वे अपने होम सर्कल में नहीं लग सकते लेकिन ब्लॉक में लग सकते हैं। यह हमने किया है। आज तक जितनी भी शिकायतें आई हैं, हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। ये अगर अपनी छाती के ऊपर हाथ रख करके सोचें कि यहां जिसके ऊपर भी कार्रवाई होती है,उसको कौन बचाता है, हमारे बीच में से ही लोग बचाते हैं। आज जहां से भी मेरे पास जो भी शिकायत आती है, मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप लोग उसके लिए कोई सिफारिश लेकर नहीं आएंगे तो उसका समाधान एकदम से हो जाएगा। यहां हमारे विभाग के अधिकारी बैठे हैं, मैं यह कहूंगा कि जितनी

22/08/2019/1630/RG/DC/1

आज यहां शिकायतें आई हैं, 15 दिन के अन्दर हम उन सभी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको थोड़ा ऐक्सपेडाईट करिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा लम्बा है।

अध्यक्ष : वह तो ठीक है, लेकिन इसको आगे कैरी करना पड़ेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसे दूसरा विषय था कि जो शिकायत आती है वह सिर्फ प्रधान की आती है और प्रधान ही उसमें ससपैंड होता है। तो मैं इस बात पर कहूंगा कि सिर्फ प्रधान ही ससपैंड नहीं होगा, जिम्मेवारी सैक्रेट्री की भी उतनी ही होगी और टैक्नीकल सहायक की भी उतनी ही होगी। तीनों की बराबर की ही भागीदारी होगी।

अध्यक्ष महोदय, एक और विषय श्री राकेश पठानिया जी ने ई-टैण्डरिंग के बारे उठाया था, इन्होंने इसमें प्रश्न भी लगाया था और चर्चा भी लगाई थी। लेकिन उस दिन वह चर्चा नहीं लग सकी।

22/08/2019/1635/MS/HK/1

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां ई-टैण्डरिंग की पहले से ही व्यवस्था है और इसमें ऐसा है कि 5 लाख रुपये तक का टैण्डर प्रैस में जाएगा लेकिन अब हमने कहा है कि वह प्रैस में नहीं जाएगा बल्कि अब ई-टैण्डर लगेगा। एक बड़ी समस्या बीच में यह आती है कि जितना पैसा पंचायतों को आ रहा है और अगर हम पैसा मनरेगा से देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका शैल्फ नहीं बनता है, उसका शैल्फ बनता है तथा उसकी बाकायदा अप्रूवल भी होती है। जे0ई0 उसकी अप्रूवल करता है और उसकी प्रौपर ए0ए0 एण्ड ई0एस0 बी0डी0ओ0 से मिलती है, वैसा होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारा पैसा ऐसा है जो माननीय सांसद और माननीय विधायक देते हैं परन्तु कई बार प्रधान इतना सक्षम नहीं होता है कि वह उस पैसे को खर्च कर पाए। कोई डिपोजिट जो डी0सी0 या बैकवर्ड सब प्लान से हमें मिलता है, वह भी ख़र्च नहीं हो पाता है और हमने देखा है कि ब्लॉक के अंदर बहुत बड़ी पैंडेंसी रहती है। इसके लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं (..व्यवधान..) **आज से ही व्यवस्था है कि जिस दिन पैसा ब्लॉक या पंचायत में पहुंच जाएगा उसके एक महीने के अंदर-अंदर वह काम करना होगा। अगर पंचायत उस काम को नहीं करेगी तो ब्लॉक से**

एक नोटिस जाएगा और उसके बाद उसका टैण्डर लगाकर उस काम को पूरा करवाएंगे।(..व्यवधान..)

अध्यक्षः कृपया बीच में मंत्री जी से कुछ न पूछें। मंत्री जी आप अपनी बात कीजिए क्योंकि फिर मैं समाप्त करने वाला हूं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः आज जितने भी आप लोगों के छोटे-छोटे सुझाव आए हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम एक पूरा प्रोटोकोल बना रहे हैं। जो आप पैसों के सिक्योर करने की बात कर रहे थे कि मस्ट्रोल नहीं चढ़ रहे हैं, उसका कारण यह है कि हमने ट्रेनिंग की वजह से एक नया सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया था जिसके कारण वह चल नहीं पाया था। लेकिन अब सभी जे0ईज0 को ट्रेनिंग दी गई है और उनको ट्रेनिंग के बाद अब धीरे-धीरे इस सिस्टम में सुधार हुआ है। जिस दिन ऐस्टीमेट उसमें एंटर हो जाएगा तो टी0ए0 को दो दिन के अंदर जे0ई0 को भेजना होगा। अगर वह बड़ा ऐस्टीमेट होगा तो अगले दो दिन के अंदर एस0डी0ओ0 को उसकी टैक्निकल सैंक्शन देनी होगी। यह हमने तय किया है। इसी तरह से हमारा जो टैक्निकल विंग बन रहा है उसमें हर छः पंचायतों के ऊपर हमारी कोशिश है कि एक जे0ई0 को बिठाएंगे और जे0ई0 ब्लॉक में नहीं बैठेगा बल्कि अपने सैक्शन में बैठेगा। हम इसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि ब्लॉक में ही एस0डी0ओ0 भी बैठे और हर ब्लॉक में एक एस0डी0ओ0 होना चाहिए। इसके अलावा हर दो जिलों के ऊपर एक XEN की पोस्ट के लिए भी हम विचार कर रहे हैं।

जहां तक क्वालिटी कन्ट्रोल की बात है, मुझे भी पता है कि क्या-क्या होता है और मैंने पहले ही कहा है कि मैं उप-प्रधान रहा हूं। मेरे बंगाणा की पंचायत 3000/-रुपये में एक मटीरियल की ट्रॉली ले रही है और उसके साथ लगती खड्ड के साथ जो पंचायत डल्वाड़ी या धनेत है, मैं यह बात उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, वे उसी ट्रॉली को 5000/-रुपये में ले रहे हैं। हम ईंटों की 6000/-रुपये की एक एफ0ओ0आर0 ले रहे हैं और दूसरा 8000/-रुपये की वही एफ0ओ0आर0 ले रहा है। मटीरियल में कोई कन्ट्रोल नहीं है और यह हमारा लैप्स है। **हमने कहा कि इसमें लोक निर्माण या सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग का जो मैनुअल होगा, उसको लागू करेंगे।**

आपने इंटर-लॉकिंग टाइलों की बात की।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

22.08.2019/1640/जेके/एचके/1

उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने इसमें पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दी है और स्पष्ट किया है कि उसकी जो क्वालिटी होगी वह बी.एस.आई. मार्का की होगी। इस नोटिफिकेशन के बाद यदि पंचायतों ने घटिया टाइलों का प्रयोग किया तो हम उसमें किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हम उसको सजा देंगे और उससे रिक्वरी भी करेंगे। 14वें वित्तायोग के माध्यम से पंचायतों के अन्दर लाइटें लगती थी और बहुत ज्यादा डस्टबीन खरीदे जाते थे। होता क्या था कि एक पंचायत 10 हजार की लाइटें ले रही है, दूसरी पंचायत 15 हजार की ले रही है, तीसरी पंचायत 25 हजार की ले रही है और कई पंचायतों ने क्या किया कि 14वें वित्तायोग की सारी-की-सारी लाइटें ही खरीद दी। हमने आते ही कहा कि 10 प्रतिशत से ज्यादा लाइटें नहीं खरीद सकेंगे और उसके ऊपर हमने पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया। अब हमने हिमऊर्जा के साथ एम0ओ0यू0 किया है। हिमऊर्जा उसका टेंडर कर रहा है। जो लाइटें लगेगी उनका पांच साल गारंटी पीरियड होगा, जो कम्पनी उसको लगा करके जाएगी, जो ठेकेदार उसको लगा करके जाएगा, वह उसकी जिम्मेदारी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है पंचायतों के कारण नहीं है, यह भ्रष्टाचार पंचायत प्रधानों के कारण भी नहीं है बल्कि यह हमारी सरकारों के लैप्सिज हैं, चाहे वह पूर्व में सरकारें रही हैं हमने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमने पंचायतों को ओवर लोड़ कर दिया। हम इन पंचायतों को ज़ीरो टोलरैंस के ऊपर ले कर आएंगे, यह हमारी प्राथमिकता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ हैं लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो सुबह आपने वॉक आऊट किया वह भी गलत था। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया मंत्री जी का उत्तर शांतिपूर्वक सुनें और बीच में चर्चा न करें। माननीय मंत्री जी प्लीज आप बोलिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विषय है कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों हेतु आबंटित धनराशि का सदुपयोग विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और जिसमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 तथा हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज के कराधान भत्ते, नियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार एक प्रक्रिया द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं हेतु निर्धारित मापदण्डों के तहत कार्यों का निष्पादन करते हैं। उक्त नियमों के अनुसार पंचायतों के विकास कार्यों का निष्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन घटित कार्य समितियों के द्वारा इसका निष्पादन किया जाता है। सक्षम तकनीकी अधिकारी प्राक्कलन तैयार करते हैं तथा तकनीकी मंजूरी के बाद ही इसका कार्य पूरा किया जाता है। राजीव गांधी जी कहते थे कि केन्द्र से हम एक रुपया भेजते हैं और गांव के अन्दर 25 पैसे ही पहुंचते हैं लेकिन प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सीधा पैसा पंचायतों के अन्दर ही भेजा है। अब यह जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस पैसे का शतप्रतिशत प्रयोग गांव के विकास के लिए करें। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि वर्तमान में लगभग 2 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पंचायतों के माध्यम से व्यय किया जा रहा है।

22.08.2019/1645/SS-YK/1

व्यय की जा रही राशि के अनुपात में विभाग में जो तकनीकी कर्मचारियों की संख्या है वह पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में आप सब की तरफ से सुझाव भी आया है। वर्तमान में पंचायती राज विभाग में 1069 तकनीकी सहायक, 332 कनिष्ठ अभियन्ता, 36 सहायक अभियन्ता व 03 अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत हैं। जबकि यदि कार्य के अनुपात में कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन किया जाए तो विभाग में कम-से-कम प्रत्येक पंचायत में एक तकनीकी सहायक तथा 5-6 पंचायतों के समूह पर, जैसे मैंने पहले ही कहा, एक कनिष्ठ

अभियन्ता व 12 जिला स्तरीय सहायक अभियन्ताओं के अतिरिक्त दो विकास खण्डों पर एक सहायक अभियन्ता एवं दो जिलों में एक-एक अधीक्षण अभियन्ता होना वांछित है। **उक्त के दृष्टिगत विभाग को 2163 तकनीकी सहायक, 203 कनिष्ठ अभियन्ता व 16 अधिशासी अभियन्ता तथा 03 अधीक्षण अभियन्ताओं की आवश्यकता है। सरकार इन पदों को सृजित करने पर विचार कर रही है ताकि तकनीकी विंग को पूर्णतः सशक्त व क्रियाशील बनाया जाए।**

अतः उपरोक्त दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम,1997 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 व ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में योजना की धनराशि का सदुपयोग एवं योजना का सीधा लाभ पात्र लाभार्थी को पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना की क्रियान्वयन प्रणाली में हर प्रकार का प्रावधान किया गया है। जिसका भारत सरकार व प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निरंतर समीक्षा व मूल्यांकन किया जाता है।

अतः पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आंबटित धनराशि का सदुपयोग तथा भ्रष्टाचार रोकने हेतु पहले ही जवाबदेही तय करने सम्बन्धी पर्याप्त प्रावधान किये हैं। **फिर भी माननीय सदस्यों ने जो-जो सुझाव दिए हैं विभाग उन पर विचार करेगा** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व उसके तहत अधिसूचित नियमों में संशोधन अथवा उचित दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जहां हम पंचायतों को -- (व्यवधान)-- भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है।

उपाध्यक्षः बीच में कुछ न बोलें प्लीज़।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः लेकिन जो कमियां हैं हम उनको दूर करने के लिए पर्याप्त कार्य करेंगे। हमने पहले ही यह तय किया है कि बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर पंचायत सचिवों की कमी है। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम इस वर्ष में 300 से ज्यादा पंचायत सचिवों की भर्ती करने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य, बलबीर चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि विभाग की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं। हमने आपको पूरा विश्वास दिलाया है, उसको मध्य नज़र रखते हुए आप अपना संकल्प ज़रूर वापिस लेंगे।

उपाध्यक्षः माननीय बलबीर जी, क्या आप अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार हैं? --(व्यवधान)-- बीच में न बोलें प्लीज़।

श्री बलबीर सिंह (चिन्तपुरनी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए ।

संकल्प वापिस हुआ।

अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री जीत राम कटवाल (झण्डुता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः आप संकल्प पढ़ें प्लीज़।

Sh. Jeet Ram Katwal: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, with your permission, I would like to put my resolution under Rule-101 the text of which is as under:- "This House may discuss the situation arising out of restrictions imposed on all construction works stopped due to FRA/FCA cases in the State."

22.08.2019/1650/केएस/वाईके/1

उपाध्यक्षः इसमें एक और अन्य संकल्प भी है। यदि हाउस की सहमति हो तो दूसरा संकल्प भी पढ़ लिया जाए?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः नहीं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनैस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग होनी है। बाकी मैम्बर्ज़ ने भी रैज़ोल्यूशन लगाए हैं। जब तक इस पर डिस्कशन नहीं होती, तब तक आप अगला संकल्प नहीं ले सकते। मेरा आपसे आग्रह है कि आप नई परम्परा शुरू मत करें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, चर्चा के बीच में एक विषय आया था। कहा गया कि पंचायतें जो बिल्डिंगें बनाती हैं, साल-डेढ़ साल में ही उनके लैंटर गिर जाते हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसमें रिप्लाई के बाद चर्चा नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि कृपया बाद में सूचित कर दें। ...(व्यवधान)...

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे दो वर्ष के कार्यकाल में यदि इस तरह की कोई घटना घटित हुई है, हमारे ध्यान में लाएं, हम उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः कृपया माननीय सदस्य बीच में न बोलें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है ...(व्यवधान)... मुकेश जी, आप इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आप बीच में न बोलें। मेरे ख्याल से हाउस की सहमति दूसरे संकल्प पर नहीं है।

माननीय कटवाल जी, आपने संकल्प प्रस्तुत किया कि :- "This House may discuss the situation arising out of restrictions imposed on all construction works stopped due to FRA/FCA cases in the State."

माननीय सदस्य श्री कटवाल जी, हाउस की सहमति से यह संकल्प प्रस्तुत हो चुका है, इसको हम अगले गैर- सरकारी सदस्य कार्यदिवस पर चर्चा हेतु लेंगें। कृपया अभी आप बैठें।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 22 अगस्त, 2019 **सचिव।**